लोक-सभा

वाद-विवाद

ततीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 8-12-83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[तृतीय माला, खंड ७—अंक ११ से २०—२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २० अगस्त १९६२, / २९ श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १३२३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४३९, ४६७, ४४० से ४४३ और ४४६ से ४४९ १३२२—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४४, ४४५, ४५० से ४६६ और ४६८ से ४७४ १३४५—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १२१९ और १२२१ से १२५३ १३५६—१४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४३१

राज्य सभा से सन्देश १४३६

अणु शक्ति विधेयक १४३६—४८

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ३२ और १ १४४८—४९

पारित करने का प्रस्ताव

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिलावटी और नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री १४४९—६२

दैनिक संक्षेपिका १४६३—७१

अंक १२—मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२ / ३० श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७६, ४७७ और ४८० से ४८४ १४७३—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४७९ और ४८९ से ५१६ १४९६—१५०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२७०, १२७२ से १३८४, १३८६ से १४०० और १४०२ से १४२६ १५०८—८४

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में १५८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५८४—८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन १५८५

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित—	
(१) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	१५८५–८६
(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	१५८६
(३) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८
विधेयक पारित—	
(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७–८७
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८–८९
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५८९—९१
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	१५९१—१६२३
दैनिक संक्षेपिका	१६२४—३३

अंक १३—बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ / ३१ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५३१	१६३५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१६६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ और ५३२ से ५४६	१६६३—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२७, १४२८, १४३० से १४९९, १५०१ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५१०	१६७२—१७१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	१७११–१२
(१) 'स्वाधीनता' में एक चित्र का प्रकाशन	
(२) दिल्ली में डिप्थीरिया का फैलना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७१२–१३
राज्य सभा से सन्देश	१७१३–१४
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि	१७१४
तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर में शुद्धि	१७१४

विषय	पृष्ठ
सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य १७१४, १७१८—१९	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव १७१४—१८, १७१९—३६, १७३७—५०	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	१७५१—५७
अंक १४—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२ / २ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५५४, ५५६ से ५६२ और ५६४ से ५६७	१७५९—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	१७८३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४७, ५४८, ५५५, ५६३, और ५६८ से ५७४	१७८५—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ से १५१८, १५२० से १५९७, १५९९ और १६०१ से १६२६	१७९०—१८३८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़	१८३८—४०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(३) संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	१८४१—४४
अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	१८४५—५४
विचार करने का प्रस्ताव	१८५१—५४
खंड २, ३, १-क और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूप-भेद के बारे में प्रस्ताव	१८५४—५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१८५७
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	१८५७—७०
अनुसंधानकर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में प्रस्ताव	१८७०—७४
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१८७४
दैनिक संक्षेपिका	१८७५—८१

विषय	पृष्ठ
अंक १५—शनिवार, २५ अगस्त, १९६२ / ३ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ से ५८५ और ५८७ से ५९०	१८८३–१९०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५९१ से ६११	१९०६–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ से १७२९ और १७३१ से १७३३	१९१८–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९६५–६६
सभा का कार्य	१९६६
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१९६६
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	१९६७–९१
दैनिक संक्षेपिका	१९९२–९८
अंक १६—सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ / ५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६१६, ६१८ से ६२२ और ६२४ से ६२६	१९९९–२०२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६२३, ६२७ से ६३२ और ६३४ से ६४२	२०२६–३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७३९, १७४१ से १७४३, १७४५ से १८००, १८०२ और १८०३	२०३४–६९
सभा पटल पर रखे गय पत्र	२०६९–७१
गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधयक—पुरस्थापित	२०७१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२०७१–७३
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	२०७३–२१०७
दैनिक संक्षेपिका	२१०८–१३
अंक १७—मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२ / ६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ से ६५७	२११५–३९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२१३९–४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ से ६६६	२१४२–४५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०४ से १८९६	२१४५–८७

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१८७
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२१८७–९०
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा -	
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२—	
विचार करने का प्रस्ताव	२१९१–२२१२
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक का खंड १ तथा २	२२१३
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव	२२१३–१७
दैनिक संक्षेपिका	२२१८–२३
अंक १८—बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ६८१	२२२५–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ८९६	२२४९–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९७ से १९९१, १९९३ से २००२ और २००४ से २०१०	२२५६–२३०६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१३०६–०७
आदेश पत्र से एक प्रस्ताव के हटाने के बारे में	२३०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	२३०७–१०
१. नैपाली सैनिकों द्वारा मिरिस (दार्जिलिंग) में गोली चलाने का कथित समाचार	
२. रायल नेपाल एयर लाइन्स के विमान का कथित लापता होना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१०–११
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२३११
जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नाली दार चादरों के वितरण के बारे में वक्तव्य	२२११–१४
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	२३१४–२०
खंड २ से ३३ तथा १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	२३२०–४७
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २	२३२४–४७
दैनिक संक्षेपिका	२३४८–५४

विषय	पृष्ठ
अंक १९—गुरूवार, ३० अगस्त, १९६२ / ८ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ से ७०३, ७१२, ७१५, ७०४ से ७०७, ७०९ और ७१०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७११, ७१३, ७१४ और ७१६ से ७१९	
अतारांकित प्रश्न संख्या २०११ से २०७२	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र के कथित अतिक्रमण	
(२) दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में दुर्घटना	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर में शुद्धि	
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२, और	
(२) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—	
खंड २ से ४, ३-क, ३-ख, १-क और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
सभा का कार्य	
दैनिक संक्षेपिका	
अंक २०—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९६२ / ९ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७३२ और ७३४	२४६७–९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२४९०–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ और ७३५ से ७४२	२४९२–९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ से २०८८ और २०९० से २१४३	२४९८–२५३१

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२५३१–३६
(१) राजशाही के शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण	२५३१–३३
(२) डुमराव रेल दुर्घटना जांच आयोग	२५३२–३५
सहारनपुर के निकट रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के बारे में	२५३६
सदस्य की दोष सिद्धि	२५३६
सदस्य का निलम्बन	२५३६–४२
सभा का कार्य	२५४४
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	२५४४
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५४४–५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२५५१
विधेयक पुरस्थापित	२५५१–५२
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (नये अनुच्छेद १५५ क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) **[श्री टीका राम पालीवाल का]**	२५५१
(२) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ **[श्री नवल प्रभाकर का]**	२५५२
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक १९६२ (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) **[श्री च० का० भट्टाचार्य का]**	२५५२
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**—वापस लिया गया	२५५२–६५
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय समुद्र बीमा विधेयक **[श्री म० वि० भार्गव का]**—	
राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव	२५६५–७२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गाजियाबाद सहारनपुर खंड में गाड़ियों की टक्कर	२५६६–६८
संविधान संशोधन विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]**—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५७३–७४
मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२५७४–७७
दैनिक संक्षेपिका	२५७८–८३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २२ अगस्त, १९६२
३१ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागालैंड की स्थिति

+

†*५१८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के चीफ एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिलर श्री शिलू आओ पिछले जून में प्रधान मंत्री से मिले थे ; और

(ख) उन्होंने स्थिति का क्या मूल्यांकन किया है और आगे सुधार के लिये क्या सुझाव है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर)** : (क) जी, हां ।

(ख) श्री शिलू आओ का यह मूल्यांकन था कि विद्रोहियों का नैतिक स्तर निम्न है और कुछ समय तक उनकी कार्यवाहियों के लिये केन्द्रीय निदेश अस्तित्वहीन रहा । छोटे छोटे दलों, जिनमें विद्रोही बढ़ गये थे, में व्यक्तियों, धन और उपकरणों का अभाव था । श्री शिलू आओ का भावी कार्यवाही के बारे में मत, जिससे हम सहात थे, यह था कि विकार्य कार्य वर्तमान ढंग पर किया जाता रहे और, यदि आवश्यक हो, तो इसे बढ़ाया जाये और विद्रोहियों के विरुद्ध सुरक्षा बल कड़ी कार्यवाही करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन्होंने किन प्रशासनिक कमियों, विशेषत: कर्मचारियों की संख्या, के बारे में उल्लेख किया था और इन कमियों का क्या स्वरूप है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री स० चु० जमीर** : वास्तव में वह यहां सामुदायिक विकास सम्मेलन में भाग लेने आये थे और उन्होंने नागालैण्ड सचिवालय के संगठन और विभिन्न विभागों के लिये निदेशालय स्थापित करने के बारे में कुछ प्रशासनिक मामलों पर भी विचार किया और उनका विश्लेषण किया ।

†मूल अंग्रेजी में

1732(Ai)LSD—1

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विद्रोही नागाओं की स्थिति किस हद तक कमजोर की गयी है विकास और राष्ट्रीय एकता के जरिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री स० चु० जमीर** : सुरक्षा बल विद्रोहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं और उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियां कम हुई हैं । वे केवल उनको हराते ही नहीं हैं बल्कि जो लोग विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं । वास्तव में सुरक्षा विनियमों में नागालैण्ड सरकार को उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की, जो ऐसी कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, अनुज्ञा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय संसदीय सचिव ने मेरे राष्ट्रीय एकता और विद्रोहियों की स्थिति को कमजोर बनाने की दढ़ के बारे में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : दो विधेयक प्रस्तुत किये गये है जिनका यही उद्देश्य है—दो नागालैण्ड विधेयक ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या फिजो का अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिये हाल ही में पाकिस्तान जाने और फिर अमरीका जाने की नागालैण्ड में कोई प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री स० चु० जमीर** : निश्चय ही । विद्रोहियों पर कुछ प्रतिक्रिया हुई है क्यों कि लोग जानते हैं कि स्वतन्त्रता संभव नहीं है और उसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । फिजो एक ब्रिटिश नागरिक है और इसलिये वह हर जगह नागाओं का मामला नहीं उठा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि लन्दन के 'टेपिक' नामक एक समाचार पत्र ने एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट किया है कि सरकार के पास कुछ कागजात हैं जिनसे पता चलता है कि कलकत्ता स्थित कुछ फर्में, जिनमें ब्रिटेनवासी और भारतीय संयुक्त रूप से मालिक हैं, धन देकर नागा विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या श्री शिलू और हमारे प्रधान मंत्री ने उस मामले पर विचार किया था ?

†**श्री स० चु० जमीर** : प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त ऐसे किसी मामले पर श्री शिलू आओ के साथ बातचीत नहीं की गयी थी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्योंकि इन दो बिलों में, जिन्हें प्रधान मंत्री जी ने उपस्थापित किया है, इस भावी नागालैण्ड राज्य के लिये लोक सेवा आयोग के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले जून में बातचीत के दौरान इस नये राज्य के लिये, जहां तक संभव हो, स्थानीय व्यक्तियों का कोई जिक्र किया गया था ? क्या उस ओर कोई विशेष मांग या सुझाव रखा गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक संभव हो, स्थानीय व्यक्तियों के बारे में क्या सुझाव था?

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या पिछले जून में बातचीत के दौरान इस बात का कोई उल्लेख किया गया था कि कुछ समय तक, कम से कम कुछ वर्षों तक, सचिवालय, सेवायें आदि में, जहां तक संभव हो, केवल नागा लोग ही हों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नागा नेताओं के अभाव में होगा और यह उन पर निर्भर है। और मैं समझता हूं कि उन्हें पूर्णतः नागा लोगों के कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता है ।

चीनी के लिये वस्तु विनिमय सौदा

\+

†*५१६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री पू० ना० खां :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने चीनी के लिये कोई वस्तु विनिमय सौदा किया है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी के बदले कौन सी चीजों का माल आयात किया जायेगा ; और

(ग) यह वस्तु विनिमय किन देशों के साथ किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां ।

(ख) उर्वरक और कुछ हद तक लकड़ी का गूदा, अखबारी कागज और रेशे वाला धागा । लगभग ५० प्रतिशत चीनी के बदले नकद भी लिया जाता है ।

(ग) पश्चिम योरोप, पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका, मलाया, सिंगापुर और कनाडा के देश ।

†श्री सुबोध हंसदा : वस्तु-विनिमय के अधीन कुल कितनी चीनी का निर्यात किया जाता है ।

†श्री मनुभाई शाह : वर्ष १९६२ के पहले सात महीनों में हमने २,१०,००० टन का निर्यात किया है और हमने २,२०,००० टन और के लिये निश्चित आधार पर संविदा किया है । अर्थात् वर्ष १९६२ में यह ४,३०,००० टन होगा ।

†श्री सुबोध हंसदा: क्या इन देशों को चीनी के निर्यात के लिये कोई समय-सीमा रखी गयी है ?

†श्री मनुभाई शाह : सामान्यतः हम मौके पर ही संविदा करते हैं । परन्तु हाल में ही हमने वर्ष १९६३ के लिये कनाडा की मंडी में १,००,००० टन का अग्रिम संविदा किया है । यह निर्यात १९६३ में किया जायेगा ।

†श्री दे० द० पुरी : इन वस्तु-विनिमय सौदे पर निगम को क्या लाभ अथवा हानि होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : हानि के बारे में बताना लोक-हित में ठीक नहीं है । परन्तु इससे सम्बन्धित सदस्यों को पता है कि यह सौदा पहले की अपेक्षा लाभदायक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : चाहे वह वस्तु-विनिमय सौदा है, यह चीनी के लिये किसी मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिये था। चीनी का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और बाजार भाव क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्य मूल्य जो निर्धारित किया गया है, वह औसतन आधार पर लन्दन में प्रचलित दैनिक मूल्य है, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर है, और उस पर कुछ प्रीमियम है जो हमारी चीनी लेने वाले हमें वापस देते हैं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : मंत्री महोदय ने बताया कि आयात की जाने वाली एक वस्तु उर्वरक है। कितनी मात्रा का आयात किया गया है और जापान से प्राप्त किये जाने वाले उर्वरकों की अपेक्षा उसका क्या मूल्य है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्यतः उर्वरक ऊरिया हैं। यह कुछ अन्य वस्तु के साथ ८३,००० ऊरिया है। उर्वरकों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि इस सौदे में सरकार को हानि है और इसीलिये सरकार 'लोक-हित' का सहारा लेना चाहती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा नहीं है। यह उस विधेयक के अन्तर्गत है जिसे अधिनियम बनाया गया है और इस सदन ने स्वीकार किया है।

निर्यात संवर्द्धन

+

†*५२०. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुदालियर समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के संबंध में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने सामान्यतः मुदालियर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और देश से निर्यात बढ़ाने के लिये कई उपाय किये हैं। निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का पुनर्विलोकन किया गया है, आयात में कमी और उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी योजना को सरल बनाया गया है, कुछ हद तक निर्यात आय-कर की छूट दी गयी है, वाणिज्यिक व्यवसायियों के साथ निकट सम्पर्क बनाया गया है और निर्यात संवर्द्धन के लिये प्रशासनिक व्यवस्था दृढ़ की गयी है। कुछ और उपाय भी किये जा रहे हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या मुदालियर समिति ने आय-कर पर छूट और रेलवे भाड़ा में कमी की सिफारिश की थी और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सदन को और विशेषतः माननीय सदस्य को पता है कि हमने निर्यात विक्रय पर आय-कर छूट के रूप में प्रथम कदम के तौर पर पिछले वित्त विधेयक में ५ प्रतिशत की छूट दी है । हिसाब लगाने के तरीके को भी इतना सरल कर दिया गया है कि छूट निर्यात विक्रय पर वार्षिक विक्रय के अनुपात में दी जायगी और प्रत्येक निर्यातकर्ता को पता है कि उसको कितनी छूट दी जायगी । रेलवे भाड़ा में कमी करने के बारे में, मेंगनीज़ अयस्क समेत कई वस्तुओं पर छूट दी गयी है और इस छूट के फार्मूला में अधिक वस्तुओं को शामिल करने और निर्यातक द्वारा निर्यात किये जाने के बाद छूट की रकम का दावा करने की अपेक्षा सीधे ही छूट देने के तरीके बनाने के बारे में रेलवे मंत्रालय से निरन्तर बातचीत हो रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार आयात और निर्यात के लिये एक स्थिरीकरण निधि बना रही है और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु मैं वह कहने को तैयार हूं । जैसा कि मैं ने इस समिति के प्रतिवेदन पर दूसरे सदन में चर्चा के समय बताया था कि हम एक निर्यात-आयात स्थिरीकरण निधि बनाने की सोच रहे हैं । यह २ करोड़ डालर अर्थात् १० करोड़ रुपये से आरम्भ होगी !

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: मैं जानना चाहता हूं कि मुदालियर कमेटी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप क्या एक्सपोर्ट के बढ़ने की आशा दिखाई देती है और अभी तक क्या वह बढ़ी है और क्या इस दिशा में जो एक्सपोर्टर्ज़ हैं, उनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है——

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से सवाल एक ही बार में करने की कोशिश न करें ।

†**श्री मनुभाई शाह** : आशा पर सब ज़िन्दा हैं । आहिस्ता आहिस्ता कुछ परिणाम आ भी रहे हैं । सारा स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने में काफी देर लगती है । यह कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आज बटन दबाया और कल पानी निकलने लग गया । जरूर उसकी कुछ आशावादी बातें हैं । पहले से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है । जहां तक अलग अलग माननीय सदस्य की बातों का सम्बन्ध है, मैंने सब एन्यूमरेट किए हैं कि क्या क्या चेंजिज़ हो रही हैं और नई क्या चेंजिज़ हम कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि चीनी पर लगभग १२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाने के लिये लगभग १३½ करोड़ रुपये बोनस आदि के रूप में दिये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह**: ऐसी बात नहीं है । वास्तव में, चालू वर्ष में हमें लगभग १८ करोड़ रुपये या १९ करोड़ रुपये की आय की आशा है जो पिछले वर्ष से लगभग दुगुनी है और पहले के वर्ष से काफी अधिक है । सहायता की समूची रकम के बारे में सारा फार्मूला सदन द्वारा स्वीकृत विधेयक में दिया गया है । विभिन्न मंडियों के लिये यह भिन्न है । एक प्राथमिकता मंडी है और एक परम्परागत मंडी है । परम्परागत मंडी में यह ३ रुपये से ३.२५ रुपये हो सकता है । प्राथमिकता मंडी में, जहां हमें अच्छा विनिमय मिलता है, यह २ और ३ रुपये के बीच हो सकता है ।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बाद में उनको और अवसर दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मुदालियर समिति ने आयात और निर्यात नीति में कुछ मूल परिवर्तन करने की सिफारिश की, और यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने सभा के समक्ष एक विवरण रखा था जिसमें ये सब बातें बताई गयी थीं कि आयात के बारे में हमने कौन सी सिफारिशें स्वीकार कीं और निर्यात के बारे में कौन सी सिफारिशें स्वीकार कीं। उसके बाद, कई प्रश्नों के उत्तर में मैंने उन कदमों के बारे में बताया, जो हम उठा रहे हैं।

†श्री दाजी : क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि के लिये कोई किस्म नियंत्रण लागू किया है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं सभा के समक्ष एक विधेयक ला रहा हूं। हम किस्म नियंत्रण को कानून बना रहे हैं परन्तु यह बात की वस्तुओं के शामिल होने के तरीके और जिस तरीके से हम दस वर्ष के भीतर देश में सभी वस्तुओं को इसमें शामिल करना चाहते हैं, आदि शीघ्र ही सभा के समक्ष होंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : निर्यात बढ़ाने के लिये दी गयी अनुप्रेरणा के फलस्वरूप, क्या मध्यम श्रेणी के और मोटे कपड़े के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, हम सामान्य बहिशुल्क के बारे में यूरोपीय सांझा बाजार, जिससे हमारे कपड़ा व्यापार पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, के साथ भी झगड़ रहे हैं। अफ्रीका और एशियाई क्षेत्रों के कई नगरों ने, जिन्हें हम अपना कपड़ा बेच रहे थे, अपनी कपड़ा मिलें स्थापित कर ली हैं। परन्तु, इसके बावजूद भी, मुझे विश्वास है कि हम उतनी मात्रा का और संभवतः अधिक का निर्यात कर सकेंगे।

†श्री त्यागी : क्या ऐसे मामले हैं जिनमें किसी विशेष वस्तु के निर्यात में वृद्धि करने के लिये दिये गये बोनस और अन्य अनुप्रेरणा की रकम उस वस्तु के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय से अधिक हो ?

†श्री मनुभाई शाह : मुझे ऐसी किसी वस्तु का पता नहीं है।

†श्री त्यागी : चीनी।

†श्री मनुभाई शाह : यह उस श्रेणी में नहीं आती।

अभ्रक खान कल्याण निधि

†*५२१. श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक श्रम कल्याण संघों और अभ्रक खान मालिकों की बराबर यह मांग रही है कि अभ्रक श्रम कल्याण निधि के लाभ कारखाने के मजदूरों को भी दिये जायें ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बिहार राज्य सरकार और मजदूर सलाहकार बोर्ड ने भी उस मांग का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन करने के लिय कोई कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) इस मामले में कुछ अभ्यावेदन किये गये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या सरकार को इस निधि की बढ़ती हुई विकासोन्मुख गतिविधियों पर बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिये अभ्रक निर्यात को २½ प्रतिशत से बढ़ा कर ४½ प्रतिशत करने के बारे में कोई प्रार्थना मिली है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री हाथी :** इस समय इसको बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या यह सच है कि कल्याण निधि के अन्तर्गत कल्याण कार्यों में अभ्रक के निर्यात के लिय कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं आते और यदि हां, तो क्या सरकार इसको उन कर्मचारियों पर लागू करन के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री हाथी :** यह अभ्रक कारखाने के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ।

श्री कछवाय : अभ्रक मजदूर कल्याण निधि में कितनी रकम साल में आती है और उसे किस हिसाब से मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है ?

श्री हाथी : २५ लाख रुपया आता है और इस साल ३४ लाख रुपये के खर्चे का अनुमान है । लेकिन अभी बैलेंस में २०६ लाख रुपया है ।

कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

†*५२२. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कपड़ा मिलों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित कराने के लिय क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) ४१० मिलों में से केवल १५ मिलों ने, जिनमें चार या तो बन्द हो गयी हैं या परिसमाप्त हो गयी हैं, सिफारिशों को लागू नहीं किया है ।

(ख) और (ग). दोषी मिलों द्वारा सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है । जांच पूरी होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या कानपुर में दो मिलों में, एलगिन मिल नं० २ और एथरेटन वेस्ट मिल्स में, मजूरी बोर्ड पंचाट क्रियान्वित किया गया है ?

†**श्री हाथी :** वे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के पैरा ७ में आते हैं। उनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यदि जांच परिणामों से यह पता चलता है कि कुछ नियोजक पंचाट को क्रियान्वित नहीं करना चाहते, तो क्या कोई विधान बनाया जायगा ?

†**श्री हाथी :** प्रतिवदन प्राप्त होने पर उस बारे में विचार किया जायेगा ।

†**श्री दाजी :** मजूरी बोर्ड पंचाट २½ वर्ष पुराना है और पंचाट की क्रियान्विति के बारे में जांच करने के लिये स्थापित की गयी समिति ८ महीनों से अधिक समय से काम कर रही है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने में और कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी :** समिति ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में काम किया है । बाकी चार राज्यों में काम बाकी है और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा । परन्तु मिलों की संख्या को देखते हुये, केवल १५ मिलों ने क्रियान्वित नहीं किया है, बाकी ने क्रियान्वित किया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** यह देखने के लिये कि ये सभी मिलें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करें, कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी :** मैंने अभी बताया कि केवल १५ मिलों ने लागू नहीं किया है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया:** क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की रायलासीमा टेक्सटाइल्स ने मजरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है । जिसके परिणामस्वरूप वहां श्रमिकों में असन्तोष है क्या वह तथ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया है ?

†**श्री हाथी :** यह सच है कि अदोनी मिल्स ने पंचाट लागू नहीं किया है ।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच है कि जिन मिलों ने पंचाट लागू नहीं किया है वे बड़ी मिलें हैं न कि छोटी मिलें ?

†**श्री हाथी :** मुझे पता नहीं है कि वे छोटी हैं या बड़ी हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन मिलों के, जिन्होंने यह लागू नहीं किया है, नाम बता सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नाम बताना आवश्यक नहीं है ।

वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†*५२३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम में दोनों ही प्रशासन, वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को, जिसका भारत अध्यक्ष है, सहयोग नहीं दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सूचना १९५४ जेनेवा सम्मेलन के सह अध्यक्ष को दे दी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आयोग के काम काज जारी रखने के योग्य परिस्थिति उत्पन्न करने के लिये सह-अध्यक्ष ते क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). पिछले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने कई बार, शिकायत की थी कि वियतनाम में स्थानीय प्राधिकारणों, अर्थात्, उत्तर और दक्षिण वियतनाम में प्रशासनों ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को अपना कार्य करने में पूरा सहयोग और सुविधायें नहीं दी है । यह तथ्य समय समय पर सह-अध्यक्ष को भेजी गयी आयोग की रिपोर्ट में बता दिया गया है ।

(ग) आयोग को काम काज जारी रखने के लिये स्थानीय प्राधिकारणों से पर्याप्त सुविधाओं के प्रश्न के बारे में सह-अध्यक्ष से कोई संयुक्त निदेश प्राप्त नहीं हुआ है । इतने समय में, आयोग दोनों स्थानीय पक्षों से सहयोग की कमी के कारण कठिनाइयों के साथ अच्छे ढंग से काम कर रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार ने वियतनाम में इस आयोग को बनाये रखने की आवश्यकता अथवा वांछनीयता के प्रश्न पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसपर विचार करना आवश्यक नहीं है । अपने उत्तर में मैंने बताया है कि कठिनाइयों के बावजूद भी आयोग काम कर रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास**: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आयोग पूर्णत: काम नहीं कर रहा है और वह वहां शांति स्थापित नहीं कर सका है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस आयोग को जारी रखने की आवश्यकता अथवा वांछनीयता पर विचार कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस पर इस रूप में विचार किया गया है कि यह सदैव हमारे सामने है । परन्तु हम समझते हैं कि हमने यह एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व लिया है और इसको हम तब तक निभायें जब तक हमारे लिये ऐसा करना संभव है । हम समझते हैं कि आयोग की उपस्थिति से अच्छा ही हुआ है । इससे स्थिति बिगड़ने से रूकी है और वास्तव में सुधरी है । अत: हम वहां काम जारी रखना चाहते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बताया गया कि स्थानीय सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस रूप में आयोग से सहयोग नहीं कर रही हैं और आयोग का काम कठिन बना रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: आयोग को आवंटित कार्य के स्वरूप से पता चलता है कि आयोग किसी भी रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण सक्रिय सहयोग न दें । उदाहरणत: पक्ष आयोग की सिफारिशों और निर्णयों को स्वीकार करने और क्रियान्वित करने से इन्कार करते हैं और कई मामलों में वे अपना विचार अपनाते हैं । फिर अन्य कठिनाइयां भी हैं । आयोग के निश्चित दल को करार के अनुसार अपने उत्तरदायित्व के रूप में नियंत्रण और निरीक्षण के समाज्ञापक कार्य करने के संबंध में कठिनाइयां अनुभव हुईं ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने सोवियत रूस को सुझाव दिया है कि व्यक्तियों और शस्त्रास्त्रों के प्रवेश को रोकने के लिये वियतनाम सीमा पर सेना रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

नियंत्रण आयोग को अनुमति दी जाये, यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जबकि उत्तर दिया गया है कि 'हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है', फिर भी क्या वह अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : यह भिन्न प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं । मैं केवल एक ही प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं । अगला प्रश्न ।

भारत-जापानी आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र हावड़ा

†५२४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्थित भारत जापानी आद्यरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र के कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है ;

(ख) क्या यहां पर कारीगरों को प्रशिक्षण देना शुरू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने कारीगरों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है ;

(घ) इस केन्द्र पर कितना खर्च किया जा रहा है ; और

(ङ) इसमें से जापानी सरकार कितना प्रतिशत व्यय वहन करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूगो) : (क) से (ङ). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) कारखाने की सभी इमारतों का निर्माण कार्य सितम्बर, १९६२ तक पूरा हो जाने की आशा है। वर्कशाप की प्रमुख इमारत नवम्बर, १९६१ में ही बन कर तैयार हो गयी थी। पूरी हो चुकी वर्कशापों में संयंत्र तथा मशीनें लगाई जा रही हैं।

(ख) जी हां। यह काम १७ नवम्बर, १९६१ से शुरू हो चुका है।

(ग) १८ प्रशिक्षणार्थियों के पहले दल ने १४-६-६२ को अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दूसरे दल के ३० प्रशिक्षणार्थियों को १५-६-६२ से शिक्षण देना शुरू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). प्रायोजना पर होने वाले कुल खर्च (अनावर्ती तथा आवर्ती) का अनुमान १.४ करोड़ रु० लगाया गया है। केन्द्र का सारा आवर्ती खर्च, जिस में भूमि और इमारत की कीमत तथा जापानी विशेषज्ञों के लिये बनाये जानेवाले फ्लैट भी शामिल हैं, भारत सरकार दे रही है। जापान की सरकार ने भारत सरकार को ३५.३५ लाख रु० के मूल्य के संयंत्र और मशीनें बिना

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ मूल्य लिये दी हैं। जापान सरकार ने २३ लाख रु० की कुल कीमत पर तीन वर्षों के लिये २० जापानी विशेषज्ञ भारत सरकार की सेवा के लिये रख दिये हैं। इन दो खर्चों के अतिरिक्त जापान की सरकार इस केन्द्र को चलाने पर जो खर्च होगा उसमें से कुछ भी खर्च नहीं देगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ट्रेनीज़ वहां से ट्रेनिंग पा कर निकलते हैं और निकलेंगे उनको काम दिलाने के सिलसिले में क्या सरकार ने कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर बनाया है तो क्या? और जो १८ ट्रेनी अभी निकले हैं क्या उनको काम मिला है?

श्री कानूनगो : जो काम करते होते हैं उन्हीं को खास तौर से ट्रेनिंक के लिए लिया जाता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो लोग ट्रेनिंग में लिए जाते हैं उनको भरती करने का क्या तरीका है और किस तरह से उनका रिकरूटमेंट होता है?

श्री कानूनगो : वे अपनी दरखास्त देते हैं, और जहां काम करते हैं वह बतलाते हैं और किस काम की तालीम लेना चाहते हैं यह बतलाते हैं, और कमेटी उसकी जांच करती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या इस प्रशिक्षण की उपयोगिता मालूम करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है?

†**श्री कानूनगो :** इस संस्था ने अभी पूरी-तौर से काम करना आरम्भ नहीं किया है।

†**श्री भागवत आजाद :** क्या २० जापानी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए २३ लाख रुपये का खर्च हमारी सरकार देगी या जापान सरकार देगी और उनकी सेवाएं हमें निःशुल्क दी जायेंगी?

†**श्री कानूनगो :** वह खर्च जापान सरकार देगी?

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से यह मालूम होता है कि प्रशिक्षण देने वाले जापानी लोग प्रशिक्षण देने के लिए इस देश में तीन साल तक रहेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इस बीच व्यवस्था की गयी है?

†**श्री कानूनगो :** जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोले की खरीद पर अधिमूल्य

+

†*५२५. { **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोले की खरीद पर मिल मालिकों को राज्य व्यापार निगम को जो अधिमल्य (प्रीमियम) देना पड़ता है क्या उसमें कमी करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अधिमूल्य कम करने का सरकार का विचार नहीं है।

†**श्री वारियर :** मिल मालिकों द्वारा राज्य व्यापार निगम को दिये गये इस अधिमूल्य के कारण गोले का दाम कितना बढ़ गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उससे गोल के आयात-मूल्य और प्रचलित मूल्य का अन्तर दूर हो गया है।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच नहीं है कि इस कारण मिलों का व्यापार कम हो गया है और कई मिलें बन्द हो गयी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं, बिलकुल नहीं। वास्तव में उसकी मांग बराबर जारी रही लेकिन विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति के अधीन हम अधिक आयात नहीं कर सकते।

†**श्री श्रीकान्तन नायर :** क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिमूल्य पर बेचा गया यह गोला केवल वास्तविक आयात लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को ही बेचा जाता है। या बाहरी लोगों के हाथ भी जिनके पास कोई आयात लाइसेंस नहीं है बचा जाता है ; और यदि हां, तो क्या वह उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्हें पिछले साल लाइसेंस नहीं दिय गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं। वह वास्तव में वास्तविक उपभोक्ताओं को उनके नियमित असोसिएशनों के जरिय दिया जाता है—एक केरल के लिए, एक साबुन असोसिएशन के लिए और तीसरा अखिल भारतीय साबुन असोसिएशन के लिए।

†**श्री श्रीकान्तन् नायर :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वास्तविक लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाता है या वह अतिरिक्त कोट के तौर पर दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह वास्तविक उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बदले में दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वैच्छिक अनुशासन संहिता

+

†*५२६. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८ में स्वैच्छिक अनुशासन संहिता के स्वीकार होने के बाद औद्योगिक विवादों की संख्या कम हो गई हैं ; और

(ख) क्या सभी प्रबन्धकों और कर्मचारियों ने स्वैच्छिक अनुशासन संहिता को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९६१ में औद्योगिक विवादों की संख्या १९५८ की तुलना में कम थी।

(ख) जी हां, मालिकों और मज़दूरों के सभी केन्द्रीय संगठनों, और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाईटी के अतिरिक्त तथा सरकारी क्षेत्र में रेलव और प्रतिरक्षा उपक्रमों को छोड़कर सभी प्रबन्धकों ने उसे स्वीकार कर लिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने बताया कि अनुशासन संहिता मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में स्वीकार की गयी है। इस दिशा में गैर-सरकारी क्षेत्र के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री हाथी :** मैंने बताया है कि इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र ने उसे स्वीकार कर लिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस बात को देखते हुए कि अनुशासन संहिता को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा हैं क्या उस संहिता में कोई परिवर्तन करने का विचार हैं ताकि जो लोग उससे बाहर हैं उन्हें भी इस संहिता के अधीन लाया जा सके ?

†**श्री हाथी :** चर्चा जारी है और हम उन्हें भी संहिता के अधीन लाने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी उन लाभों पर प्रकाश डालेंगे जो कि इस नई योजना के कार्यान्वित करने के बाद हुए हैं ? अर्थात् परिस्थिति में कितना सुधार हुआ है, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे ?

†**श्री हाथी :** यदि हम परिणाम देखना चाहते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकते हैं और वह यह कि १९५८ और १९६१ में कितने जन-दिनों (मैन-डेज़) की हानि हुई। जब कि १९५८ में ७८ लाख जन-दिनों की हानि हुई, १९६१ में केवल ४२ लाख जन-दिनों की हानि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : जिन्होंने इस संहिता को नहीं माना है उनके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री हाथी : उनके साथ विचार विमर्ष—नैगोसिएशन्स—हो रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री के उत्तर से मालूम होता है कि सरकारी क्षेत्र में रेलवे और प्रतिरक्षा उद्योगों ने अनुशासन संहिता को स्वीकार नहीं किया है या कार्यान्वित नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे कार्यान्वित करने के उन्होंने क्या कारण बताये हैं। वे भी उसे कार्यान्वित करें इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी :** यह बात नहीं कि प्रतिरक्षा उद्योगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने केवल यह बताया है कि वहां की कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। इसी तरह रेलवे ने भी उसे स्वीकार किया है। उसने एक ऐसी संहिता का प्रस्ताव रखा है जो इससे बहुत अलग नहीं है लेकिन उसमें कुछ थोड़े परिवर्तन हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या यह अनुशासन संहिता स्वीकार किये जाने के कारण इन कारखानों की उत्पादकता पर, मात्रा में अथवा किस्म में, कोई असर पड़ा है।

†**श्री हाथी :** जहां तक कि जन-दिनों की हानि कम हो गयी है, स्वाभाविक ही उत्पादन में उतनी वृद्धि हुई है।

श्री कछवाय : क्या सरकार को यह पता है कि इंटक जैसे मजदूर संगठन मिलों में मनमानी चलाते हैं ?

श्री हाथी : इंटक ने तो कोड आफ डिसिप्लिन मान लिया। लेकिन जब कोई एसा किस्सा होता है जहां लोगों ने कोड आफ कंडक्ट का ब्रीच किया हो तो उनके खिलाफ इंटक कार्रवाई करता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि रेलवे और प्रतिरक्षा उद्योगों ने कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रतिष्ठानों में मजदूर संघों ने संहिता स्वीकार कर ली है या उन्होंने अपनी ओर से उसी तरह के कोई परिवर्तनों का सुझाव दिया है। इन उद्योगों में अनुशासन संहिता की क्या स्थिति है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में हमने प्रतिरक्षा संगठनों को जो पुझाव दिया है वह यह है कि ये परिवर्तन मजदूरों के परामर्श से करने होंगे। उदाहरणार्थ, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में, अनुशासन संहिता के प्रारूप पर प्रबन्धक संघ के परामर्श से विचार कर रहे हैं।

श्री त्रिभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि वालेंटरी कोड आफ डिसिप्लिन का चीनी मिलों के वर्करों और चीनी मिलों के मालिकों पर क्या असर पड़ा है ? उस में हड़ताल और गो स्लो वगैरह कुछ कम हुआ है ?

श्री हाथी : इस का जवाब मैंने दे दिया कि जो मैन डेज़ में कमी हुई है वही असर हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं चीनी मिलों के बारे में पूछ रहा हूं। गन्ना जो कि पेरिशेबल कमोडिटी है, अगर उस में हड़ताल हो जाये या गो स्लो हो जाये तो उस से किसानों का भी नुक्सान होता है और सरकार का भी नुक्सान होता है। मैं इस का स्पैसिफिक जवाब चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस का जो जवाब उन के पास था वह उन्होंने दे दिया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं खास तौर से चीनी मिलों के बारे में पूछ रहा हूं। उस का जवाब दिया जाये।

श्री हाथी : जहां जहां भी ब्रीच होती है, वहां हम.....

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप चीनी मिलों का जिक्र नहीं करेंगे, मेम्बर साहब नहीं बैठेंगे।

श्री हाथी : मैं उसके बारे में खास तौर से नहीं जानता हूं।

†**श्री सोनावने :** कितने बार उल्लंघन हुआ है, उन मजदूर संघों के नाम क्या हैं और उन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ?

†**श्री हाथी :** हमारे यहां एक प्रभाग है जो अनुशासन संहिता के उल्लंघन की विवेचना करता है और जो इस बात की जांच करता है कि वह उल्लंघन मालिकों ने किया है या मजदूरों ने। केन्द्रीय क्षेत्र में यदि वे प्रत्येक संघ के संबंध में आंकड़े चाहते हों तो उन मामलों की संख्या जिन पर कार्यवाही आवश्यक है ...

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि उत्तर बहुत लम्बा हो तो वह सभा पटल पर रखा जा सकता है।

†**श्री हाथी :** ठीक है, श्रीमन्।

†**श्री आ० प्र० शर्मा :** माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि रेलवे ने कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है। क्या वह हमें बता सकते हैं कि वास्तव में किस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव रखा गया है ?

†**श्री हाथी :** वे अब भी प्रस्ताव की ही दशा में ही हैं। लेकिन जहां तक शिकायत प्रक्रिया का संबंध है, उसने कुछ सुझाव रखे हैं और हम संघों के प्रतिनिधियों के साथ उन पर चर्चा करेंगे।

नेपाल की सीमांत गश्ती पुलिस का छापा

+

†*५२७. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिले के घोराशान पुलिस क्षेत्र में झरोखर गांव में नेपाल की सीमांत गश्ती पुलिस ने दो व्यक्तियों को गोली से मार दिया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । २८ जून, १९६२ की रात को पांच आदमी बिहार के जिला चम्पारन में घोराशान पुलिस चौकी में झरोखर गांव में श्री राम लोचन चौधरी के एक मकान में सो रहे थे । लगभग आधी रात को पांच नेपाली पुलिस सिपाही उस मकान में घुस गये और उस कमरे में गये जहां ये लोग सो रहे थे और उन्होंने गोली चला दी । उन्होंने दो आदमियों को मार डाला और तीसरे व्यक्ति को गहरी चोट पहुंचायी । बाकी दो आदमी बचकर सुरक्षित निकल भाग गये । किसी भारतीय को न ही मारा गया या चोट पहुंचायी गयी ।

(ख) इस घटना के संबंध में एक विरोध पत्र ११ जुलाई, १९६२ को नयी दिल्ली में रायल नेपाली दूतावास को सौंप दिया गया था ।

श्री क० ना० निवारी : नेपाल और ईंडियन बार्डर पर आये दिन ऐसी घटनायें घटती हैं, तो क्या वहां के लोगों को प्रोटक्शन देने के लिये कोई खास इन्तजाम किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस सभा में यह पहले ही बताया जा चुका है कि अपनी सीमा के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार को मालूम है कि नेपाली पुलिस सिपाही अक्सर ही भारतीय गांवों में घुस आते हैं और वहां से नेपाली कांग्रेसियों को भगा ले जाते हैं ? यदि हां, तो जिन नेपाली कांग्रेसियों ने इस देश में शरण ली है उनकी रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब, यहां नेपाल महाराजा की उपस्थिति में जारी की गयी विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, हम यह मालूम करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई है । तीन बार ऐसी जांच हो चुकी है और हर बार यह बताया गया कि हमने नेपाली कांग्रेसियों को कोई आश्रय नहीं दिया है और न ही उन्हें किसी प्रकार के राजनैतिक कार्य के लिए हमारे राज्य क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है ।

श्री क० ना० निवारी : जो प्रोटेस्ट नेपाल गवर्नमेंट को दिया गया था, उस पर क्या नेपाल गवर्नमेंट ने कोई जवाब दिया है ? और इंडियन गवर्नमेंट ने मारे गये लोगों के लिये कोई कम्पेन्सेशन डिमान्ड किया है या नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यदि माननीय सदस्य ने उत्तर सुना हो तो उन्होंने गौर किया होगा कि कोई भी भारतीय मारा नहीं गया और न कोई आहत हुआ । अपने विरोध पत्र में हम ने बताया था कि यद्यपि भारत सरकार को घटना के तथ्यों के बारे में संतोष है, फिर भी यदि नेपाल सरकार चाहे तो एक संयुक्त औपचारिक जांच तथ्यों की सचाई जानने के लिये कायम की जा सकेगी । इस के लिए व्यवस्था उस विज्ञप्ति द्वारा की गयी थी जो नेपाल के महाराजा की यात्रा के बाद जारी की गयी थी । यह समिति नियुक्त की गयी और तथ्यों की जांच की गयी । लेकिन एक ही बात पर अर्थात् सैनिकों के संबंध में मतभेद था । उन्होंने यह बात मानने से इन्कार कर दिया कि वर्दी पहने जो लोग मकान में घुसे थे वे नेपाली सशस्त्र सैनिकों के एक भाग थे । लेकिन बाद में उन्हें यह मंजूर करना पड़ा था कि ये लोग वर्दी पहने हुए थे और वे नेपाली सशस्त्र सैनिक हो सकते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े :** प्रश्न यह था कि क्या नेपाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ था। कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैंने बताया है कि विरोध पत्र के परिणाम स्वरूप और विज्ञप्ति के अनुसार एक जांच समिति नियुक्त की गयी थी, और मैंने जांच का परिणाम बता दिया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पांचों आदमी सो रहे थे क्या उन के बारे में कोई जांच की गई थी कि उन का किसी राजनीतिक संस्था से सम्बन्ध था या नहीं, या उन का क्या दोष था कि जिस के कारण उन पर आक्रमण किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जाहिर है कि वे नेपाली नागरिक थे । उनका कोई आपसी झगड़ा होगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या नेपाली वैदेशिक कार्यालय के प्रवक्ता के उस वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया गया है कि जिस में प्रधान मंत्री के इस कथन का खंडन किया गया है कि भारत की ओर से ओई अनधिकृत प्रवेश नहीं हुआ है और क्या ये घटनायें इस भ्रम के कारण हुई हैं कि भारत की ओर से अनधिकृत प्रवेश हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जहां तक इस घटना का संबंध है, यह कहा गया था कि मंजीद नामक एक नेपाली व्यक्ति इनारवारी जिवेताही गांव में डकैती के माल के संबंध में भागवत नामक एक दूसरे नेपाली व्यक्ति के साथ लड़ पड़ा था और यह हमला इन दो आदमियों के बीच मतभेद के कारण हुआ था ।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह घटना अपने ढंग की पहली थी या इस से भी पहले कोई इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, क्या और उन का ब्योरा दिया जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस किस्म की घटना तो शायद यह पहली थी, लेकिन इस से मिलती जुलती एक आध और हुई है ।

श्री योगेन्द्र झा : नेपाल और भारतीय सीमाओं के पास दरभंगा और चम्पारन जिलों में इस तरह की घटनायें हो गई । मैं समझता हूं कि नेपाल और भारत के सीमावर्ती गांवों में जो नेपाली प्रवासी हैं उन लोगों की वजह से भारतीय पुलिस का प्रवेश हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन लोगों की सुरक्षा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर रही है या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये प्रवासी नेपालियों को सीमावर्ती गांवों से दूर हटाने के लिये कोई योजना बना रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस के जवाब की तो कोई जरूरत नहीं । जो घटना हमारे सामने है उसी पर प्रश्न हो सकता है । आप दूसरी घटनाओं का आम तौर पर जिक्र कर रहे हैं, वे हमारे सामने नहीं हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था, मुझे नहीं बुलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन बार आपकी तरफ देखा, लेकिन आप खड़े नहीं हुए ।

श्री विभूति मिश्र : मैं बराबर खड़ा हुआ, लेकिन आप की नजर दूसरी तरफ रहती है । जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी तरफ आपकी नजर रहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : हाल में ही मैं ने श्री सोनावने से कहा था कि मैं डाक्टर से अपनी आंख का मुआइना कराऊंगा । उस दिन मैं ने करा लिया था । बहरहाल इस दफा मुझ से भूल हो गई तो अगली दफा सही ।

श्री यशपाल सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर । दुश्मन का लफ्ज अनपार्लियामेंटरी है ।

श्री विभूति मिश्र : विरोधी सही ।

श्री यशपाल सिंह : हां, विरोधी कहिये ।।

श्री हरिविष्णु कामत : यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है ।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

+

*५२८. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नम्बियार : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी शरद् ऋतु में वह विदेश यात्रा पर जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों के निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लंदन में होने वाले राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रि-सम्मेलन में शामिल होने के बाद भारत वापस आते हुए प्रधान मंत्री का घाना और नाइजीरिया जाने का इरादा है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन के साझा बाजार में सम्मिलित होने से भारतीय निर्यात व्यापार को जो हानि पहुंची है , क्या राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी उस के सम्मेंन्ध में विशेष रूप से चर्चा करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस सवाल से योरोपीयन एकानमिक कम्यूनिटी का कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरी बात यह है कि अभी तक ब्रिटेन उस संस्था में मिला नहीं है । इसलिये अभी तो कोई सवाल उठता नहीं । यह हो सकता है कि वर्ष, दो वर्ष या पांच वर्ष बाद यह उठ जाये । लेकिन माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं कि और उन को मालूम होगा कि इस के बारे में कोशिश हो रही है और आइन्दा होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि काश्मीर की समस्या जो दिन प्रति दिन एक भयंकर रूप धारण करती चली जा रही है और जैसा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अय्यूब के वक्तव्यों से भी प्रतीत होता है तो क्या राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री जी उस चर्चा को भी विशेष रूप से उपस्थित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह सब बतला कर जायं कि वह वहां क्या बात करेंगे और क्या कहेंगे यह बात कैसे हो सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : क्या कोई निश्चित कार्य सूची है या केवल अनिश्चित कार्यसूची है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : एजेंडा तो इन बातों में होता नहीं है। जहां तक मेरा खयाल है, इन का कोई एजेंडा नहीं होता है। यह एक खास बैठक यूरोपियन कौमन मार्केट के सिलसिले में हो रही है। दूसरे सवाल भी आ सकते हैं लेकिन वहां का सवाल नहीं है क्योंकि कश्मीर के बारे में हमारी तरफ से कोई चर्चा नहीं होगी। यदि और कोई करेगा तो हम कहेंगे कि किसी को उस के करने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को अन्य देशों से इतने अधिक निमंत्रण प्राप्त हुए हैं कि वह उन सभी को स्वीकार नहीं कर सकते और क्या उन के चिकित्सक सलाहकारों ने उनके स्वास्थ्य के हित में जो एक राष्ट्रीय परिसम्पद् है, उन्हें इतनी अधिक विदेश यात्रा न करने की सलाह दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे डाक्टरों ने मुझे कोई सलाह नहीं दी है और न ही मैंने इस मामले में उन से कोई सलाह मांगी है ।

श्री बेरवा कोटा : राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में कौन कौन विषय उठाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत देर हो चुकी। इसका फैसला हो चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** : सच तो यह है कि हम यह नहीं चाहते कि प्रधान मंत्री अपने स्वास्थ्य की इस दशा में इतनी अधिक मेहनत करें। इसलिए क्या प्रधान मंत्री घाना और नाइजेरिया की यात्रा अनावश्यक समझकर उसे रद्द कर देंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी बताया है कि मैं वहां जा रहा हूं। माननीय सदस्य सुझाव देते हैं कि मैं वहां न जाऊं . . .

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आप वहां जायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा वहां जाने का विचार है ।

†**श्री हेम बरुआ** : वह इस कारण था कि उसमें बहुत परिश्रम पड़ेगा।

औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

†*५२९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने धन और शक्ति का संकेन्द्रण पूर्वर करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली में यदि कोई परिवर्तन किया है तो वह क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने महसूस किया है कि औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली से आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण में वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

लाइसेंस देने वाली समिति जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन आवेदन पत्रों पर विचार करती है, संकेन्द्रण दूर करने की आवश्यकता ध्यान में रखती है । इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कई नियम बनाये गये हैं। कुछ प्रचलित उद्योगों में नयी पार्टियों को ही नये कारखानों के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। असम्बन्धित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कम्पनी के काम काज के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। औद्योगिक कार्यवाही का सामान्य विस्तार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों का विस्तार आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के विरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षण है ।

†श्री मुरारका : विवरण में प्रश्न के भाग (ख) का कोई उत्तर नहीं है । क्या माननीय मंत्री विवरण में उसका उत्तर बता सकेंगे ?

†श्री कानूनगो : उत्तर "नहीं" है ।

†श्री मुरारका : इस बात को देखते हुए कि यह संकेन्द्रण बढ़ रहा है, उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†श्री कानूनगो : आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के बारे में माननीय सदस्य के क्या निष्कर्ष हैं उनके बारे में मुझे पता नहीं । लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उस पर कई उपायों से नियंत्रण रखा जा सकता है जैसे मुद्रा विषयक कार्य, करारोपण, निगम विधि और अन्य कई बातें ।

जहां तक लाइसेंस की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, निश्चित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है ताकि कम से कम कुछ उद्योगों में तो पुराने प्रवेशार्थियों की बजाय नये प्रवेशार्थियों को अधिक पसन्द किया जाता है ।

†श्री मुरारका : लगभग दस साल पहले जब यह अधिनियम लागू किया गया था तब से आज तक किसी एक औद्योगिक कम्पनी को या उद्योगपतियों के एक समुदाय को अधिक से अधिक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†श्री कानूनगो : यह अधिनियम १९५३ में लागू हुआ । यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जो लाइसेंस दिये जाते हैं वे हर महीने प्रकाशित किये जाते हैं और उन सब को जोड़ने में काफी समय लगेगा ।

†श्री मुरारका : औचित्य प्रश्न के हेतु। जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या के बारे में माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है और फिर भी वह यह कहते हैं कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि वे यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य केवल दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री मुरारका :** मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं और न मैं पूछना चाहता हूं । मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जब माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है तब वह किस आधार पर यह कहते हैं कि आर्थिक शक्ति का कोई संकेन्द्रण नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब प्रश्न रखा गया था तब उन्होंने यह जानकारी इकट्ठी कर ली होगी कि संकेन्द्रण है या नहीं है । अब १९५३ में अधिनियम लागू हो जाने के बाद से कितने लाइसेंस जारी किये गये, इस बारे में जानकारी शायद उनके पास न हो ।

†**श्री कानूनगो :** जानकारी है, वह हर महीने प्रकाशित होती है ।

†**श्री सोनावाने :** ऐसे कितने मामले हैं जिनमें औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं और कारखाने अधिकतम अवधि में स्थापित नहीं किये गये ? ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्री कानूनगो :** यह तो कानून में ही लिखा हुआ है कि कुछ परिस्थितियों में यदि प्रभावोत्पादक कार्यवाही नहीं की गयी तो लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे । समय समय पर समीक्षा की जाती है । पिछले दो वर्षों में लगभग २२२ लाइसेंस वापिस ले लिये गये ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की वर्तमान प्रथा बहुत पेचीदी और विलम्बकारी है । यदि हां, तो क्या उसे सरल बनाने का सरकार का विचार है ताकि मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को शीघ्र ही लाइसेंस प्राप्त हो सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कार्रवाई के लिए सुझाव है ।

†**श्री काननगो :** प्रक्रिया हर समय प्रकाशित की जाती है । वह नियमों में है । वह पेचीदी नहीं है । मैं समझता हूं कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** महालनोबिस समिति के अलावा, जिसने आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के प्रश्न की छानबीन की है, क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भी इस प्रश्न की कोई छानबीन की है ? यदि नहीं, तो क्या अब ऐसा कोई अध्ययन करने का उसका विचार है ?

†**श्री कानूनगो :** हम हमेशा इस ओर ध्यान देते हैं कि किसी विशेष समूह या समूहों के हाथ में औद्योगिक उत्पादन केन्द्रित न हो जाये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या लाइसेंस में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित होती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां, कानून के मुताबिक १८ महीने ।

†**श्री तिरुमलराव :** क्या सरकार सदस्यों को यह जानकारी दे सकती है कि विशिष्ट व्यक्तियों या समूहों को अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ताकि हम यह निश्चित कर सकें कि इस मामले में संकेन्द्रीकरण हुआ है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** मैं ने बताया है कि जानकारी हर महिने प्रकाशित की जाती है ।

†**श्री तिरुमल राव :** जी नहीं। जानकारी इकट्ठी करने के लिए सरकार के पास साधन हैं । क्या यह जानकारी नहीं दे सकती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री जानकारी इकट्ठी कर के इस सभा के सामने रखेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** मैं अवश्य ही निर्देश दूंगा ।

†**श्री त्यागी :** समाजवादी ढंग के समाज का लक्ष्य स्वीकार कर लेने के बाद से, कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में उद्योग और सम्पत्ति संकेन्द्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं इस प्रश्न पर का उत्तर दे चुका हूं। यह इस उद्देश्य से किया जाता है कि उत्पादन क्षमता कुछ थोड़े ही व्यक्तियों या समूहों के एकाधिकार में न रहे ।

†**श्री दाजी :** किसी एक व्यक्ति या कम्पनी के पास कुल कितने लाइसेंस हों इस बारे में कोई निदेश या नियम हैं ?

†**श्री कानूनगो :** प्रत्येक उद्योग को अलग अलग लेना होगा ।

†**श्री वारियर :** क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अधिकतर लाइसेंस विशिष्ट राज्य के लिए, विशिष्ट क्षेत्र के लिए दिये गये हैं और इस तरह सभी दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव बरता गया है ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे नहीं मालूम। यदि इस तरह का कोई समाचार प्रकाशित किया गया है तो वह गलत है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि १९६१ में कितने लाइसेंस जारी किये गये थे और बिरला समूह को कितने जारी किये गये थे ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास वह जानकारी नहीं है ?

†**श्री त्यागी :** क्या इस से हम यह समझें कि सरकार की राय यह है कि इन दिनों में कोई सकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई संकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच नहीं है कि करीब आधे दर्जन प्रमुख व्यापारी विभिन्न लाइसेंसों के अधीन ४० से ५० से अधिक प्रकार के व्यापार करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ; यह प्रश्न एक दूसरे रूप में दोहराया जा रहा है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मैंने अपना प्रश्न समाप्त नहीं किया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य प्रश्न के हेतु ।

†**श्री कानूनगो :** आपने मुझे बुलटिनों में प्रकाशित और जारी किये गये लाइसेंसों का एक विश्लेषण तैयार करने का निदेश दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सभा पटल पर रख दिया जायगा और माननीय सदस्य उसे पढ़ लें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री का कहना है कि संकेन्द्रीकरण नहीं है और हम उसे ठीक मान लेते हैं । लेकिन इसी सभा में यह कहा गया है कि महालनोविस समिति नाम की एक समिति इस बात की छानबीन करने के लिये कि संकेन्द्रीकरण है या नहीं, नियुक्त की गई है । क्या माननीय मंत्री इस निश्चित राय के अधिकारी हैं—वह उनकी व्यक्तिगत राय है या वह सरकार की ओर से है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अवश्य ही अपनी राय दे सकते हैं । वह बतायेंगे कि उनकी राय क्या है ।

†**श्री दाजी :** मेरी कठिनाई यह है कि जब श्री नंदा जैसे वरिष्ठ मंत्री की एक राय है और उपमंत्री महोदय की अलग राय है तो सरकार की ओर से प्रमाणित राय क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात मेरे ध्यान में ला सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं और तब मैं मंत्री महोदयों से यह बात स्पष्ट करने के लिये कहूंगा कि परस्पर विरोध क्यों है ?

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उपदान

+

*५३०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमजीवी पत्रकारों के त्यागपत्र देने या सेवा निवृत्त होने पर उन्हें उपदान (ग्रेचुएटी) देने के प्रश्न पर, जो कि सरकार के विचाराधीन था, क्या निश्चय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : जी हां । यह फैसला किया गया है कि मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिये एक बिल पेश किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह बिल कब तक सदन के सामने आ जायगा ?

श्री हाथी : उम्मीद है कि वह इस सेशन में आ जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो निर्णय किया गया है, वह क्या है, क्या इस पर प्रकाश डाला जायगा ?

श्री हाथी : एक्ट में ग्रेचुइटी देने के बारे में जो प्राविज़न था, उस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि तीन साल की सर्विस के बाद कोई ग्रैचुइटी देना ठीक नहीं है । इस लिये यह निर्णय किया गया है कि दस साल की सर्विस के बाद ग्रैचुइटी दी जायगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** प्रारंभ में यह विधान मंत्रालय द्वारा समाचारपत्र वालों और श्रम जीवी पत्रकारों एवं सरकारी लोगों के साथ परामर्श करने के पश्चात् बनाया गया था । क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक को पुरः स्थापित करने में वही तरीका अपनाया गया है और क्या इसको कार्यान्वित करने में मालिकों की ओर से कोई विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा ?

†**श्री हाथी :** हमने समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें भी की थीं। हमने इस विधेयक के उपबन्धों पर चर्चा की थी जो हम पुरः स्थापित करना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मा० मंत्री ने बताया कि उन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ दो बार परामर्श किया था। क्या यह विधेयक जो सभा के सामने लाया गया है श्रम जीवी पत्रकारों की इच्छाओं के अनुकूल है ? क्या वे इस के उपबन्धों से सहमत हैं ?

†**श्री हाथी :** श्रम जीवी पत्रकारों और मालिकों के प्रतिनिधिओं के बीच एकमत नहीं था, किन्तु हमने दोनों पक्षों के विचारों को लिया है, विशेषकर श्रम जीवी पत्रकारों के विचारों को, और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इन उपबंधों को जोड़ दिया जाये।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या उपदान के इस प्रश्न पर चर्चा करते समय, क्या सरकार ने यह विचार किया है कि हाल के वर्षों में इन समाचारपत्र कंपनियों को जो बहुत भारी आय हुई है उसके अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी का ढांचा नहीं बनाया गया ?

†**श्री हाथी :** इस समय हम श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों आदि में संशोधन कर रहे हैं। वहां मुख्य प्रश्न कितनी अवधि के पश्चात् उपदान देने का था।

†**श्री वारियर :** समाचारपत्रों और श्रमज़ीवी पत्रकारों के बीच मतभेद किस बात पर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यहाँ ये सब बातें नहीं की जा सकतीं।

भारत में विदेशी प्रविधिज्ञ

†*५३१. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रविधिक सहयोग वाले भारतीय उद्योगों में विदेशी प्रविधिज्ञों की बढ़ती हुई नियुक्तियों की ओर गया है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक न होने के कारण सरकार का विचार विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) विदेशी प्रविधिक कर्मचारियों को तभी काम पर लगाये जाने की अनुमति दी जाती है जब उन की आवश्यकता होती है। नियुक्त विदेशी प्रविधिकों की संख्या में वृद्धि का यह अर्थ है कि उद्योगीकरण के बड़े पैमाने के कार्यक्रम के कारण प्रविधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को, विदेशी शिल्पिकों को नौकर रखत समय हमेशा ध्यान में रखा जाता है और वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री रा० बरुआ :** सहयोग समझौतों के उपबन्ध का लाभ उठाते हुए, क्या विदेशीं सहयोग आवश्यकता से अधिक फिटर और मकैनिकों को, विशेषज्ञों के अतिरिक्त, साधारणतया साथ ले आते हैं, जब कि वे व्यक्ति भारत में ही उपलब्ध हो सकते हैं, और इस स व्यय बहुत बढ़ जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं । प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और जब सर्वथा आवश्यक होता है, परियोजना की दृष्टि से, इस की अनुमति दी जाती है ।

†**श्री रा० बरुआ :** क्या मा० मंत्री अब तक उपलब्ध फिटरों और मकैनिकों की संख्या बतायेंगे, सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री कानूनगो :** में नहीं मानता कि फिटर और मकैनिक लाये जाते हैं । मकैनिक बहुत व्यापक शब्द है । किन्तु फिटर नहीं लाये जाते ।

†**श्री रा० बरुआ :** कुल संख्या कितनी है ?

†**श्री कानूनगो :** पिछले वर्ष यह ७१२ थी ।

†**श्री राधे लाल व्यास :** हमारे देश में विदेशी शिल्पिकों की संख्या कितनी है और उनको रखने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास सूचना नहीं है । यह एकत्र करने में बहुत समय लगेगा । मैंने यह कहा है कि ७१२ का मामला मंत्रालय द्वारा साफ कर दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मा० मंत्री को सही आंकड़े मालूम हैं यह दर्शाने के लिये कि आया सहयोग वाले किसी उद्योग में विदेशी प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या १९५७ की अपेक्षा अब कहीं अधिक है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं । संख्या उतनी ही है जितनी सर्वथा आवश्यक है । और हम १९५७ के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि इस अवधि में गति बहुत बढ़ गई है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या मंत्री जी सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि विदेशी प्रविधिक आयात किये जायेंगे या तभी मंगवाये जाते हैं जब कि उस योग्यता का कोई भारतीय शिल्पिक उपलब्ध नहीं होता ?

†**श्री कानूनगो :** ठीक यही सिद्धान्त है । और हम उसके लिये विशेषाधिकार देते हैं क्योंकि विदेशी प्रविधिक आय कर से मुक्त हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या विदेशी शिल्पिक हमारे भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** निस्संदेह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी :** विदेश से प्रविधिक लोगों को मंगवाने के लिये उद्योगों की अग्रता का क्रम क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** यह विशिष्ट प्रकार के उद्योग पर निर्भर करता है जहां प्रविधिक ज्ञान और प्रविधिक सहयोग आवश्यक पाया जाता है, क्योंकि अपने देश में प्रविधिक ज्ञान नहीं है।

†**श्री सोनावाने :** पहली योजना अवधि से लेकर आज तक भारत में आने वाले कितने विदेशी शिल्पिक भारत से चले गये हैं और कितने अभी यहीं है ?

†**श्री कानूनगो :** आंकड़े एकत्र करने में बहुत समय लगेगा। किन्तु मैं मा० सदस्य को बता सकता हूं कि अब तक जितने विदेशी शिल्पिक लगाये गये हैं उनमें से कोई भी अधिक देर तक ठहरने को उत्सुक नहीं है।

†**श्री क० ना० तिवारी :** भारतीयों को उन कामों को संभालने के योग्य बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री कानूनगो :** इस के अतिरिक्त, हमारी बहुत ऊंची किस्म की प्रविधिक संस्थायें हैं जहां लोग आ रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हमारी योजना की समाप्ति और अब के बीच विदेशी प्रविधिक लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं उत्तर दे चुका हूं। तुलना कठिन है क्योंकि यह किसी निश्चित समय और दूसरे निश्चित समय पर औद्योगिक उत्पादन अथवा संस्थाओं पर निर्भर करेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हमें मंत्री से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें आंकड़े नहीं दिये गये। हम उचित निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं ?

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या :** हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई की दृष्टि से क्या विदेशी शिल्पिकों को रुपयों में दिये जाने वाले वेतन भत्ते आदि की सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं, क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अखबारी कागज

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कजरोल्कर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागजों का कोटा कुछ कम कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिये एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ऐसे पत्र जो दैनिक और ऊंचे स्तर के पत्र हैं, कागज का कोटा कम मिलने से आकार में छोटे निकलने लगे हैं और उनमें सामग्री भी सीमित होती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बड़े पत्रों को जितना कोटा अब तक मिलता रहा है उतना बराबर बनाये रखने के लिये कुछ विचार कर रही है ;

(ङ) अखबारों को कागजी कोटा पूर्ववत् सबको एक जैसा मिलता रहे इस सम्बन्ध में भी क्या कुछ विचार किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी हां। जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की वार्षिक आवश्यकता १०० और १००० मी० टन तथा उससे अधिक होती है उनके बारे में क्रमशः ५ प्रतिशत और ७½ प्रतिशत की कटौती की गई है और यह कटौती देश के सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर समानरूप से लागू होती है। जिन छोटे अखबारों में १०० मी० टन वार्षिक से कम अखबारी कागज की खपत होती है उनके बारे में कोई कटौती नहीं की गई है। यह कटौती १६६१ के वर्ष में उनकी आवश्यकता के परिमाण के आधार पर की जाती है। यह कटौती करने में समाचार पत्रों को यह छूट दी गई है कि वे अपनी इच्छानुसार चाहे उनका आकार या पृष्ठों की संख्या या उनका सर्कुलेशन घटा दें।

(घ) से (च). आई० ई० एन० एस० से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : १ मई १६६२ को सरकार की ओर से ऐसा आदेश प्रसारित किया गया था कि उन समाचारपत्रों की जिन की बिक्री-संख्या अक्तूबर–दिसम्बर १६६१ में ५०,००० तक थी और जिन की बिक्री संख्या उससे अधिक थी, तो ५०,००० तक वालों को २० प्रतिशत बढ़ाने की सुविधा दी गई थी और उससे अधिक वालों को १५ प्रतिशत बढ़ाने की सुविधा दी गई थी लेकिन फिर ३१ जुलाई को एक नया आदेश दिया गया है कि १६६१ में जितनी संख्या उनकी थी उसमें भी साढ़े सात और पांच प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस थोड़े से अर्से में कौन सी ऐसी विशेष कठिनाइयां उत्पन्न हुईं कि ये दो आदेश एक साथ देने पड़े ?

श्री मनुभाई शाह : सारे देश को मालूम है और इस हाउस को भी मालूम है कि फारेन एक्सचेंज का क्राइसिस तो इस फाइनेंशल यीअर में शुरू हो गया था और जो बाहर के देशों से, विदेशों से मदद वगैरह मिलती थी, उसमें भी देरी हो गई। आज हमारी फारेन एक्सचेंज के बैलेंस की जो सिचुएशन है उसको फाइनेंस मिनिस्टर साहब साफ कर चुके है और सारी स्थिति इस हाउस के सामने रखी जा चुकी है। उसके मातहत ही सारी कटौती कर दी गई थी, जुलाई में।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ३० जुलाई १६६२ से जब से यह आदेश लागू किया गया है तो क्या उसमें यह भी एक क्लाज़ है कि १ अप्रैल १६६२ से यह लागू होगा, यदि हां, तो मई के अन्दर जो आदेश दिया गया था, उसके अनुसार जिन अखबारों ने बिक्री संख्या बढ़ा दी थी, उनके आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : पूरी तरह से इसको ख्याल में रखा गया है जब से कि यह नया आर्डर इशू हुआ है। १ अप्रैल से पहले जो ज्यादा कजंम्पशन किया होगा उसको सरकार मुजरा कर देगी और उस पर कटौती नहीं लगेगी क्योंकि वह तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया है। आइंदा आने वाली क़जप्पशन जो है, उस सब को मिला कर यह कटौती लगेगी।

श्री भक्त दर्शन : जो नई कटौती की गई है वह क्या केवल इसी छमाही के लिए है या अनन्त काल के लिए इसको कायम रखा जायगा ? क्या उसकी कोई मियाद है ?

श्री मनुभाई शाह : सारी लाइसेंसिंग पालिसी जो होती है वह एनुअल होती है, अनन्त काल के लिए पालिसी यहां होती नहीं है और न ही हो सकती है। हमारा इरादा यह है कि जहां जहां कटौती की गई है, उसको जैसे जैसे हमारी पोजीशन सुधरे, हमारी हालत सुधरे, बहाल करने की कोशिश की जाए। यह पालिसी केवल न्यूजपेपर इंडस्ट्री के लिए नहीं, जोकि एक सैंसेटिव सैक्टर है, बल्कि सभी के लिए है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या आकार घटाने और पृष्ठों की संख्या घटाने आदि के मामले में समाचारपत्रों को पूर्ण स्वाधीनता दी गई है या कोई न्यूनतम आकार आदि निश्चित किये गये है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बड़े महत्व का बड़ा नाजुक और पेचीदा प्रश्न होने के कारण, हम समाचारपत्रों के स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, ताकि वे या तो अपना आकार ठीक करलें या वे पन्नों की संख्या ठीक कर लें या वे अपना परिचालन ठीक कर लें, ताकि अनिवार्य कटौती के अन्दर जो देश को बहुत सी दिशाओं में करनी पड़ी है, जिसमें एक नवीनतम कटौती समाचारपत्रों पर लगाई गई है, उन को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।

†**श्री कजरोलकर :** देश के विविध भागों में दैनिक भाषा समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** स्पष्ट निष्कर्ष है। जबकि हम हमेशा अधिकाधिक परिचालन और अधिकाधिक पाठकों का स्वागत करते है, वर्तमान परिस्थितियों में, यदि हम अपने संशोधनों को सुरक्षित रखें तो बेहतर होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या आदेश में एक अखबार से दूसरे अखबार तक अखबारी कागज के हस्तांतरण पर भी प्रतिबन्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विधि के अधीन इस की अनुमति नहीं हैं। नवीन अधिसूचनाओं के अन्तर्गत भी, उन्हीं व्यवस्थापकों के अधीन, यदि तीन, चार या पांच प्रकाशन होते है, वह प्रकाशनों के संबंध में ही स्थानन्तरणीय नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** वर्तमान कमी कितनी है, जिसमें या० मंत्री अखबारी कागज पर यह कटौती लगा रहे है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विदेशी मुद्रा की कमी अखबारी कागज की कमी नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** अखबारी कागज की मांग कितनी है और मांग की तुलना में कमी कितने प्रतिशत है जिस कारण सरकार ने अब यह कटौती लगाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : अखबारी कागज की कमी के कारण कटौती लागू की गई है। कटौती विदेशी मुद्रा की कमी के कारण लागू की गई है। यदि हमें विदेशी मुद्रा की कोई कठिनाई न होती तो संभवतः हम ने इसे नर्म कर दिया होता जैसा हमने पहले किया था। किन्तु यह सच है कि कुल उपलब्धि, इस कटौती या अन्य कटौती के पश्चात, विदेशी मुद्रा भी इतनी है कि इसके विभिन्न उद्योगों पर जिनमें अखबारी कागज उद्योग शामिल है, बहुत प्रतिबन्ध और रुकावट लगा दी है। हो सकता है कि यदि हम अधिक दे सकते, वे अधिक परिचालन कर सकते थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्चे पटसन का निर्यात

†*५१७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६२ से कुल कितना कच्चा पटसन विदेशों को भेजा गया ;

(ख) किन किन देशों ने आयात किया और क्या बिक्री मूल्य उनके साथ तय किया गया था ;

(ग) नयी फसल से इस साल सितम्बर तक संभवतः कितना कच्चा पटसन बाजार में पहुंच जायेगा ; और

(घ) कच्चे पटसन की फसल के लिये "बफर स्टाक" का काम कब शुरू होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १७३६० गांठें।

(ख) आयातक देश हैं पौलैंड, जैकोस्लोवाकिया और पश्चिम जर्मनी। लोक हित की दृष्टि से मूल्यांकन बताना ठीक नहीं है। मूल्य सामान्यतया प्रतियोगिता में टिकने वाले है।

(ग) लगभग ९ से लाख गांठों तक।

(घ) मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिये जब कभी आवश्यकता होगी, काम जारी रहेगा।

पाकिस्तानी सेनाओं का करीमगंज क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश

†*५३२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सरजू पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने जुलाई १९६२ के पहले सप्ताह में करीमगंज (आसाम) से लगभग ९७ मील की दूरी पर लाटी टिल्ला क्षेत्र में भारतीय सीमा में अनधिकृत प्रवेश किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्होंने स्थानीय ग्रामीण लोगों को नौकरियों के लिये पाकिस्तानी सरकार से प्रार्थना करने को कहा ;

(ग) क्या उन्होंने लाटी टिल्ला में तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा सेवा को यह धमकी दी कि वह ग्रामीणों की बस्ती के अन्दर न जायें ; और

(घ) क्या उन्होंने दावा किया है कि कुछ गांव पाकिस्तान के हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क), (ग) और (घ) ५ जुलाई १९६२ को पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने पुटनीनाला के पश्चिम में थोड़ी भमि पर गश्त करने के लिये हमारी सीमा सेनाओं के अधिकार को चुनौती देकर लाटीटिल्ला क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न किया था। भारतीय सीमा सेनाओं ने पाकिस्तान की बात स्वीकार नहीं की और पुटनीनाला के पार थोड़ी भूमि की गश्त करने के अपने अधिकार पर आग्रह किया।

विवाद के संबंध में सैक्टर कमांडरों के स्तर पर ९ जुलाई को चर्चा हुई थी किन्तु कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके पश्चात, दोनों ओर के ब्रिगेड कमांडरों की बैठक २३ जुलाई को हुई और सशस्त्र मुठभेड़ को रोकने के लिये यह तय हुआ कि उस थोड़ी भूमि पर पाकिस्तान और भारत दोनों गश्त बन्द कर दें।

यह मामला फिर १ अगस्त को ढाका में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उठाया गया और पूर्व पाकिस्तान को यह बताया गया कि थोड़ी भमि पर जो पुटनीनाला के पश्चिम में थी, भारतीय नियंत्रण हमेशा रहा है और यह स्थिति पाकिस्तान द्वारा एक बैठक में स्वीकार की गई थी जो नवम्बर १९५९ में दोनों पक्षों के उस समय के ब्रिगेड कमांडरों के बीच हुई थी। आसाम के मुख्य सचिव ने यह प्रस्ताव रखा कि ब्रिगेड कमांडरों को जिन्होंने १९५९ में पाकिस्तान और भारत दोनों को स्वीकार्य समझौता तैयार किया था, उस विवाद को निपटाने में सहायता करने के लिये पुनः बुलाया जाये । पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार किया।

(ख) सरकार को इस के बारे में कोई सूचना नहीं है।

कृषि श्रमिकों की आय

†*५३३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि जनता के सब कार्यों की वास्तविक आय में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, कृषि श्रमिकों की वास्तविक आय में पिछली दो योजना अवधियों में लगभग १२ प्रतिशत तक गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या उपाय करने का विचार करती है ताकि इस वर्ग का भी रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या]**

विवरण

जबकि यह सच हो सकता है कि सभी प्रकार की जनता की वास्तविक आय बढ़ी है तो यह निर्णय करना निराधार है कि खेतिहर मजदूर की वास्तविक आय कम हुई है। १९५०–५१ और १९५६–५७ में पहली तथा दूसरी खेतिहर मजदूर जांच से आंकड़ों की तुलना से नहीं मालूम होता कि जबकि अन्य लोगों की आय बढ़ी है तभी खेतिहर मजदूर की वास्तविक आय कम हुई है। दोनों कृषि जांचों के आंकड़ों की तुलना करना कठिन है इसलिए यह समझना ठीक नहीं है कि खेतिहर मजदूरों की वास्तविक आय कम हुई है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त टैक्निकल समिति ने इस प्रश्न की जांच कर ली है और यह निर्णय किया है कि ऐसा समझना ठीक नहीं है कि १९५०–५१ की तुलना में १९५६–५७ में खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति में कमी आई है अथवा सुधार हुआ है। तीसरी विस्तृत खेतिहर मजदूर जांच (ग्रामीण श्रम जांच) तीसरी योजना में करने का निर्णय किया गया है जिससे १९५६–५७ और १९६२–६३ के बीच खेतिहर मजदूर की दशा का विस्तृत विवरण मालूम हो सके।

योजना आयोग में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित की गई है जिससे खेतिहर मजदूरों की समस्या का विस्तृत विवरण मिल सके और उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए सुझाव मिल सकें। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ कार्यवाही की है।

टैरामाइसीन का उत्पादन

†*५३४. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिम्परी हिन्दुस्तान-ऐंटी बायोटिक्स फैक्टरी में टैरामाइसिन का उत्पादन बन्द हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीकी फर्म 'फीजर' ने दावा किया है कि टैरामाइसिन फार्मूला उनका पेटेंट है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग). इस वर्ष के प्रारम्भ में हिन्दुस्तान ऐंटी-बायोटिक्स समिति पिम्परी ने एक तरीका निकाल कर उसके द्वारा औक्सिटेटकासीक्लीन हाइडरोक्लोराइड का निर्माण आरम्भ किया था। उन्होंने आपने तरीके के लिये एकस्व प्राप्त करने के लिये अर्जी भी दी थी। मैसर्स फिशर ऐंड कम्पनी, अमरीका ने एकस्व पर झगड़ा किया, और मामला एकस्व तथा डिजाइन नियंत्रक, कलकत्ता के विचाराधीन है। नियंत्रक का निर्णय होने तक, हिन्दुस्तान ऐंटी बायोटिक्स ने, अस्थायी उपाय के तौर पर, पिम्परी में औक्सीटेटरासिक्लीन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन बन्द कर दिया है ।

•

सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन

†*५३५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की का करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

राजघाट समाधि

†*५३६. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट समाधि का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) क्रम १ का काम प्रगति पर है । क्रम २ का काम अभी मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) जून १९६२ के अन्त तक १८,३३,८३० रुपये का कुल भुगतान किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस को निर्यात

†*५३७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस सरकार ने वर्ष १९६२ में फ्रांस में भारतीय वस्तुओं के आयात के लिये विशेष अभ्यंश (कोटा) की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के लिये अभ्यंश की अनुमति दी गयी है और ये अभ्यंश किस तिथि तक वैध रहेंगे ;

(ग) क्या इन वस्तुओं को फ्रांस निर्यात करने पर कुछ प्रशुल्क लाभ भी प्राप्त होगा ;

(घ) क्या इन अभ्यंशों को वर्ष १९६३ के लिये बढ़ाने की भी कोई संभावना है ; और

(ङ) क्या किसी विशेष वर्ष में कुल अभ्यंश में किसी वृद्धि की अनुमति दिये जाने की कोई आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**] ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). ये वास्तविक वार्तालाप करने के मामले हैं जो १९६२ के अन्तिम भाग में होगी । इस समय कोई संकेत देना संभव नहीं है ।

पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय

†*५३८. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाल सरकार की डिग्री संख्या ४४४१६, दिनांक २५ जुलाई, १९६२ को उन भारतीय राष्ट्रजनों के पक्ष में, जो पुर्तगाली क्षेत्र छोड़ने वाले हैं और भारत वापस आने वाले हैं, आपरिवर्तित कराने के सरकार के प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उनको पुनर्वासित करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि ने जो इस समय कोयोज में है, बताया है कि पुर्तगाली अधिकारियों ने अनिश्चितकाल के भारतीय राष्ट्रजनों को ऋणों और उनकी सम्पत्तियों को जब्त करने का काम स्थगित कर दिया है । संयुक्त अरब गणराज्य सरकार अपनी डिक्री

†मूल अंग्रेजी में

संख्या ४४४१६ को मान्यता दिलाने के लिये पुर्तगाल सरकार को मनाने का प्रयत्न कर रही है।

(ख) भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार उन भारतीय राष्ट्रजनों को, जो पुर्तगाली इलाके को छोड़ जाते हैं, अपनी आस्थियों को ले जाने दिया जाएगा। भारत सरकार यह आशा करती है कि पुर्तगाली प्राधिकारी करार को कार्य रूप में परिणत करेंगे। इसलिये इस समय भारत सरकार द्वारा भारत आने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के पुनर्वास के लिये कोई विशेष कार्रवाई की जाने का सवाल पैदा नहीं होता।

समुद्री उत्पादन निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†*५३९. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने टीन के डिब्बों के अधिक मूल्यों तथा उनकी कमी के कारण समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने में अनुभव होने वाली अपनी कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) क्या परिषद् ने सरकार से अनुरोध किया है कि अपेक्षित मात्रा में डिब्बों के आयात की अनुमति दें और केरल में डिब्बे बनाने के नये कारखाने की स्थापना की स्वीकृति दे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कराने वाला यह उद्योग हमारी अर्थ-व्यवस्था में अपना पूर्ण अंशदान दे सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) योग में अचानक वृद्धि हो जाने तथा परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण टीन के डिब्बों की अस्थायी कमी हो गई थी। अब इस को ठीक कर लिया गया है।

सरकार ने डिब्बा संभरणकर्ताओं के साथ उन के द्वारा ली जाने वाली कीमत के बारे में बातचीत की थी। इस के परिणामस्वरूप संभरण में सुधार होने की आशा है और मूल्य भी कम हो जायेंगे। एक नई फैक्टरी स्थापित करने का प्रश्न दीर्घकालीन है और गुण दोष के आधार पर इस पर विचार किया जायेगा।

आसनसोल कोयला क्षेत्र में पानी का संभरण

†*५४०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान खान स्वास्थ्य बोर्ड के मुख्य सफाई अधिकारी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आसनसोल कोयला क्षेत्र में तथा खान अस्पताल में भी पीने का पानी गन्दा पाया गया है;

(ख) पीने के पानी के साथ किये जाने का कोई प्रबन्ध न होने के क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पानी के संभरण की दो योजनाओं को रद्द कर दिया गया है; और

(घ) खनिकों को कितने उचित समय में पीने का पानी मिलने लगेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । किन्तु मुख्य स्वच्छता अफसर ने बताया है कि प्रेस में उनका भाषण गलत छापा गया है ।

(ख) कुछ कोयला खानों में जल को फिल्टर करने तथा शुद्ध करने की व्यवस्था है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) पीने के पानी के संभरण की कुछ व्यवस्था पहले ही है । जल संभरण की अवस्था को सुधारने के बारे में प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं ।

भू-राजस्व

†*५४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषतः १० एकड़ से कम वाली जोतों पर से भू-राजस्व समाप्त करने की आवश्यकता तथा औचित्य पर विचार कर लिया है तथा राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर ली है;

(ख) (१) भू-राजस्व से तथा (२) बिना सिंचाई वाले दस एकड़ों तथा सिंचाई वाले पांच एकड़ों से कम जोतों से कुल कितनी आय है; और

(ग) खेती योग्य कितने प्रतिशत भूमि ५० एकड़ से अधिक जोत वाली है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, नहीं । इस मामले के बारे में हाल के वर्षों में राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई ।

(ख) १९६०–६१ में भूमि राजस्व से ९७ करोड़ रुपये की आय हुई थी । भूमि के टुकड़े कितने हैं यह मालूम नहीं है ।

(ग) १९५३–५४ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (८वें चक्र) के अनुसार, ५० एकड़ से अधिक भू-भागों वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या ग्रामीण जनता की कुल भूमि का लगभग ६ प्रतिशत है ।

रबड़ की खेती

†*५४२. **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की खेती के लिये भूमि की उपयुक्तता के निश्चय का समस्त देश में सर्वेक्षण इस बीच कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या रबड़ बागान उद्योग का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये मलाया और लंका भेजा जाने वाला शिष्टमंडल इस बीच भेजा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). रबड़ बोर्ड भौतिक सर्वेक्षण करने से पहले सब राज्यों से रबड़ की खेती के लिये उपयुक्त भूमि की उपलब्धि के बारे में सूचना एकत्रित कर रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

उद्योगों के लिये लाइसेंस धारी

†*५४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति विभिन्न उद्योगों के लाइसेंसों को बहुत दिनों से बिना क्रियान्वित किये रोके हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस इस शर्त पर जारी किये जाते हैं कि लाइसेंस वालों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें । इस के सम्बन्ध में की गई प्रगति पर समय समय पर विचार किया जाता है और जिन मामलों में, बिना पर्याप्त कारण, लाइसेंस वाले सक्रिय कदम उठाने में असफल रहे है, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाती है ।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

†*५४४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त प्रबन्ध परिषदें कितने औद्योगिक एककों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं तथा योजना की क्रियान्विति के बाद से प्रत्येक वर्ष के अलग अलग आंकड़ों के अनुसार ये कितने एककों में असफल रहीं ;

(ख) क्या इन परिषदों के कार्यवहन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय संयुक्त प्रबन्ध परिषदें ३४ एकांशों में काम कर रही हैं । उनका वर्षवार ब्यौरा और योजना के चालू होने से लेकर जिन एकांशों में इन परिषदों ने काम बन्द कर दिया है, वह नीचे दिया जाता है :

वर्ष	एकांशों की संख्या जहां परिषदें काम कर रही हैं	एकांशों की संख्या जहां संयुक्त परिषदों ने काम बन्द कर दिया है
१९५८ . .	२३	—
१९५९	२२	१
१९६०	२८	२
१९६१ .	२९	८
१९६२	३४	—

(ख) और (ग). अभी तक २६ एकांशों में योजना के कार्य का मूल्यांकन किया गया है । इन मूल्यांकनों से पता चलता है कि उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध, अधिक स्थिर श्रमिक बल, बढ़ी हुई उत्पादकता, छीजन में कमी, उत्तम लाभ और सब से अधिक भिन्न भिन्न क्रम से प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच घनिष्ठतर समझौता भावना कुछ एकांशों में जहां संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का कार्य सफलताजनक रहा है ।

दिग्वाडीह कोयला खान, धनबाद में दुर्घटना

†*५४५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ अगस्त, १९६२ को दिग्वाडीह कोयला खान, धनबाद में छत गिर जाने से कुछ खनिक मर गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) प्रभावित परिवारों को तुरन्त सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) दुर्घटना की तथा उसके कारणों की जांच कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि जुलाई १९६२ में धनबाद की एक और अन्य खान में इसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी जिसमें छः खनिक मर गये थे; और

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या सरकार का विचार झरिया की कोयला खानों में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारणों की जांच के लिए एक विशेष समिति स्थापित करने का तथा इनको रोकने के लिये कठोर कार्यवाही करने का है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). ७ अगस्त, १९६२ को दिगवाडीह कोयला खान में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक शौट फायरर और एक मशीन फिटर मारे गये थे और एक खनिक सरदार तथा कोयला काटने की मशीन चलाने वाले व्यक्ति को गहरी चोटें लगीं ।

(ग) किसी विशेष सहायता के लिये अभी तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई ।

(घ) उप मुख्य खान निरीक्षक ने इस घटना के होने के तुरन्त पश्चात् दुर्घटना की जांच की ।

(ङ) १९ जुलाई, १९६२ को सीता नाला कोयला खान में एक दुर्घटना हुई जिसमें छः व्यक्ति मारे गये तथा एक घायल हुआ ।

(च) नहीं । परिस्थितियां ऐसी नहीं कि ऐसी समिति स्थापित की जाये । दोनों दुर्घटनाएं रोकी जातीं यदि विनियमों में दिये गये रक्षा उपबंधों का पूर्ण पालन किया गया होता ।

क्वार्टरों का बिना बारी के दिया जाना

†*५४६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के बिना बारी के दिये जाने (आउट-आफ-टर्न अलाटमेंट) के बारे में नीति में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई नीति की क्रियान्विति के बाद ऐसे कितने अलाटमेंट किये गये तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) पहले क्वार्टर बिना बारी के विविध कारणों से दिये जाते थे । १ अप्रैल, १९६२ को लगभग १४०० ऐसे मामलों में क्वर्टार देने थे । इनमें से कुछ मामले दो वर्षों से भी पुराने थे । इसलिये समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि भविष्य में बिना बारी क्वार्टर केवल स्वास्थ्य के कारण पर अर्थात् सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नि (अथवा पति यथास्थिति या आश्रित बच्चे की बड़ी बीमारी) दिये जायें ।

(ग) ४२

तांबा, जस्ता आदि का कुल उत्पादन

†१४२७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश म तांबा, जस्ता, निकल और अल्युमीनियम का वर्तमान कुल उत्पादन कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी

(ख) देश की कुल मांग से इसका क्या अनुपात है ; और

(ग) इन अलौह-धातुओं में कब तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने की योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) तांबा, जस्ता, निकल और अल्युमीनियम के बारे में वर्तमान उत्पादन और देश में अनुभावित आवश्यकता से इसका अनुपात निम्न प्रकार है :

धातु का नाम	वर्ष १९६१–६२ में प्राक्कलित उत्पादन (मीटरिक टनों में)	वर्तमान आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में उत्पादन
तांबा	९,०००	१० प्रतिशत
जस्ता (जापान में परिशोधित)	४,०००	५ प्रतिशत
निकल . . .	शून्य	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता
अल्युमीनियम	२०,०००	३५ प्रतिशत

(ग) देश म इन धातुओं के अयस्क-निक्षेपों की कमी के कारण अल्युमीनियम के अतिरिक्त निकट भविष्य में आत्म-निभर होने की कोई सम्भावना नहीं है । यह सम्भावना है कि वर्ष १९६५–६६ तक अल्युमीनियम में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी ।

बाह्य प्रचार

†**१४२८. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष विदेशी प्रचार पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) भारत के विदेशी प्रचार के लिये कितने पदाधिकारी नियोजित किये गये हैं ; और

(ग) क्या विदेशों में भारत के प्रचार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के कार्य का समय समय पर मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १०६,३७,९०० रुपये ।

(ख) ७९

(ग) वे पदाधिकारी विदेशों में भारतीय मिशनों के मुखियाओं के विदेश और पर्यवक्षण में काम करते हैं । मिशन का प्रत्येक मुखिया अपने अधीन पदाधिकारियों के काम का मूल्यांकन करने के लिये उत्तरदायी है । वैदेशिक कार्य मन्त्रालय भी अन्य विभिन्न तरीकों से प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य का मूल्यांकन करता है ।

†मूल अंग्रेजी में

लंका जाने के लिये भारतीय साथों के प्रतिनिधियों को वीसा

†१४३०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ६ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका जाने के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिये (जिनको पारपत्र दिये जा चुके हैं और भारत के रक्षित बैंक ने विदेशी मुद्रा भी दे दी है) लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) शून्य ।

(ख) यथार्थ निर्यातकों को जो निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी देते हैं, शीघ्र ही प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाते हैं ।

औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण

†१४३१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने की कोई योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) राज्य सरकारों को औद्योगिक सहकारी समितियों को बड़ी मात्रा में कार्यवाहक पूंजी ऋण देने और उनके सदस्यों को अंश पूंजी ऋण देने, औद्योगिक सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों और औद्योगिक सहकारी बैंकों के अग्रिम धन की प्रत्याभूति करने, औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्य की देख-भाल करने के लिये इन बैंकों द्वारा नियुक्त प्रबन्ध और पर्यवेक्षण कर्मचारियों की लागत पर सहायता देने और जहां ये बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों पर धन लगाने में असमर्थ हों, सहकारी समितियों में धन लगाने के लिये भारत के राज्य बैंक के अधिकरण का प्रयोग करने को कहा गया है ।

भारत में माल परिवहन का भविष्य

†१४३२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ने सड़क द्वारा परिवहन में भारी वृद्धि के कारण माल के परिवहन में बुरे भविष्य के लिये भारतीय रेल को चेतावनीदी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रभाव को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ;

(ग) क्या ब्रिटिश विशेषज्ञ ने भविष्य में माल परिवहन को सुधारने और बनाये रखने के लिये कोई सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गोआ में होटल

†१४३३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार गोआनियों को अपने प्रदेश में तीन होटल चलाने के लिये सहायता देने को सहमत हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह-अयस्क का निर्यात

†१४३४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम विदेशों को भारतीय लौह-अयस्क के अधिक मात्रा में निर्यात के अवसरों का पता लगा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष १९६१ में देश-वार कितनी वृद्धि का पता लगा है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ कमाया ; और

(घ) परिवहन और पत्तनों पर माल संभालने की क्षमता की कमियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये कई कदम उठा रहा है । वर्ष १९६१ में वर्ष १९६० की अपेक्षा निर्यात में ६२,००० टन (मूल्य ५६ लाख रुपये) की वृद्धि हुई। एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष १९५८ से १९६१ तक देश-वार लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि के आँकड़े दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) किसी एक वस्तु पर कमाये गये लाभ के बारे में बताना जन-हित में नहीं है। तथापि, राज्य व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा विवरण नियमित रूप से सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

(ग) राज्य सरकारों ने सड़कों और पत्तनों पर सुविधाओं में सुधार का कार्य आरम्भ किया है और वे खनन कार्य के विकास और आधुनिकीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार से सहयोग कर रही हैं।

कानपुर में गन्दी बस्तियों को हटाना

†१४३५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के लिये गन्दी बतिस्यों के हटाने की योजना के अधीन कुछ और धन मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष १९६१ और १९६२ में कितना धन मंजूर किया गया है ;

(ग) इस योजना के अधीन कुल कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). द्वितीय योजना-काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में १७४.३९ लाख रुपये की लागत से ४७१६ मकान बनाने की, गन्दी बस्तियों को हटाने की दो परियोजनायें और लगभग ५ लाख रुपये की लागत से एक गन्दी बस्ती सुधार परियोजना मंजूर कीं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में गन्दी बस्तीयों वाले क्षेत्रों में निजी मकानों के सुधार के लिये ५ लाख रुपये का ऋण और मंजूर किया है।

पंजाब के कांगड़ा जिलें में यूरेनियम के निक्षेप

†१४३६. **श्री गो० कु० सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के काँगड़ा जिले में बड़ी मात्रा में यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सर्वेक्षण के दौरान अणु-शक्ति विभाग के आणविक खनिज डिवीजन में पंजाब में काँगड़ा जिले की पारबती घाटी में व्यापक रूप से रेडियो-सक्रियता जोन का पता लगाया है। सर्वेक्षण कार्य को व्यापक रूप दिया गया है और उसको समीपवर्ती बस्तियों में भी बढ़ाया गया है। विस्तृत जाँच जारी है। यदि जाँच से अधिक निक्षपों का पता चला, तो निक्षेपों का यह पता लगाने और निर्धारण के लिये विकास किया जायेगा कि वाणिज्यिक रूप से उनका शोषण उचित है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड

†१४३७. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश टिटेनियम प्राडक्ट्स कम्पनी लिमिटड त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड के साथ किये गये विक्रय करार को तोड़ रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं। एसा कोई संकेत नहीं है कि ब्रिटिश टीटन प्राडक्ट्स कम्पनी लिमिटड त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटड के साथ किये गये अपने वर्तमान करार को पूरा नहीं करेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आलू का निर्यात

†१४३८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० त्रिवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में बहुत अधिक मूल्य का प्रस्ताव किये जाने पर भी ब्रिटेन और फ्रांस को भारतीय आलू का निर्यात नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य देशों को निर्यात में भी कटौती की गयी ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). ३० जून, १९६२ तक भारतीय आलू का आयात करन के लिये केवल ब्रिटेन ने आलू की फसल के मौसम के अन्त में, इस शर्त पर कि प्रेषकों के साथ उद्भिद्-स्वच्छता प्रमाणपत्र भेजे जायें, पूछताछ की। यह प्रस्ताव इसलिय स्वीकार नहीं किया गया कि ताजे आलू, जिन के लिये ये प्रमाणपत्र दिय जा सकते थे, निर्यात के लिये उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने जिस मूल्य का प्रस्ताव किया था, वह भी आकर्षक नहीं था।

(ग) और (घ). वर्ष १९६१–६२ में शकरकंदी और बीज को आलू की अपेक्षा आलू के निर्यात में सामान्य कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय का निर्यात

†१४३९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय के निर्यात में इसकी किस्म के कारण कमी हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चाय उद्योग नई मशीनें आयात करके इसकी किस्म में सुधार करना चाहता है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय चाय की उत्पादन-लागत विश्व में सब से अधिक है ;

(घ) क्या यह सच है कि चाय उद्योग ने अपनी विदेशी मुद्रा की आय में से कुछ भाग को मशीनें खरीदने के लिये खर्च करने की अनुमति देने के लिय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) जी, नहीं ।

(ख), (घ) और (ङ). क्योंकि बढ़िया किस्म की चाय से अधिक मूल्य मिलता है, उद्योग को नवीनता मशीनों आदि, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, के आयात की आवश्यकता है । सरकार ने उद्योग को आश्वासन दिया है कि इस बारे में उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने क लिये भरसक प्रयत्न किया जायगा ।

(ग) जी, हाँ ।

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन और अनुज्ञापन नियम

†१४४०. **श्री बिशन चन्द्र सेठ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन तथा अनुज्ञापन नियम, १९५२ में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस में कब संशोधन किया जायेगा ;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंड़ल के फैडरेशन और अन्य संस्थाओं और संगठनों की टिप्पणी पर विचार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उनके सुझावों पर किस हद तक सहमति प्रकट की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) नियम संसद के समक्ष कब रखे जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन और अनुज्ञापन नियम, १९५२ में संशोधन करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। नियमों को अन्तिम रूप देन में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के फडरेशन और अन्य संगठनों की टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और मामले को जब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि विभिन्न संगठनों द्वारा दिय गये सुझावों से कहाँ तक सहमति की गयी है ।

(ङ) अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (४) के अनुसार इन नियमों को बनाने के बाद यथा संभव शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण संघ

†**१४४१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक खान श्रम कल्याण संघ के लिये एक पृथक् आयुक्त नियुक्त करने की जोरदार मांग है ;

(ख) क्या अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के सचिव का पद बनाया गया है, जिसका सदर-मुकाम कोडरमा में होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सचिव कोडरमा में कार्य करता है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कल्याण पदाधिकारी कोडरमा में रखा गया है जब कि सचिव का सदरमुकाम धनबाद में है ।

खान निरीक्षणालय

†**१४४२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक खान निरीक्षणालय कोडरमा में चल रहा है ;

(ख) वर्तमान पदाधिकारियों के क्या नाम हैं, उनका अधिकृत पद नाम क्या है और वे कोड-रमा में कितने समय से काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को उन में से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो उन शिकायतों का क्या स्वरूप है ? और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) श्री एम० एस० काहलोन, प्रादेशिक खान निरीक्षक, ८-४-१९६० से ।

श्री वी० पी० पार्टी, खान निरीक्षण, १२-१-१९६१ से ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रजी में

विदेश कार्यालय भवन का निर्माण

†१४४३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ब्लाक के दक्षिण में बनाये गये जाने वाले विदेशी कार्यालय के लिये एक इमारत के लिये सर्वोत्तम डिजाइन चुनने के लिये एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डिजाइन आमंत्रित किये गये हैं ; और

(ग) इमारत के निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

ग्राम्य क्षेत्रों में मीट्रिक तौल और माप का प्रयोग

१४४४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीट्रिक बाटों और पैमानों के विषय में ग्रामीण जनता को जानकारी प्रदान करने के लिये क्या किया जा रहा है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मीट्रिक बाट और माप के प्रयोग में हुई प्रगति का पता लगाने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री मनुभाई शाह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को मीट्रिक बाटों तथा वर्तमान बाटों के साथ साथ उनका सम्बन्धबताने के लिये प्रचार के विभिन्न माध्यम अपनाये गये हैं । इन में पोस्टरों, फिल्मों तथा प्रदर्शिनियों आदि का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है । फील्ड पब्लिसिटी यूनिट द्वारा गांवों में प्रचार गाड़ियां घुमाई जाती हैं और प्रदर्शन तथा भाषणों के द्वारा प्रचार किया जाता है । इस कार्य के लिये बाट और माप निरीक्षकों का भी उपयोग किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों के बाट तथा माप पैमाना नियंत्रकों के पास से इस कार्य को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति के बारे में समय समय पर रिपोर्टें मिलती रहती हैं। स्थायी जो मीट्रिक समिति का सम्पर्क संगठन विभिन्न बाजारों और ग्रामीणों क्षेत्रों में किये गये दौरों के आधार पर सीधे रिपोर्टें भी भेजता है ।

लम्बाई नापने के मीट्रिक माप

१४४५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बाई नापने के मीट्रिक पैमानों का प्रयोग समस्त देश में कब से वास्तव में अनिवार्य हो जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्धमें कोई ढील देना चाहती है ;

(ग) क्या लम्बाई नापने की मीट्रिक पैमाने काफी संख्या में देश में बनाये जा रहे हैं ; और

(घ) इनकी कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) लम्बाई नापने के मीट्रिक पैमानों का प्रयोग १ अक्तूबर , १९६२ से अनिवार्य हो जायेगा।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय बोर्ड का विपणन कार्यालय

†१४४६. **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन काफी बोर्ड का विपणन कार्यालय कोट्टायम से हटाकर केरल राज्य के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को राज्य में काफ़ी व्यापारियों से इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप राज्य को दस लाख रूपये वार्षिक के राजस्व की हानि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं। कोटायम उप-कार्यालय बन्द कर दिया गया और इसका कार्य आर्थिक और प्रशानिक कुशलता के लिये केरल में कोझिकोड़े में सहायक काफी विपणन पदाधिकारी के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत नेपाल सीमा पर छापा

†१४४७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री श्री नारायण दास :
श्री योगन्द्र झा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों पर नेपाली पुलिस तथा संभरण सशस्त्र सेनाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक २९ जून, १९६२ के 'इण्डियन नेशन" में उल्लिखित परेशानी मारपीट तथा अत्याचार के अन्य कार्यों के निश्चित उदाहरणों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय राष्ट्रजनों को नेपाली पुलिस के परेशान करने की कुछ घटनाओं का पता सरकार को लगा है, परन्तु यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है कि ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।

(ख) हां, श्रीमान। बिहार सरकार हमें इनकी ओर सीमा के पास रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को परेशान किये जाने की अन्य ऐसी ही घटनाओं की सूचना देती रही है।

(ग) भारतीय सीमा के नेपाली पुलिस द्वारा घोर उल्लंघन किये जाने के मामलों के बारे में नेपाल सरकार को सूचना दी जाती है। यह कार्य भारत में नेपाल के राजदूत को विरोधपत्र देकर किया जाता है। नेपाल में भारतीय राष्ट्रजनों को अधिक परेशान किये जाने के मामलों पर नेपाल में भारतीय राजदूत नेपाल सरकार से वार्ता करता है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से (१) भारतीय राज्य क्षेत्र में नेपाली पुलिस का अवैध प्रवेश रोकने, और (२) नेपाल में भारतीय राष्ट्रजनों को परेशान किया जाना रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर जोर दिया है।

सीमान्त क्षेत्रों में सुख से रहना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए बिहार सरकार से कहा गया है।

रबड़ के बाग

†**१४४८. श्री अ० ब० राघवन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून के दिनों में पत्ता-रोग के कारण दक्षिण भारत में रबड़ के बागों में कितना नुक्सान आ ; और

(ख) दक्षिण भारत में रबड़ के बागों में फाइटांफ् थोरा पल्मीबोरा ओडियम हरिवस जैसे पत्ता-रोगों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यदि रोक थाम न की जाय तो मानसन के दिनों ९० प्रतिशत पत्ते खराब हो जाते हैं।

(ख) पत्ता-रोग रोकने के लिए रबड़ बोर्ड ने निम्न कार्यवाही की हैं :—

(१) पत्ता-रोग के चिह्नों का ब्यौरा त , नियंत्रण उपाय बताने वाली उदारणायुक्त पुस्तिका उगाने वालों में बाँटना। बाग मालिकों के मांर्ग दर्शन के लिय रबड़ बोर्ड के बुलेटिनों में ऐसे ही लेख प्रकाशित होते हैं।

(२) प्रत्येक जिले में रबड़ अनुदेशक निरीक्षण करते तथा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में उगाने वालों को सलाह देते हैं। व्यक्तिगत बागानों में उगाने वालों को हुए लाभ दर्शाने के लिए कार्यवाही का प्रदर्शन भी किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) इरस्प्रे करने और औषधि–चूर्ण बखेरने के लिए छोटे उत्पादकों को इस्प्रेयर और डस्टर मुफ्त दिये जाते हैं। सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के बागों में प्रयोग किये जाने के लिए इस्प्रेयर ऋण पर दिये जाते हैं।

(४) विद्युत् चालित 'डस्टरों' से गन्धक के बखेरने से 'ओडियम हीव की रोक थाम करने का प्रदर्शन अनेक बागों में किया गया है।

(५) रबड़ बोर्ड ने हेलीकाप्टरों से इस्प्रे करने की जाँच करने में सहायता दी है।

बोर्ड उत्तम फंगस-रोग नाशक और सामान के बारे में जाँच पड़ताल कर रहा है।

शीशा कारखाना, तले गांव में विस्फोट

†१४४९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालेगाँव में शीशा-कारखाने के गैस संयंत्र में ६ जुलाई, १९६२ को एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए; और

(घ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को संबंधित प्राधिकारियों ने क्या सहायता दी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) हाँ ऽ

(ख) उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई, विस्फोट के कारणों की जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ग) (१) मरे व्यक्ति . . . कोई नहीं।

(२) घायल व्यक्ति . . १२१ व्यक्ति

(घ) विचार है कि पूना प्रदेश के सहायक आयुक्त दुर्घटना की जाँच कर रहे हैं और संबंधित कम्पनी घायल व्यक्तियों की यथा संभव सहायता करने की कार्यवाही कर रही है।

अभ्रक खान क्षेत्र में बेरोजगारी

†१४५०. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि आन्ध्र के अभ्रक खान-क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति बरोजगार हैं;

(ग) बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अभ्रक उद्योग के विकास के मार्गोपाय सुझाने, बरोजगारी दूर करने और इस उद्योग संबंधी अन्य समस्याओं के बारे में सिफारिश करने के लिए अभ्रक जाँच समिति नियुक्त करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय म श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) हाँ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) नहीं।

अभ्रक निर्यात परिषद्

†१४५१. **श्री यलमन्दा रेड्डी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वयं मूल्य निश्चित करने वाले विदेशी खरीदारों से अभ्रक निर्माताओं के हितों की रक्षा की करने के लिए अभ्रक निर्यात परिषद् को परिनियत अधिकार देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) परिषद् को ऐसा कोई परिनियत अधिकार देने का विचार नहीं है। फिर भी, स्तरीकरण, प्रकार नियंत्रण और ऐसी पण्य वस्तुओं के लिए मूल्य स्थरीकरण उद्योग परीक्षण के सामान्य प्रश्न विचाराधीन हैं।

वस्तु विनिमय व्यापार

†१४५२. { **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वस्तु विनिमय निर्यात तथा आयात के बारे में राज्य सरकार निगम की क्या नीति है ;

(ख) ऐसे व्यापारों से पिछले तीन वर्षों में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त थी ;

(ग) नये खरीदार देशों को नई वस्तुओं का निर्यात से कितनी निर्यात आय हुई ; और

(घ) वस्तु विनिमय व्यापार की जाँच करने के लिए आयात का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) वस्तु विनिमय व्यापार की स्वीकृति देने की साधारण नीति यह सुनिश्चित करना है कि आयात केवल ऐसी अनिवार्य वस्तुओं का किया जाय जो किसी भी हालत में मुक्त विदेशी मुद्रा से आयात करनी ही होंगी और वस्तु विनिमय व्यापार में निर्यात केवल उन वस्तुओं का होता है जो अन्यथा संबंधित बाजारों में नहीं जाती। यदि जाती है तो केवल वस्तु विनिमय से।

(ख) अगस्त, १९५९ से वस्तु विनिमय के आधार पर ४२.९१ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ।

(ग) १६.५२ करोड़ रु० की नई वस्तुओं का निर्यात किया गया। नये देशों को १४.९३ करोड़ रु० का निर्यात किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अब तक वस्तु विनिमय से आयात हुए हैं :—

वस्तु	मूल्य (करोड़ रु०)
१. ट्रेक्टर	.०१३
२. अखबारी कागज	०.०८
३. इस्पात का सामान	१५.११
४. जाइन्ट टायर	०.२१
५. इस्पात ट्यूब	०.२०
६. कृत्रिम रेशमी सूत	०.२०
७. वायुयान	२.३८
८. छपाई व लिखाई का कागज़	०.४३
९. उर्वरक	३.९१
१०. छपाई की मशीन	०.१२
११. गेहूं आदि (सीसीसी वस्तु विनिमय)	१६.६०

राजस्थान म केन्द्रीय परियोजनाओं का व्यय

†१४५३. **श्री मुरारका :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय परियोजनाओं पर अब तक पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितना व्यय हुआ है ;

(ख) राशि का क्या ब्योरा है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) :** (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

तिब्बत में भारतीय कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियां

१४५४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मन्त्री** २२ जून १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत स्थित भारतीय वाणिज्य अभिकरणों के भारतीय कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियों को भारत लाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : २२ जून १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या १६३४ का उत्तर दिए जाने के बाद से, हमारी व्यापार

†मूल अंग्रजी में

एजेंसियों में काम करने वाले भारतीय, सिक्किमी और नेपाली कर्मचारियों की ८ तिब्बती पत्नियों को तिब्बत छोड़ कर भारत आने की इजाज़त दे दी गई है ; उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा प्रवास (एग्जिट) परमिट दे दिए गए थे।

एक सिक्किमी और एक नेपाली कर्मचारी की तिब्बती पत्नियों को अभी तक भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई है। चीनी अधिकारियों ने सिक्किमी कर्मचारी की राष्ट्रिकता पर आपत्ति की है और कहा है कि वह चीनी राष्ट्रिक है। इन मामलों पर चीनी अधिकारियों के साथ लिखापढ़ी की जा रही है।

केरल में हथकरघा के कपड़े पर छूट

†**१४५५. श्री प० कुन्हन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में हथकरघा उद्योग परामर्शदाता बोर्ड से कोई निवेदन मिला है कि उनाम समारोह के समय विशेष छूट सुविधा दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत कृषक समाज

†**१४५६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार कृषक समाज का, जिसने वर्ष १९५९ में राजधानी में विश्व कृषि मेला आयोजित किया था, केन्द्रीय सरकार का बहुत ऋण है और देय राशि का अभी भुगतान नहीं किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : प्रदर्शनी स्थल का किराया सहित शर्तों वाला एक प्रारूप लाइसेंस एक्का भारत कृषक समाज को भेजा गया था। उन्होंने शर्तों पर कुछ आपत्ति की थी और लाइसेंस फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किये । बाद में, समाज से कहा गया कि वे सरकार को देय ३५,५७,६४६ रुपये का भुगतान करे। इस राशि का गणना प्रारूप लाइसेंस की शर्तों के आधार पर किया गया था। समाज ने अब तक ३,२९,७९३ रुपये का भुगतान किया है । उन्होंने सरकार द्वारा अपनाया गया कर निर्धारण आधार स्वीकार नहीं किया है। मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भारत सेवक समाज

१४५७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को अब तक कितने रुपये का कार्य करने के ठेके केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि ३ करोड़ रुपये के ठेके १९६० के अन्त तक भारत सेवक समाज को दिये गये थे ; और

(ग) कितने राज्यों ने भारत सेवक समाज को सलाहकार समिति अथवा बोर्ड बनाया है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) १.७५ करोड़ रुपये।

(ख) जी, हां ।

(ग) किसी भी राज्य ने भारत सेवक समाज को सलाहकार समिति अथवा बोर्ड के रुप में नियुक्त नहीं किया है ।

सरकारी बस्तियों के लिये स्थायी मन्त्रणा समिति

१४५८. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २२ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बतिस्यों के लिये जो स्थायी मंत्रणा समिति नियुक्त की गई थी १९६१ कीं समाप्ति तक उसकी कुल कितनी बैठकें हुईं ;

(ख) इन बैठकों में किस प्रकार के सुझाव दिये गये ; और

(ग) प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) एक, ८ अगस्त, १९६२ को।

(ख) समिति ने श्रीनिवासपुरी में एक मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र, एक पुलिस चौकी, और मुख्य सड़क से मिलाने का एक और मार्ग बनाने, ऐंड्रूज़गंज में एक डाक घर बनाने तथा कस्तूरबा नगर को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का सुझाव दिया।

(ग) इस विषय में सम्बन्धित प्राधिकारियों से कहा गया है ।

गन्धक का निर्माण

†**१४५९.** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमकोर पाइराइट से गन्धक बनाने की वाणिज्य की दृष्टि से उपयुक्त किसी निधि का पता लगा है ;

(ख) क्या नार्वे की आर्कला नामक फर्म के अलावा अन्य कोई किसी फर्म ने परीक्षण किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). सफल प्रारम्भिक प्रयोगशाला परीक्षणें के आधार पर कुछ परीक्षात्मक जांच नार्वे के मैसर्स आर्कला के कारखाने में अमकोर पाइराइट से गन्धक बनाने के लिए की गई थी। इन परीक्षणों के बारे में आर्कला की रिपोर्ट से भारतीय अयस्क परामर्श का फार्मूला विधि से विधायक करने की उपयुक्यतता की अनिश्चित बात का पता लगा है। अतः अमकोर पाइराइट से गन्धक बनाने के लिए अन्य वाणिज्यिक उपयुक्तता विधि ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी का पता नहीं लगा है।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के सुझाव की जांच पड़ताल

†१४६०. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसचें एसोसियेशन, कोइम्बटूर के अध्ययन दल ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों पर उस के प्रभाव की जांच पड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख) मुख्य निष्कर्ष दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]** दि साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन एक व्यक्तिगत निकाय है। सरकार और राज्य सकर्मचारी बीमा निगम एसोसियेशन के सारे निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं।

बर्मा को सूखे झींगों[1] का निर्यात

†१४६१. **श्री मे० क० कुमारन्** :
श्री हेडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सूखे झींगों की बर्मा में बहुत मांग है ; और

क्या बर्मा को सूखे झींगों का निर्यात बढ़ाने की संभावना खोजी जा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह') : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान : पिछले दो वर्षों में बर्मा को झींगों का निर्यात बढ़ गया है।

त्रिपुरा में चमड़ा उद्योग

†१४६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा में चमड़ा उद्योग आरम्भ करने के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के कोई प्रस्ताव दिया है ;

---

[1] अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;. और

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में चमड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग से सिफारिश करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान्। फिर भी, खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने अस्थायी तौर पर १.८४ लाख रुपये की राशि आवंटित की थी। यह राशि वर्ष १९६२–६३ में त्रिपुरा में चमड़ा उद्योग का विकास करने के लिए नियत की गई थी।

(ग) नहीं, श्रीमान्। खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग प्रति वर्ष खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए प्रस्ताव मांगता है और राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ विचार विमर्श कर के प्रस्तावों पर निश्चय किया जाता है।

त्रिपुरा में कैलेंन्डरिंग मशीन

†१४६३. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन की कोई योजना त्रिपुरा में बुनकरों के लाभ के लिए कलेन्डरिंग मशीन लगाने की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) संभव है कि योजना पर १.२५ लाख रुपये व्यय हों। मशीन की क्षमता ३० से ४० गज कपड़ा प्रति मिनट कैलेन्डर करेगी।

पुनर्वास उद्योग निगम

†१४६४. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम ने आसाम तथा त्रिपुरा को अब तक कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पुनर्वास उद्योग निगम को कोई प्रस्ताव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिये ऋण दिये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) शून्य।

(ख) हां।

(ग) योजनायें निगम के विचाराधीन हैं और निगम द्वारा निर्धारित बातें पूरी होती हैं तो निगम उनके लिए ऋण देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में ग्राम उद्योग

†१४६५. **श्री दशरथ देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, त्रिपुरा ने ग्राम उद्योगों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में किन किन व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को ऋण दिया है ;

(ख) स्थापित किये गये उद्योगों की वित्तीय स्थिति कैसी है ; और

(ग) इस प्रकार स्थापित किये गये उद्योगों की स्थिति में पुनः सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) त्रिपुरा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड एक परामर्शदाता निकाय है । उसने त्रिपुरा में ग्राम उद्योगों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में किसी व्यक्ति या सहकारी समिति को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कोयला क्षेत्रों म सहायता केन्द्र[1]

†१४६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला क्षेत्रों में २० नये सहायता केन्द्र खोलने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन केन्द्रों का कैसे वितरण किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). विभिन्न कोयला क्षेत्रों में फैला कर १८ सहायता केन्द्र खोलने का अस्थायी रूप से निश्चय किया गया है । ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है इस का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	स्थान	टिप्पणी
	बिहार	२१-२-६२ को खोला
१	रामगढ़	जा चुका है ।
२	फुलारीटांड	
३	अमला बाद	
४	आरंगढीह	

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rescue stations

क्रमांक	स्थान	टिप्पणी
	आन्ध्र प्रदेश	
५	बेलममल्ली	
	पश्चिम बंगाल	
६	नीन गाह	
७	रानीपुर	
८	जामबाद	
	असम	
९	(स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया)	
	मध्य प्रदेश	
१०	साहदोल	
११	बिसरामपुर	
१२	झिलमिली	
१३	कोरबा	
	उड़ीसा	
१४	तलचर	
१५	हंगीर रामपुर	
	उत्तर प्रदेश	
१६	सिंगरौली	
	महाराष्ट्र	
१७	बालारपुर	
१८	कम्पटी	

व्यापार बोर्ड

†१४६७. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड ने जुलाई मास में कोई बैठक की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हां । श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) व्यापार बोर्ड ने ६ जुलाई, १९६२ को कलकत्ता की अपनी बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की थी :

(१) पटसन, सूती कपड़े और चाय के निर्यात की संभावनाएं

(२) लागत कम करने का कार्यक्रम

(३) महत्वपूर्ण निर्यात कार्यों के लिए सार्वजनिक मान्यता

(४) एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था की स्थापना

(५) निर्बाध व्यापार क्षत्रों की स्थापना ।

उपरोक्त विषयों पर बोर्ड द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित है :—

(१) कलकत्ता में एक छोटी सी प्रदर्शनी खोली जाये जिसमें देश और विश्व के अन्य भागों में तैयार पटसन के वस्त्रों की विभिन्न किस्में एकत्र की जायें ताकि उत्पादन और उपयोग दोनों दृष्टियों से पटसन का उद्योग विश्व की प्रगति के साथ साथ चल सके ।

(२) वस्त्र की तैयार किस्मों जैसे कि रंगे हुए छपे हुये या विशेष रूप से तैयार माल का निर्यात बढ़ोने के लिए अधिक जोरदार कदम उठाने चाहियें ।

(३) विशेष रूप से आस्ट्रेलिया और अन्य विशेष प्रदेशों वाले देशों में चाय बोर्ड के प्रचार के प्रयत्नों को तेज करना चाहिये ।

(४) लागत में कमी सम्बन्धी कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति स्थापित करनी चाहिये जिसका प्रधान ऐसा व्यक्ति हो जिसे लागत लेखा का काफी अनभव हो ।

(५) निर्यात सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों के सार्वजनिक मान्यता दिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई ।

(६) डा० लोक नाथन से प्रार्थना की गई कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था स्थापित करने की योजना तैयार करें ।

(७) निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई ।

गोआ का विकास

†१४६८. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोआ सरकार को परामर्श दिया है कि वह गोआ के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार करे ;

(ख) यदि हां, तो गोआ प्रशासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोआ प्रशासन ने इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समन्वित विकास के हेतु योजना तैयार करने के लिए श्री डब्ल्यू० एक्स० मेस्कारेवहस की अध्यक्षता में एक योजना बोर्ड स्थापिता किया है ।

मनीपु र बांध निर्माण विभाग में प्रभाग

†१४६९. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री स० टो० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४८ तक मनीपुर लोक निर्माण विभाग के केवल तीन प्रभाग थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अब मनीपुर लोक निर्माण विभाग के १२ प्रभाग है और मनीपुर प्रदेश परिषद् के अधीन भी एक लोक निर्माण विभाग है ; और

(ग) मनीपुर लोक निर्माण विभाग में १२ प्रभागों का होना कहां तक न्याय संगत है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) ३ नगर कार्यों सम्बंधी और एक बिजली प्रभाग था ।

(ख) इस समय ८ नगर कार्यों सम्बंधी और एक बिजली सम्बंधी प्रभाग है ।

(ग) मनीपुर लोक निर्माण विभाग में काफी काम बढ़ गया है जिस कारण कर्मचारी वर्ग में वृद्धि न्याय संगत है ।

भारतीय व्यापारियों द्वारा तिब्बत में छोड़ी गई आस्तियां

†१४७०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **प्रधान मन्त्री** १९ जून, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५४ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के कारण भारतीय व्यापारियों द्वारा तिब्बत में छोड़ी गई विभिन्न आस्तियों की सूची तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) हां, श्रीमान् भारतीय व्यापारियों द्वारा तिब्बत में छोड़ी गई अस्तियों के आंकड़े उन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एकंत्र कर लिए गये हैं ;

(ख) इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार न बिके माल का मूल्य १६ लाख रुपये है । भारतीय राष्ट्रजनों की अचल सम्पत्ति का मूल्य अनुमानतः १५ लाख रुपये है । तिब्बतियों द्वारा हमारे व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण अनुमानतः २० लाख रुपये हैं ।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन योजना

†१४७१. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियों के प्रार्थनापत्रों को शीघ्र निबटाने के लिए कई प्रक्रिया चलाई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन योजना के अधीन अनुज्ञप्तियों के प्रार्थनापत्रों के शीघ्र निबटाने के विचार से सरकार ने वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन किया है। नयी प्रक्रिया के ब्योरे की घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जा रही है ।

निष्क्रांत भूमि को पंजाब को बेचा जाना

†१४७२. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१–६२ में और चालू वर्ष में पंजाब सरकार को कितने एकड़ निष्क्रांत भूमि बेची गई और किन शर्तों पर ;

(ख) उक्त भूमि के मूल्य के रूप में उक्त राज्य से कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) राज्य सरकार को उक्त भूमि निबटाने के लिए किस ढंग से परामर्श दिया गया है ; और

(घ) क्या इस भूमि को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों में वितरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). वर्ष १६६१–६२ में और चालू वर्ष में पंजाब सरकार को बेची गई निश्क्रांत कृष्य भूमि, उससे ही वसूल की गई राशि तथा बिक्री की शर्तों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६)**

(ग) तथा (घ). राज्य सरकार को भूमि बेच देने के पश्चात् यह काम राज्य सरकार का है कि वह उसके उपयोग के लिए योजना तैयार करे ।

गोआ में सामुदायिक विकास खण्ड

†१४७३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ, देव और दमन में सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कार्यक्रम कब आरम्भ होने की संभावना है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह कार्यक्रम वैसा ही होगा जैसा देश के अन्य भागों में चल रहा है। खण्डों के मुख्य कार्य कृषि, मत्स्यपालन, छोटी सिंचाई सुविधाएं और ग्रामीण कला शिल्प और उद्योग का विकास करना तथा स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक शिक्षा, संचार आदि की व्यवस्था करना है। संघ राज्य क्षेत्र में १० से १२ तक सामुदायिक विकास खण्ड होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खण्डों की स्थापना अक्तूबर १९६२ में आरम्भ हो जायेगी ।

भारतीय पेटेंट अधिनियम

†१४७४. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय पेटेंट अधिनियम को और संशोधित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह ब्योरा इस समय देना संभव नहीं ।

बिहार में बेरोजगार लोग

†१४७५. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष से बिहार में शिक्षित बेरोज़गारों में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) उनकी पंजीबद्ध संख्या कितनी है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :** (क) तथा (ख). बिहार के रोज़गार दफ्तरों के रजिस्टरों में शिक्षित बेरोज़गारों की जो संख्या जून १९६१ में २२,७६० थी वह जून १९६२ के अन्त में बढ़ कर २९१०७ हो गई थी ।

मिस्त्रियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल

†१४७६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन निर्माण उद्योग में काम करने वाले मिस्त्रियों और अन्य लोगों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने के प्रस्ताव में क्या कोई प्रगति अभी तक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :** (क) भवन और निर्माण संबंधी उद्योग में प्रशिक्षण के लिए एक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

सरकारी उपक्रम

†१४७७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी उपक्रमों ने भारत और विदेश में विभिन्न स्थानों पर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या और वार्षिक व्यय क्या है ; और

(ग) ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता व्यय, उपयोग और प्रयोजन क्या हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय म उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

दण्डकारण्य परियोजना

१४७८. श्री बड़े : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी जीपें १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ और १९६२ में अब्र तक दण्डकारण्य परियोजना के लिये खरीदी गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी जीपें ठीक चलती हैं ;

(ग) कितनी जीपें खराब होकर पड़ी हैं ;

(घ) १९५८ के पश्चात् कितनी जीपें नीलाम से बीची गई और कितने-कितने में नीलाम हुई ;

(ङ) जो जीपें खराब हो गई हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है और सरकार उनको काम में लेना चाहती है या नहीं ; और

(च) कितनी जीपें खो गई हैं जिन का पता नहीं चल सकता ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा की मेज़ पर रख दी जायगी ।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स पर बकाया ऋण

†**१४७९.** **श्री सोनावने :**
श्री प० ना० कमाल :
श्री सिद्दय्या :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड शोलापुर के नाम ऋण की कुल कितनी राशि है ; और

(ख) इसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाईशाह)** : (क) तथा (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने प्रत्यक्षतः शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड को कोई धन राशि नहीं दी । किन्तु इन मिलों को दिसम्बर, १९५६ से प्रति वर्ष ५ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत दर से ब्याज सहित ९४ लाख रुपये की राशि महाराष्ट्र सरकार को देनी है । इस राशि में से ४६.५

†मूल अंग्रेजी में

लाख रुपये की राशि भारत सरकार के तत्कालीन बम्बई सरकार को उक्त मिलों को उधार देने के लिए दी थी ।

(ख) इन मिलों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण सरकार द्वारा ऋण वसूल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका । इन मिलों की स्थिति की जांच एक जांच समिति द्वारा की जा रही है जो १६ जुलाई, १९६२ को स्थापित की गई थी । आगे की कार्यवाही जांच समिति की उपपत्तियों और सिफारिसों के आधार पर की जायेगी ।

चमड़ा रंगने का उद्योग

†१४८०. **श्री मुहम्मद ताहिर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा रंगने का उद्योग स्थापित क्षमता से कम क्षमता पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार कच्ची खालें विदेश से आयात कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) हां, श्रीमान । बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में स्थापित क्षमता के अनुपात में वास्तविक उत्पादन ६० प्रतिशत है, छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में ५४ प्रतिशत और ग्राम तथा कुटीर उद्योग में ८१ प्रतिशत है ।

(ख) चमड़ा रंगने वाले कारखानों का स्थापित क्षमता से कम क्षमता पर काम करने का मुख्य कारण यह है कि खालों की कमी है ।

(ग) नहीं श्रीमान । कच्ची खालें आयात करने की अनुमति स्थापित आयात कर्ताओं और वास्तविक उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम वर्ष की आयात में से १०० प्रतिशत तक की अनुमति दी जाती है।

कांगड़ा में चाय का सहकारी कारखाना

१४८१. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने सहकारी चाय फैक्टरी कांगड़ा जिले में लगाने की योजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुप रेखा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार ने चाय बोर्ड द्वारा ३ लाख रु० का ऋण दिया जाना स्वीकार कर लिया है।

(ख) भीड़ा में ५,००,००० रु० की पूंजी लागत पर एक चाय फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव है । इसका प्रबन्ध एक सहकारी समिति करेगी । इस फैक्टरी की उत्पादन क्षमता २,००,००० पौंड काली

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय होगी तथा इसमें बैजनाथ इलाके में पैदा होने वाली सब चाय तैयार की जा सकेगी। इस सहकरी समिति की हिस्सा पूंजी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(१) सहकारी समिति के सदस्यों का अंशदान . .	५०,०००
(२) समिति के हिस्से खरीदने के लिये पंजाब सरकार की हिस्सा पूंजी	५०,०००
(३) पंजाब सरकार के जरिये चाय बोर्ड द्वारा समिति को दिया गया ऋण	३,००,०००
(४) समिति को राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण . .	१,००,०००
योग .	५००,०००

सहकारी फैक्टरी स्थापित करने के लिये वित्तीय आवश्यकता का अनुमान नीचे दिया जा रहा है :—

(१) कुल अचल सम्पत्ति

	रु०
(१) भूमि की कीमत . . .	५,०००
(२) इमारत की कीमत . . .	१४०,०००
(३) मशीनों का मूल्य	२,४२,०००
योग .	३,८७,०००

(२) संचालन पूंजी

	रु०
तीन महीने की आवश्यकता	७०,०००
योजना की कुल लागत	४,५७,०००

यह चाय फैक्टरी सहकारी समिति के सदस्यों के अलावा इस क्षेत्र के गैर-सदस्य चाय उत्पादकों की भी चाय का परिष्करण आवश्यक निर्माण लागत लेकर करेगी।

स्वागत समारोहों में भारतीय शराब "जिन" का प्रयोग

†१४८२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ जुलाई, १९६२ के इंडियन एक्सप्रेस (विजयवाड़ा संस्करण) में यह समाचार निकला है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में ही यह परिपत्र निकाला है कि स्वागत समारोहों में भोजन से पूर्व फलों के रस के साथ भारतीय "जिन" पिलाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई परिपत्र निकाला है ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) भारत सरकार ने जून, १६६२ में एक परिपत्र निकाला था कि जिन औपचारिक सह-भोजों पर भारत सरकार के आतिथ्य अनुदान में से व्यय किया जाता है उनमें भारतीय जिन को हल्का करके पीने के लिए दिया जा सकता है । यह अनुदान केवल विदेशी अतिथियों के स्वागत आयोजन के लिए है ।

आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड

†१४८३. श्री अ० ना० विद्यालंकार क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद से कितनी कम्पनियों को वित्तीय और प्रविधिक सहायता दी है और उस द्वारा प्रति वर्ष कितनी धन राशि व्यय की जाती है ;

(ख) लोगों को अधिकतम और न्यूनतम कितनी कितनी सहायता दी जाती है ;

(ग) उन आविष्कारों की सूची क्या है जिन्हें पुरस्कार देने के लिये उपयुक्त समझा गया ; और

(घ) भावी आविष्कारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने और उनके साथ सम्पर्क बनाने के लिए बोर्ड ने क्या साधन अपनाये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जितने लोगों को वित्तीय और प्रविधिक सहायता दी गई . . . ११२

दी गई वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष व्यय की गई राशि	रुपये
१६६०–६१ .	२३,८६५
१६६१–६२ .	१,२२ ७६६
१६६२–६३ . . (जुलाई १६६२ तक)	४०,७२८

(ख) दी गई अधिकतम सहायता . . . १८,०००
दी गई न्यूनतम सहायता . . . २६

(ग) १६६१–६२ में पुरस्कार प्राप्त करने वाले आविष्कारों की जानकारी की पत्रिका संसद भवन में रखी गई है । १६६२–६३ के पुरस्कारों की घोषणा वर्ष के अन्त में की जायेगी ।

(घ) (१) बोर्ड की स्थापना के प्रथम वर्ष देश भर के अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में विज्ञापनों द्वारा प्रचार और जिन आविष्कारों को वित्तीय सहायता और पुरस्कार दिये गये उनके ब्यौरे का समय समय पर प्रकाशन ।

(२) देश भर में विभिन्न संगठनों और अभिकरणों को जैसे कि वाणिज्य मंडलों, मजदूर संघों, औद्योगिक संस्थाओं आदि को बोर्ड के कार्यों और पद्धतियों सम्बन्धी साहित्य भेजना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेकेदारों द्वारा करार का उल्लंघन

†१४८४. **श्री प्रिय गुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हादड़ा स्टेशन पर पोर्टरों को मजूरी के भुगतान के सम्बन्ध में पार्सल ठेकेदार द्वारा करार के उल्लंघन पर सरकार ने अन्तिम विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). ठेकेदार ने अब न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर अर्थात् २ रुपये ७५ नये पैसे प्रति दिन के हिसाब से नियुक्त किये गये १७५ पोर्टरों में १४९ को भुगतान कर दिया है। शेष २६ पोर्टरों के सम्बन्ध में ठेकेदार ने उन सरदारों से जिनके द्वारा वे नियुक्त किये गये थे, कह दिया है कि वे उन्हें मजूरी देने के लिए बुलायें ।

संसद सदस्यों के लिये निवृत्ति वेतन

†१४८५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के लिए सेवा निवृत्ति वेतन की योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे किसी विचार अथवा योजना पर सक्रिय विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, उस पर कहां तक विचार किया जा चुका है ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में वर्गभेद

†१४८६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लिये विशेष समिति के सभापति तथा उप-सभापति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर ज़ोर दिया है कि (वर्ण भेद सम्बन्धी) दक्षिण अफ्रीका की नीति "आदेश, राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र, मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तथा मानव के प्रबुद्ध विवेक के सिद्धान्तों और प्रयोजनों के विपरीत है ; " और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्र संघ की वृहत्सभा को कुछ कार्यवाही करने के लिये सिफारिश करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार समिति के सभापति और उपसभापति के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और वृहत्सभा के अगले अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उचित हिदायतें

---

†मूल अंग्रेजी में

दे दी जायेंगी । भारत सरकार ने विशेषकर दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की स्वाधीनता तथा वर्ण भेद पर आधारित नीति के दक्षिण अफ्रीका द्वारा त्याग देने के सभी व्यवहारिक उपायों का बराबर समर्थन किया है ।

बिहार में छोटा नागपुर का पिछड़ापन दूर करना

†१४८७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर का पिछड़ापन दूर करने के लिय क्या ठोस उपाय किय गय हैं ;

(ख) क्या केन्द्र ने केवल इसी प्रयोजन के लिय कोई राशि मंजूर की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है ।

मध्य प्रदेश में आण्विक खनिज पदार्थ

१४८८. **श्री उटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश स्थित सीधी जिले में गोपद नदी के किनारे यूरेनियम के प्रचुर भंडार हैं तथा उसी जिले में बेरिलियम निक्षेप होने की सूचना क्या अणुशक्ति विभाग के पास है ; और

(ख) क्या इन आण्विक खनिजों को उपयोग में लाने के लिये सरकार उचित कदम उठा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) परमाणु शक्ति विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गोपद नदी के किनारे यूरेनियम के किन्हीं भंडारों का पता नहीं लगा । गोपद, मोहन और घामर नदियों के किनारों पर मोनाज़ाइट से युक्त काली रेतों के कुछ छोट और बिखरे हुए खण्ड मिले हैं । सीधी जिले में डागा-बर्गवा गांव के नज़दीक केवल एक बरिल पेगमेटाइट का पता लगा है ।

(ख) मोनाज़ाइट-युक्त पाई जाने वाली काली रेत थोड़ी और बिखरी हुई है इसलिये उस के उपयोग में लाने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । बेरिल रेडियो-एक्टिव खनिज नहीं है और इस का विभागीय रूपण नहीं किया जाता । इस खनिज की खोजबीन और खनन के लिये गैर-सरकारी पार्टियों को तकनीकी सलाह, नमूनों के निःशुल्क विश्लेषण आदि के रूप में सब सम्भव उत्साह और सहायता दी जाती है । निर्धारित न्यूनतम बेरिल युक्त अयस्क भी विभाग द्वारा खरीदा जाता है ।

शराब के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

१४८९. **श्री उटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी शराब के आयात पर १९६०, १९६१ और १९६२ में १५ जुलाई तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) महुए की शराब विदेशों को भेज कर कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). भारत में आयात की गई तथा यहां से निर्यात की गई शराब का मूल्य निम्न प्रकार था :

वर्ष	मूल्य (हजार रु० में)	
	आयात	निर्यात
१९६०	५०४०	१
१९६१	३८२८	१०
१९६२ (जून० से मई तक शामिल करके) . .	१२७५	..

मई १९६२ से आगे की जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल महुआ के शराब के आंकड़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश के व्यापार वर्गीकरण में इस को अलग से नहीं दिखाया जाता।

कृत्रिम हीरा उद्योग

†१४९०. **श्री उमानाथ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कच्चे माल के अभाव के परिणामस्वरूप देश का कृत्रिम हीरा उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल का अभाव एकाएक कैसे हुआ है ;

(ग) क्या कृत्रिम हीरे के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चा माल देश में तैयार होता है या बाहर से आयात किया जाता है या देश में तैयार होता है और बाहर से भी आयात किया जाता है;

(घ) इस कच्चे माल का कितना उत्पादन होता है और कहां-कहां ;

(ङ) कच्चे माल की आवश्यकता और उत्पादन में कितना अन्तर है ;

(च) क्या देश के किसी भाग से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावदन प्राप्त हुए और हैं यह अभ्यावेदन कहां-कहां से और किन-किन से प्राप्त हुए है ; और

(छ) इस अभाव को पूरा करने के लिये भारत सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) माननीय सदस्य का निर्देश संभवतः 'सेफायर' तथा 'रूबी' जैसे कृत्रिम नगों से है। इन नगों अथवा हीरों का देश में कोई अभाव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह माल देश में तैयार किया जाता है। 'रूबी' तथा सफेद नगों को छोड़ अन्य रंगीन नगों का निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत आयात किया जाता है।

(घ) ये नग बनाने वाले कारखाने का प्रति वर्ष उत्पादन १००० किलो ग्राम है। यह कारखाना मद्रास राज्य में मेट्टूपलायम् में स्थित है।

(ङ) प्रस्तर उद्योग की सफेद पत्थर और रूबी की आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) राजस्थान के कुछ व्यापारियों तथा जौहरियों के भारत में बने पत्थरों के वितरण के तरीके के बारे में अभ्यावेदन किया है ।

(छ) यद्यपि कोई अभाव नहीं फिर भी मेट्टूपलायम् के कारखाने ने विस्तार का कार्यक्रम आरम्भ किया है । मेट्टूपलायम् में बने पत्थरों का राजस्थान लघु उद्योग निगम के ज़रिय जयपुर के निर्यातकों को वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है ।

विलास वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

१४९१. **श्री उटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०, १९६१ और १५ जुलाई, १९६२ तक भारत में व्यापारियों को विलास वस्तुओं जैसे कि टैरिलीन कपड़ा, प्रसाधन सामग्री आदि के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): विलास की वस्तुओं जैसे टैरिलीन कपड़ा और प्रसाधन सामग्री का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है और इन के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती । केवल फिल्म स्टुडियों के लिये मेक-अप में काम आने वाली कुछ प्रसाधन सामग्री जैसे कोलोडियोन, लिपग्लास, दांतों का इनेमल ब्लैक, बरौनियों का मेक-अप करने वाली तथा कुछ ऐसी अन्य विशिष्ट प्रसाधन सामग्री का बहुत ही थोड़े परिमाण में आयात होता है जो देश में नहीं मिलतीं और जिन का थोड़े मूल्य में आयात करने की अनुमति मिली हुई है । अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० तथा अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की लाइसेंस अवधियों में प्रसाधन की वस्तुओं (अंगराग की सामग्री) के लिये कितनी संख्या में तथा कितने-कितने मूल्यों के लाइसेंस जारी किये गये, यह नीचे दिखाया गया है :—

लाइसेंस की अवधि	लाइसेंसों की संख्या	मूल्य (हजार रु० में)
अक्तू० ५९—मार्च ६०	१२	५४
अप्रैल-सितम्बर, ६०	१५	४५
अक्तू० ६०–मार्च, ६१	७	३६
अप्रैल–सितम्बर, ६१	१८	११
अक्तू० ६१—मार्च, ६२ (२८-४-६२ तक) . .	१	नगण्य

अब भारत में लगभग सभी किस्मों की प्रसाधन सामग्री बनने लगी है । फिल्म स्टुडियो के मेक-अप में काम आने वाली सामग्री को देश में ही तैयार करने की स्थिति भी काफी सन्तोषजनक है तथा देश निकट भविष्य में ही इन वस्तुओं के मामले में स्वावलम्बी हो जायेगा ।

नागालैन्ड में पुलिस के डी० आई० जी० की मृत्यु के बारे में जांच

†१४९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आई० जे० जोहर, डी० आई० जी० पुलिस की नागालैंड में मृत्यु के बारे में की जा रही न्यायिक जांच में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है। उस की उपपत्ति यह है कि श्री जोहर जिस झोंपड़ी में रह रहे थे उस में अचानक आग लग जाने पर उस से बाहर निकलने का प्रयत्न करते समय जल कर मर गये।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†१४९३. श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग निगम को मध्य प्रदेश से मशीनरी के क्रयावक्रय के लिये अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनका मूल्य कितना है ;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने कितने आवेदन स्वीकार किये तथा उनका मूल्य कितना है ;

(ग) इनमें से कितने आवेदनों के मामले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने आर्डर दे दिये हैं और उनका मूल्य कितना है ;

(घ) अब तक कितनी मशीनों का वास्तव में संभरण किया गया है और उस का मूल्य कितना है ;

(ङ) मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों को मशीनरी के संभरण में असाधारण विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(च) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कौन से उपाय करने का विचार है ताकि यह पिछड़ा राज्य तेजी से प्रगति करे ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (च). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) २७१९ मशीनों के लिये, जिनका मूल्य १.९४ करोड़ रुपये है, ३० जून, १९६२ तक ५९५ आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) ३० जून, १९६२ तक १७५५ मशीनों के लिये, जिनका मूल्य ८६.७ लाख रुपये है, ४४९ आवेदन स्वीकार किये गये। इसमें वे आवेदन शामिल नहीं हैं जो स्वयं आवेदनकर्ताओं ने वापस ले लिये अथवा निगम द्वारा अधिकांशतः आयात नियंत्रण के विनियमों के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिये गये।

(ग) ४३० मशीनों के लिये बयाना प्राप्त होने पर ३० जून, १९६२ तक २९३ मशीनों के लिये, जिनका मूल्य १९.० लाख रुपये है, आर्डर दे दिये गये हैं।

(घ) मध्य प्रदेश के आवेदनकर्ताओं को ३० जून, १९६२ तक ४७ मशीनों का, जिनका मूल्य २.० लाख रुपये है, सम्भरण किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) और (च). मध्य प्रदेश से अधिक संख्या में आवेदन पिछले तीन वर्षों में ही आये हैं। इसके तुरन्त बाद निगम को विदेशी मुद्रा की कमी महसूस हुई। अब चूंकि निगम को पर्याप्त विदेशी मुद्रा उतलब्ध कर दी गयी है, मध्य प्रदेश के आवेदनकर्त्ताओं को निकट भविष्य में अपनी मशीनें प्राप्त हो जायेंगी।

राज्यों को तांबे के कोटे का आवंटन

†१४९४. श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों को १९६०–६१ में तांबे का जो कोटा दिया गया था वह १९६१–६२ में बढ़ा दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस वृद्धि का प्रतिशत सभी राज्यों के लिये समान है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कोटे में केवल ४१ प्रतिशत वृद्धि की गयी है जबकि अन्य राज्यों के कोटे में १०० से लेकर २०० प्रतिशत वद्धि की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें इतना कोटा क्यों दिया गया है;

(ङ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के आवण्टन के सुव्यवस्थाकरण पर विचार कर रही है ; और

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) से (घ). सभी राज्यों का कोटा समान रूप से नहीं बढ़ाया गया है। जिन राज्यों का कोटा बहुत ही अपर्याप्त था उनका कोटा काफी बढ़ाया गया। ऐसे राज्य हैं, दिल्ली, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, आसाम और हिमाचल प्रदेश। अन्य राज्यों का कोटा भी विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के आधार पर बढ़ाया गया है।

(च) जी, हां। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ८ घंटे की एक पाली के आधार पर अपने अपने राज्यों की अलौह धातुओं की आवश्यकता की सूचना दें।

(छ) जी, हां। अन्य राज्यों से भी ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है।

मोजाम्बिक

१४९५. **श्री बागड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त के पहले सप्ताह में राष्ट्रसंघ के सामने भारत सरकार ने अनुरोध किया था कि मोजाम्बिक की स्वतन्त्रता की मांग की उपेक्षा न की जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी हां। औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वाधीनता दिये जाने की घोषणा पर अमल करने के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे जानने के लिये जो विशेष समिति बनाई गई थी, उसने १० अगस्त, १९६२ को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें, और बातों के साथ-साथ, मोज़म्बीक के लोगों की स्वाधीनता की मांग का समर्थन किया गया। और देशों के साथ भारत ने भी इस प्रस्ताव को पेश किया और वोट देकर इसका समर्थन किया। यह प्रस्ताव विशेष समिति की उस रिपोर्ट का अंग रहेगा जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अधिवेशन में विचार किया जाएगा।

बहुमूल्य पत्थर का निर्यात

†१४९६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में बहुमूल्य पत्थरों का कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) भारत से किन-किन देशों को बहुमूल्य पत्थर (मात्रावार) भेजे जाते हैं ;

(ग) हमें कितना कृत्रिम तथा अन्य प्रकार का बहुमूल्य पत्थर आयात करना पड़ता है ; और

(घ) हमारे निर्यात को बढ़ाने और बहुमूल्य तथा अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थर उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाने का इरादा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ६,५८,००० रुपये

(ख) १९६०–६१ में विभिन्न देशों को किये गये बहुमूल्य पत्थरों के निर्यात की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) निर्यात किये जाने वाले बहुमूल्य पत्थरों के ५० प्रतिशत मूल्य का कृत्रिम तथा अन्य प्रकार का पत्थर आयात किया जाता है।

(घ) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात किये गये तैयार पत्थरों के बदले पत्थरों और आवश्यक औज़ार तथा उपकरण का आयात विदेशी बाजारों में अधिक प्रचार, किस्म के नियन्त्रण की सुविधायें और कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें आदि विभिन्न कदम उठाने का विचार है।

दमन में जमींदारी उन्मूलन

†१४९७. **श्री कजरोलकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन की भतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों की जमीनों के मालिकों के स्वामित्व अधिकार समाप्त करने के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई स्थिति बिगड़ी है ;

(ख) क्या जमींदारों को प्रतिकर दिया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा किस आधार पर ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ङ) प्रतिकर की कितनी राशि होगी ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं । स्थिति सामान्य है । परन्तु दमन के जमींदारों से इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर स्थानीय अधिकारियों की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) २० दिसम्बर, १९६१ से पहले जो उसकी भूमि थी उस पर वह पुर्तगाली सरकार को जितना वार्षिक भुगतान करता था उसका बीस गुना प्रतिकर दिया जा रहा है ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि दावों की जांच करने में लगभग एक वर्ष लग जायेगा ।

(ङ) अनुमानत: २००,००० रुपये ।

त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†**१४९८. श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में त्रिपुरा में घसी, धान कूटना, कताई तथा गुड़ के विकास के लिये त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) वर्षवार उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा में इन उद्योगों की प्रगति के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) अग्रेतर विकास के लिये क्या कदम सुझाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठा की जा रही है ; और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में विद्युत् करघा उद्योग

†**१४९९. श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के विद्युत् करघा उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी आरम्भिक क्षमता क्या होगी ; और

(ग) यह राज्य क्षेत्र में होगी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन ने ३०० विद्युतकरघों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है । ब्यौरों की जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†१५०१. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गठन के बाद से अब तक इसने क्या विशिष्ट कार्य किये हैं ; और

(ख) क्या यह बोर्ड राज्यों के (थोक तथा खुदरा) बिक्री, संगठनों, निर्माण कार्यों तथा अन्य व्यापार संगठनों जिनको यह बोर्ड समय समय पर सहायता, पथ प्रदर्शन तथा सलाह देता रहा है, से सम्पर्क बनाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

†१५०२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कार्यों का सभी राज्यों में संगठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों के क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के अन्तरिम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन विकास कार्यक्रम में १७.४३ लाख व्यक्तियों को पूर्णविधि के रोजगार के क्या ६.८६ लाख व्यक्तियों को अंशकालिक रोजगार के अवसर मिल जायेंगे।

काजू का निर्यात

†१५०३. **श्री प० कुन्हन** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-फरवरी १९६२ में काजू का निर्यात बढ़ गया है ;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि में कुल कितना निर्यात हुआ था तथा कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और अमरीका को काजू का निर्यात कम हो गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी हां। जनवरी–फरवरी १९६२ में २,०९,०६,६१२ रुपये के मूल्य की ६,९५२,२९१ किलोग्राम काजू की गिरी का निर्यात हुआ था जब कि १९६१ के इन्हीं महीनों में ३,०५,३७,०३२ रुपये का आयात हुआ था।

(ग) और (घ). यह कमी इस कारण से हुई थी क्योंकि १९६१ के पिछले कुछ महीनों में और १९६२ के पहले तीन महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गये थे। परन्तु मार्च, १९६२ से मूल्य पुनः ठीक हो गये हैं।

कुछ उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना

†१५०५. श्री अ० प्र० जैन :
श्री धवन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस का कोई अनुमान लगाया है कि महत्वपूर्ण उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, वस्त्र, कागज, चीनी, हल्के तथा भारी रसायनों का कम उपयोग किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार जानती है कि विदेशीमुद्रा अथवा कच्चा माल अथवा कोक तथा कोयला अथवा परिवहन सुविधाओं समेत अन्य कई कारणों से कुछ उद्योगों में स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है। उपयोग न किये जाने के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण में ठेकेदारों के ऐसे बिल जिन का भुगतान न हुआ हो

†१५०७. श्री स्वैल :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ तथा १९५८ में किये गये कामों के लिये पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के बहुत से ठेकेदारों के बिलों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी

†१५०८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को लाया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) को स्थायी बनाना

†१५०९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त श्रम निरीक्षकों को उन २२ रिक्त पदों पर जो १ अप्रैल, १९६१ से स्थायी बनाये गये हैं, स्थायी बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). चार अधिकारियों को स्थायी बनाया गया है । शेष के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति के परामर्श से अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

(ग) यथा संभव शीघ्र ।

श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) के वेतन का निर्धारण

†१५१०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) के पुनरीक्षित वेतन क्रम में वेतन के निर्धारण के लिये सेवा का ध्यान रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार का अब तक निर्णय लेने का विचार है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) यथा संभव शीघ्र ही ।

(ग) मामले से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जांच करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

'स्वाधीनता' में एक चित्र का प्रकाशन

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी)**: नियम १५७ के अन्तर्गत मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उस के बारे में वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र 'स्वाधीनता' के १५ अगस्त, १९६२ के अंक में एक राजद्रोहात्मक "कार्टून", जिस में चीनी सैनिकों को हमारे सीमान्त पर हथौड़ा और हंसिया लिये हुए दिखाया गया है, और हमारे किसान उन का हथौड़ा और हंसिया के झंडों से उन का स्वागत कर रहे हैं, का प्रकाशन"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : बंगाली दैनिक समाचार पत्र "स्वाधीनता" जो कि कलकत्ता से छपता है,के १५ अगस्त, १९६२ के अंक में दिये गये कार्टून की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। कार्टून में कई व्यक्ति झंडे लिये एक पंक्ति में खड़े हैं। वे भारतीय झंडे नहीं हैं। झंडों पर हथौड़ा और हंसिया और उनके हाथों में हंसिया और अनाज का गुच्छा सा है। उनके आगे झंडे लिये हुए व्यक्तियों की एक और पंक्ति है और वे अनाज के गुच्छे को पकड़ने के लिये हाथ आगे बढ़ाये हुए हैं। कार्टून के कोने में तीन छोटी शक्लें हैं—एक व्यक्ति पाश्चात्य पोशाक में है, दूसरे के कपड़े स्पष्ट नहीं हैं और तीसरा गांधी टोपी, कुर्ता धोती पहने हुए है। ये तीनों आदमी भागते हुए दिखाये गये हैं। कार्टून में कोई कहानी या लिखित शब्द नहीं हैं।

ऐसे कार्टूनों और उन के निहित अर्थों पर सदस्यों का रोष करना सर्वथा उचित है। सीमान्त की हाल की घटनाओं से स्थिति और भी खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के भाईचारे के प्रदर्शन से जनता में गलतफहमी उत्पन्न होगी। यद्यपि हमारे देश पर अतिक्रमण किया गया है, कम्युनिस्ट दल को यह नहीं पता चलता कि उन्हें क्या करना चाहिये।

हम शान्ति से काम लेंगे, परन्तु लोगों के हौसले कम करने के लिये कुछ नहीं करना चाहिये।

उस "कार्टून" की अन्तर्ग्रस्तताओं की जांच करनी होगी। इस मामले में विधि मंत्रालय से परामर्श किया जायेगा। हम पश्चिम बंगाल सरकार से भी सम्पर्क स्थापित करेंगे जो इस मामले में कार्यवाही करने के लिये उचित प्राधिकार है।

†**श्री हेम बरुआ** : यह कार्टून नहीं है। इस में चीनी न केवल सीमान्त क्षेत्र को आते दिखाये हैं परन्तु वे एक हाथ में हथोड़ा और हंसिया लिये हुए हैं और दूसरे साथ में खम्भात और हमारे किसान हथौड़ा और हंसिया वाले झंडे हाथ में लिये हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। इसने अपराध विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ और भारतीय दंड प्रक्रिया के धारा १२४–ए की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। सरकार इस के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसी कारण यह इस रूप में स्वीकार भी किया गया है। तथापि मंत्री महोदय यह आवश्वासन दे चुके हैं कि वे इस मामले में विधि मंत्री की सलाह लेंगे। अतः यह कहना गलत है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यह बात भी गलत है कि यह बात पुरानी हो चुकी है यदि एसा होता तो मैं प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं करता। क्योंकि यह कार्टून अभी हाल प्रकाशित हुआ है इस कारण इसे स्वीकार कर लिया गया।

†**श्री हेम बरुआ** : यह एक गम्भीर मामला है इसी कारण मैंने इस विषय के लिये स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर मैं केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। विस्तृत चर्चा कई अन्य रूपों में की जा सकती है।

दिल्ली में डिप्थीरिया रोग का फैलना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के संबंध में वक्तव्य दें।

दिल्ली में डिप्थीरिया के महामारी के रुप में फैलने का समाचार।

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: नगर निगम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि १ से २० अगस्त तक डिप्थीरिया के चार मामले हुए। पिछले वर्ष भी इसी समय इतने ही मामले हुए थे। इस प्रकार इस रोग के फैलने में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। डिप्थीरिया के संबंध कोई गैर-सरकारी डाक्टर जानकारी छिपा नहीं सकता है। नगर निगम से प्राप्त समाचार के अनुसार खतरे का कोई कारण नहीं है। नगर निगम इस संबंध में पूरी कार्यवाही कर रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है कि दिल्ली में डिप्थीरिया के ८० प्रतिशत मामले हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी मामलों में डिप्थीरिया विरोधी सीरम प्रस्तुत कर दिया गया है या कुछ बालकों को सीरम नहीं मिल सका ?

†**डा० द० स० राजू** : सीरम उचित मात्रा में उपलब्ध था और सभी मामलों का उचित इलाज किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम् के परीक्षित लेखे

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं (१) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिए नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम् के प्रमाणित लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखा हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३५४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय श्रम सम्मेलन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: मैं ७ से ९ अगस्त १९६२ तक नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के २० वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५५/६२]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९६१, सरकारी संकल्प तथा सभा पटल पर विवरण रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थानस)**: मैं (३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) चीनी के मूल्य को चीनी के कारखानों और चीनी के उत्पादकों में बांटने के मूल्य को सम्बद्ध करने वाले सूत्र के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का (१९६१) ।

(दो) दिनांक २२ अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ८—६३-६१—एस ई एक्स पी ।

(तीन) इसके कारण बताने वाला एक विवरण कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५६/६२]

वर्ष १९६१-६२ में तीसरी योजना की प्रगति की समीक्षा

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं सभा पटल पर वर्ष १९६१—६२ में तीसरी योजना की प्रगति की समीक्षा से संबंधित एक विवरण रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५७/६२]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

(एक) कि राज्य सभा अपनी २० अगस्त, १९६२ की बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा ७ अगस्त, १९६२ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २१ अगस्त, १९६२ की बैठक में विशिष्ट सहायता विधेयक १९६२ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के बारे में लोक-सभा द्वारा की गई सिफारिश से सहमत हो गई है और उसने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए श्री आर० एम० देशमुख, डा० श्रीमती सीता परमानन्द

---

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

श्री जी० एस० पाठक, श्री जगन्नाथ कौशल, श्री महेश सरन, श्री एस० सी० देव, श्री सी० डी० पाण्डे, श्री बी० डी० खोबरगड़े, श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर, श्री एस० एम० गुरुपादस्वामी, श्री कमल सिंह, श्री जे० शिवशण्मुगम पिल्ले, श्री कृष्ण दत, श्री के० एस० रामास्वामी, श्री विमल कुमार एम० चोरड़िया को नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि

†**अध्यक्ष महोदय:** २० अगस्त, १९६२ को अणुशक्ति विधेयक १९६२ को प्रवर समिति में सोंपने संबंधी संशोधन पर हुए मत विभाजन में एक गलती हो गयी थी । शद्ध परिणाम इस प्रकार होना चाहिये पक्ष में '३१' न कि '३२' जैसी की घोषणा की गयी थी ।

तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर में शुद्धि

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी):** ६ जून, १९६२ को दिये गये एक तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर के संबंध में मैंने सभा में यह बताया था कि संयुक्त प्रबंध परिषद् में मजदूरों के प्रतिनिधि, कारखाने में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की संख्या के अनुपात में लिये जाते है । यह संयुक्त परिषद् औद्योगिक विवादों, विशेषत: प्रवर्तन से संबंधित विवादों के संबंध में निर्णय कर सकती है । वास्तविक स्थिति यह है कि संयुक्त प्रबंध परिषद् से केवल उन्हीं मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते है जिनके साथ प्रबन्धकों ने इस संबंध में समझौता किया हुआ है । निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि नहीं रहते है । संयुक्त प्रबंध परिषद औद्योगिक विवादों, विशेषकर वित्तीय प्रकार के औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम नहीं है ।

सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्र० के० देव ने विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में एक पूर्व सूचना दी है । उसे विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के रूप में नहीं लिया जा सकता है । अत: मैं इसे अध्यक्ष के निदेश के निदेश सं० ११५ के अधीन लेता हूं । यह विषेय १ बजे लिया जायेगा ।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर जो क्रमश: ८ अगस्त १९६० और २४ अप्रैल १९६१ को सभा पटल पर रख गये थे, विचार करती है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

हम दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन पर विचार कर रहे है आयुक्त की नियुक्त १९५७ में ३५० ख के नये अनुच्छेद के अधीन की गई थी और उनके पहले प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है ।

आज हम भारत के विभिन्न भागों में भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनकी समस्याओं के मूल्यांकन के संबंध में आयुक्त की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं ।

संविधान के अधीन कुछ उपबंध रखे गये है जो भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंध रखते है संविधान में उनकी भाषा, संस्कृति और लिपि के बारे में व्यवस्था की गई है । राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन बहुत अंशो तक भाषा के आधार पर आधारित था इस कारण इस प्रश्न को हल महत्व देना पड़ा ।

सभा के निदेश से इस संबंध में भारत सरकार ने कुछ अन्य कार्य भी किये । यह अनुभव किया गया कि राज्य पुनर्गठन अयोग की सिफारिश के अनुसार एक विशेष अधिकारी होना चाहिये जो कि भाषायी अल्पसंख्यको के संबंधमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । अतः संविधान में ३५०-क निषिष्ठ किया गया ।

इसके अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रथमिक स्तर तक अपनी मातृ भाषा में शिक्षा पाने का परा अधिकार है । संविधान में यह बात स्वीकार की गई थी और इसी आशय से अनुच्छेद ३५० (क) उसमें शामिल किया था ।

जैसा कि मैं बता चुका हूं इस बात की जांच करने के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया था कि देश के विभिन्न भागों में भाषाई अधिकारों की कैसे रक्षा की जाये । उसका पहला प्रतिवेदन यहां प्राप्त हुआ था और उस पर चर्चा भी की गई थी । चूकि यह प्रतिवेदन था । इस लिए संसद ने अनुभव किया था कि उस में कुछ त्रुटियां हैं । एक यह थी कि यह भाषाई अधिकारों के विषय में सम्पूर्ण नहीं थी और उसमें उन के अधिकारों की पूरी स्थिति नहीं बताई गई थी । तीसरी यह थी कि विशेष अधिकारों ने कोई सिफोरिश नहीं की थी । गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर बहुत सावधानी से विचार किया था । इस सामग्री के आधार पर, १९५६ में ग्रृह-कार्य मंत्रालय ने एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकारों क बारे में विशिष्ट निदेश दिये गये थे, इन का सम्बन्ध शिक्षा, सेवाओं में भरती और अल्पसंख्यकों की अन्य सुविधाओं के बारे में था जहां तक के सरकार के परिपत्रों या कानूनी किताबों के प्रकाशन का सम्बन्ध है, इन का पूरा उल्लेख है । अतः जब भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त ने अपना काम शुरू किया, तो उन के सामने यह सामग्री थी । संबिधान के अनुच्छेद २९(१) और (२) ३० और कुछ हद तक अनुच्छेद १४, १५, १६ ३४७, ३५० और ३५०-क का भी इस मामले से सम्बन्ध था । इस के अतिरिक्त आयुक्त का यह देखना भी कर्तव्य था कि राज्य सरकारें गृह कार्य मंत्रालय के निर्देशों को किस हद तक क्रियान्वित करती है क्य कि पुर्नगठन के बाद भी राज्यों में भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं । इसी कारण यह आवश्यक समझा गया था कि राज्य सरकारें प्रमुख प्रादेशिक भाषा को उचित महत्व तो देंगी ही, यह देखना भी उसका कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुक्सान न पहुंचे । वे भी उस क्षेत्र के निवासी हैं उनको अपने भाषाई अधिकारों की रक्षा का अधिकार है ।

दोनों सदनों में आयुक्त के प्रत्यावेदन पर चर्चा के बाद हमने आयुक्त से निवेदन किया था कि वे सदस्यों दारा उठाये गये प्रश्नों पर विचार करें नाकि भविष्य में प्रत्यावेदन पूर्ण हों ।

[श्री दातार]

कहा गया था कि वे देखें कि आयुक्त के सुझाओं को राज्यों ने किस हद तक क्रियान्वित किया है और उनके सुझावों को किस हद तक स्वीकार किया है ।

आप देखेंगे कि आयुक्त ने जो कुछ किया है, वह काफ़ी संतोषजनक है । हम ने दूसरा प्रत्यावेदन संसद् के सामने रख दिया है । उसके बाद तीसरा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । अब दोनों प्रत्यावेदनों पर चर्चा हो रही है ।

इन दोनों प्रत्यावेदनों पर आयुक्त ने सविस्तार वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला है और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा की है । अध्याय २ से ४ में आयुक्त ने यह बताया है कि राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण विषयों के बारे में क्या किया है और उन की सिफ़ारिशें या निष्कर्ष अध्याय ६ में दिये गये हैं । मैं इन में से केवल एक या दो बातों का उल्लेख करुंगा ।

जहां तक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति राज्य सरकारों के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, यह स्वयं राज्य पुनर्गठन आयोग में बताया गया है । राज्यों के पुर्नगठन की सिफ़ारिश करते समय, आयोग के सदस्यों ने यह प्रत्याशा कर लेनी थी कि आगे क्या होगा ।

मुख्य प्रादेशिक भाषा बोलने वालों और अन्य भाषाएं बोलने वालों के बीच अधिकारों का भारत की एकता के हित में उचित समन्वय किया जाना था, यह देखा जायेगा कि तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय ६ की कंडिका २९६ में कहा गया है कि ऐसे संरक्षणों का यह प्रभाव नहीं होना चाहिये जिस से कि राष्ट्रीय एकता या स्वाभाविक मिश्रण को बाधा पहुंचे ।

इन परिस्थितियों में , इन सब बातों को देखते हुए कि राष्ट्र एक है और नागरिकता एक है राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि भाषावार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा उचित ढंग से की जाये

जहां तक इन प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, प्रतिवेदनों के वर्षों में, विभिन्न राज्य सरकारों ने सामान्य रुप से संविधान के उपबन्धों और गृहकार्य मंत्रालय के ज्ञापन के निदेशों का पालन किया है । यह कथन उन्होंने तीसरे प्रतिवेदन की कंडिका ३१८ में किया है । यह भी बताया गया है कि सरकारी मशीनरी कभी कभी बहुत धीमी चलती है । यह सत्य है किन्तु प्रयत्न किया गया है कि इस को उचित रुप से विकसित किया जाये ।

अब मैं बाद की घटनाओं की चर्चा करुंगा । राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया गया था । अगस्त, १९६१ में इस प्रयोजन के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, ताकि भिन्नता में से एकता पैदा की जा सके । इस सबन्ध में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और दायित्वों, विशेष कर, उन की शिक्षा के प्रश्न पर उचित रुप से विचार किया जाना था । मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने कुछ अपवादों को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की थी । जैसा कि यह संविधान और गृह मंत्रालय के १९५६ के ज्ञापन में व्यक्त किया गया है । उन्होंने कुछ और सुझाव भी दिये थे । इसके बाद मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने जो निर्णय किये थे, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के सामने भी रखे गये थे, ताकि सरकारी अधिकरणों के साथ साथ सामाय जनाता को भी उनसे सम्बद्ध कराया जा सके । ऐसा किया गया है । दक्षिण खंडीय परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार किमा था और मंत्रि स्तर पर उन्होंने एक समिति नियक्त की थी.जिसने भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रश्न पर विचार किया था ।

एक उप समिति द्वारा १९५९ में इस पर विचार किये जाने के बाद, खंडीय परिषद् ने सारे देश का इन अधिकारों के बारे में मार्ग दर्शन किया। इन को खंडीय परिषद् की १९६० की बैठक में नोट और क्रियान्वित किया गया है। इस वाद इस विषय को देश के सामने रखने के लिये एक और व्यवस्था की गई थी। हमने खंडीय परिषदों के उपाध्यक्षों की एक समिति बनाई है। इस की भी बैठक हुई है और इस ने खंडीय परिषदों की कार्यवाही की पुष्टि की है। उस ने सारे भारत के हितों की रक्षा के लिये भी कुछ सुझाव दिये हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष कौन हैं ?

†**श्री दातार** ये खंडीय-परिषदों के उपकेसभापति हैं, जिनकी संख्या ५ या ६ है। इनकी बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में होती है।

अन्त में यह निर्णय किया गया था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विषय प्रत्यक्षतः राज्यों के मुख्य मंत्रियों के अधीन होने चाहिये और सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिवों और जिलों में जिला अधिकारियों द्वारा उन की सहायता की जाये। प्रत्येक राज्य सरकार ने एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया है, जिसका काम यह है कि वह आयुक्त को सब जानकारी दे और देखें कि उस की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये।

अब मैं संक्षेप में प्रत्यावेदनों में उठाये गये प्रश्नों का उल्लेख करुंगा। ज्ञापन में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद ३५०-क के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से कहा गया था कि प्रारंभिक अवस्था में मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिये विद्यार्थियों के लिये विशेष स्कूल खोले जायें या यदि भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कुल ४० है या एक श्रेणी में १० हो, तो मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिये विशेष व्यवस्था की जाये, क्योंकि अब यह भाषाई अल्पसंख्यकों को मूल भूत अधिकार है। मुझे प्रत्यावेदन देख कर यह खुशी हुई है कि ऐसा बड़े से बड़े पैमाने पर किया गया है।

इस प्रश्न के साथ साथ कुछ और भी छोटी मोटी बातें भी थीं जिनका ध्यान रखा जाना था। यह कहा गया कि इन अल्प संख्यकों की भाषा जानने वाले प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। इस तथ्य की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है, और यह कहा गया है कि यदि उस भाषा के शिक्षक उस राज्य से न मिल सकें तो साथ लगते राज्य से उन्हें लिया जा सकता है जहां कि उस भाषा को जानने और बोलने वाले बहुत हों। अब ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही पाठ्य-पुस्तकों का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री सम्मेलन में यह कहा गया था कि इन्हें बड़े उचित ढंग से और बड़ी ठोस सलाह लेकर तैयार किया जाना चाहिये। इन पुस्तकों में ये चीजें दी जायें जिस से विद्यार्थियों के दिलों में राष्ट्रीय एकता के भाव जागृत हों। इसी बात को लेकर ही तो यह सुझाव रखा गया था कि पाठ्य पुस्तकें सरकार द्वारा ही तैयार करवाई जानी चाहिए, और गैर-सरकारी निकायों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हो सकता है कि गैर-सरकारी निकाय इस महत्वपूर्ण आधारभूत बात को ही छोड़ कर और और बातों को महत्व देना आरम्भ कर दें।

अन्य प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। निवेदन है कि जहां तक स्कूलोंमें शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, इस के बारे में एक आम धारणा यह व्यक्त की गयी है कि माध्यमिक स्तर में भी जहां अल्पसंख्यकों से विद्यार्थियों की काफी संख्या है उन के लिए स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जिन मैं शिक्षा का माध्यम यथा सम्भव उनकी मातृभाषा ही होनी चाहिए। यद्यपि इस बात को तुरन्त कार्यान्वित किये जाने की व्यवस्था नहीं है परन्तु इस बात पर सिद्धान्त रूप में सब एक मत है। इस से सम्बद्ध अन्य प्रश्नों को भी सन्तोषजनक ढंग से हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

इस के बाद विभिन्न सेवाओं में भर्ती का प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में अधिकांश राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि सरकारी सेवा मैं प्रवेश के लिए प्रादेशिक भाषा का गूढ़ ज्ञान कोई आवश्यक शर्त नहीं होगी। इस से भाषायी अल्पसंख्यकों की कठिनाईयां दूर हो जायेगी । क्षेत्रीय भाषाओं के सिखाने की बात दबाव से नहीं प्यार से की जायेगी। इस के साथ ही साथ इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा कि जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है वहां सरकारी सैलेखों के अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रशासन की व्यवस्था भी की जा रही है

मतलब यह है कि भाषाई अल्प संख्यकों को सभी प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं और स्थिति काफी सुधर गयी है। राज्यों के भेद भाव को वैसे भी हटा दिया गया है। भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य की सेवा में भर्ती होने का आवेदन पत्र दे सकता है । राज्य में रहने इत्यादि की कोई पाबन्दी उस के रास्ते में रूकावट नहीं होगी।

अब मैं उर्दू के सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं। भारत के सभी राज्यों में उर्दू को एक मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में एक मान्यता स्वीकार किया गया है । जिन राज्यों में उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या काफी है वहां उर्दू के प्रोत्साहन के लिए काफी कुछ किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय मंत्री अभी कुछ देर और लेंगे ।

†**श्री दातार** : जी हां।

सेनफ्रांसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य

श्री प्र० के० देव : (कालाहांडी): में अवसर के लिये धन्यबाद करता हूं। मेरा निवेदन है कि भारत -चीन सम्बन्धों पर १४ अगस्त १९६२ को हुई चर्चा के उत्तर में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि हमारे सैन–फ्रांसिसको के शांति सम्मेलन मैं सम्मिलित न होने की बात का चीन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु सरकार द्वारा प्रकाशित "भारत–चीन सम्बन्धों की प्रमुख घटनायें १९४७–१९६२" पुस्तिका में यह कहा गया है कि भारत ने सम्लेलन मैं भाग लेने से इसलिए इन्कार किया क अन्य कारणों के साथ साथ चोन उस में शामिल नहीं हुआ। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती , अत: इस भ्रांति को दूर किया जाना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: माननीय सदस्य का कहना ठीक ही है कि दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। जो कुछ मैं ने कहा और जो कुछ उस पुस्तक मैं लिखा है वह मेल नहीं खाता। मेरा निवेदन है कि पुस्तिका में जो कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है वह ठीक है और मेरा कथन उस सीमा तक गलत है। यद्यपि उस मामले में भाग लेने के बहुत से अन्य कारण भी थे। मैं इस गलती के सम्बन्ध में खेद प्रकट करता हूं ।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं इस के लिये स्वतंत्र पार्टी की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं ।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री दातार** : मैं उर्दू के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में निवेदन कर रहा था। कहा गया है कि उर्दू के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है । मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन राज्यों में उर्दू भाषी लोगों की संख्या पर्याप्त है उन में से अधिकांश राज्यों में उर्दू के सम्बन्ध में काफी ध्यान दिया जा रहा है । दार्जिलिंग के तीन विभागों में बंगला के साथ साथ नेपाली भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गयी है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में सिंधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें अपनी भाषा के लिये देवनागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया गया था, परन्तु शायद बहुतों को यह बात स्वीकार नहीं है। वैसे सरकारी सिंधी भाषा के विकास के लिये अपेक्षि और सम्भव सहायता दे रही है। सिंधी को मान्यता दी गयी है और उस में से विशेष पारितोषिकों के लिए भी पुस्तकें चुनी गयी है । यह ठीक है कि सुधार बहुत अधिक नहीं हुआ परन्तु बहुत सीमा तक हुआ है। अल्प संख्यक भाषायी आयुक्त बहुत ही उच्च स्तरीय व्यक्ति है।। वह इलाहाबाद उच्चन्यायालय के पद मुक्त न्यायाधीश हैं। एक न्याय पालिका अधिकारी के रूप उनका यह कर्तव्य है कि किसी से अन्याय न होने दे अतः उन्होंने ये दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

अभी बहुत ही राज्य सरकारों ने आयुक्त की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। जिन सिफारिशों को अभी तक राज्य सरकारों ने स्वीकार नहीं किया उस के सम्बन्ध में सरकार राज्य सरकारों के साथ लिखा पढ़ी करेगी और यह प्रयत्न करेगी कि वे उस सम्बन्ध में स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य भी अपने सुझाव दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्र की एकता को कायम रखते हुए हम यह देश की भाषा समस्या को सुलझाने के इच्छुक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : दोनों प्रतिवेदन हमारे समक्ष हैं। मंत्री महोदय ने कोई नयी बात नहीं कही जो कुछ इन प्रतिवेदनों में दिया है उसका शब्दार्थ करके बता दिया है । प्रतिवेदन से मालूम होता है कि राज्य सरकारों का भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण केवल सहन करने मात्र तक है । मेरा निवेदन है कि भाषायी अल्प संख्यकों के प्रश्न पर राष्ट्रीय एकता के व्यापक राष्ट्रीय एकता के व्यापक प्रसंग एवं पृष्ठ भूमि में विचार किया जाना चाँहिए। भाषायी अल्पसंख्यकों को केवल सहन ही नहीं करना है वरन् उनकी सहायता एवं पोषण भी किया जाना चाहिए ताकि वे भारतीय संघ के समान सहभागी बन सके।

इस प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों का रवैय्या भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये बहुत ही असहायक है । माननीय मंत्री महोदय ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे मुझे सन्तोष नहीं है । पहिले और तीसरे प्रतिवेदन में इसी प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक पाठशालाओं में एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें अल्पसंख्यकों के बच्चों के नाम लिखे जायें। लेकिन तीसरे प्रतिवेदन में इस बारे में लिखा है कि इस सिफारिश को १४ राज्यों में से ५ राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। यह बड़े खेद की बात है। विद्यार्थी स्कूल तो जाने लगते हैं लेकिन उनके पास किताबें तक नहीं होतीं। यही दशा अध्यापकों के बारे में है। स्कूल में अध्यापक भी नहीं होते। यह सुझाव दिया गया है कि अध्यापक पड़ौसी राज्य से ले लिये जायें लेकिन यह भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि जब तक इन अध्यापकों को काम करने व रहतकी अच्छी शर्तें नहीं होंगी तब तक वे काम नहीं कर सकते। अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने का प्रश्न सिद्धांत रूप से तो स्वीकार कर लिया गया है किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह लागू नहीं होता। यह तो ठीक है कि सरकार का उद्देश्य अच्छा है लेकिन व्यवहार में न आने के कारण भाषायी अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं पहुंचता।

इसी प्रकार की कठिनाई उन विश्वविद्यालयों में भी आयेगी जहां कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं में करने का विचार है। वहां भी भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ कठिनाई उत्पन्न होगी और उन्हें कोई लाभ नहीं होगा।

जन जातियों के साथ एक बड़ी कठिनाई यह है कि वहां तीन राज्यों ने वहां अपनी अपनी लिपियों में शिक्षा देने काप्रयत्न किया है। इससे भावात्मक एकता कहां हो सकेगी। उनके सामने तो यह कठिनाई आ गई है कि वह क्या करें कभी एक लिपि पढ़ते हैं तो कभी दूसरी भाषा।

भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ एक बात प्रशासन की भी है। भाषायी अल्पसंख्यकों की संख्या कहां अधिक है इस बारे में हम एक सूची भी दे चुके हैं। इस नियम का पालन नहीं हो रहा है कि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशासकीय उपबन्ध भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित हों।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मध्य प्रदेश में यह देखने में आया है कि बावजूद गृह मंत्रालय के आदेश के भी वहां सरकारी आदेश भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा में नहीं दिये जाते। निर्वाचन के समय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही उर्दू में निर्वाचन सूची दी गई थी। सरकारी आदेशों के बारे में भी उस सरकार का तथा कुछ और दूसरी सरकारों का रवैय्या यह है कि वे उन्हीं आदेशों को भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करना चाहते हैं जो कि सरकारी आदेश है—नगरपालिका आदि के आदेशों को नहीं। कुछ राज्यों ने यह रवैय्या अपनाया है कि वे आदेश ही प्रकाशित किये जायेंगे जो स्थानीय महत्व के हों। जब स्थिति ऐसी है तो फिर कैसे काम चलेगा ?

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई है। और इस बात को देखते हुए कि गृह-कार्य मंत्रालय के पास काफी काम है, ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि एक मंत्रालय अलग से बनाया जाये और वह मंत्री महोदय इन सब बातों को देखें।

राज्यों का रवैय्या भी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये और सभी काम उनकी भाषा में होना चाहिये ताकि वे आसानी से समझ सकें। अपनी संस्कृति का विकास कर सकें।

देश को स्वतंत्र हुए १५ वर्ष से भी अधिक हो गये लेकिन अभी तक भाषा सम्बन्धी नीति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसके अभाव में राष्ट्रीय एकता भी नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त भाषायी अल्पसंख्यकों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। भाषा की समस्या का समाधान हो जाने के बाद ही उच्च संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न भी स्वतः हल हो जायेगा।

यह भी देखने में आया है कि इन भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है। हिन्दी भाषा वालों से मुझे यह निवेदन करना है कि हिन्दी भाषा का तभी सम्मान हो सकता है तथा उसे स्वीकार किया जा सकता है जब कि वे दूसरी भाषाओं का सम्मान करें। हिन्दी दूसरों पर थोपी नहीं जा सकती। हमारे देश में कई बड़े बड़े राज्य हैं। वे सभी हमारे भाई हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है। हिन्दी वाले बड़े भाई हैं उन्हें छोटे भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहियें।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस प्रश्न का सिहावलोकन किया जाय। सभी के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी देश में एकता हो सकती है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हमारे सामने तीन प्रतिवेदन हैं और उनमें जो कुछ भी कहा गया है वह काफी दुखप्रद है। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदनों में उन सभी बातों का अच्छी तरह उल्लेख कर दिया है कि किस प्रकार ये लोग रह रहे हैं तथा उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। ये आयुक्त बराबर राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करते रहते हैं और इतना कार्य करने के बाद ही बहुत थोड़ा सा काम इन लोगों के लिये करा सकी है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों का पूरा सहयोग इन्हें नहीं मिल रहा है। आयुक्त द्वारा बराबर ध्यान आकर्षित करने पर भी राज्य सरकारें बहुत सी बातों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। इसलिये सवाल यह है कि क्या आयुक्त को रखना बिल्कुल बेकार है। जब उसकी कोई बात मानी ही नहीं जाती है तो फिर उस पर इतना खर्च करने से क्या लाभ। आयुक्त के प्रतिवेदनों पर कुछ नहीं हो रहा है। उनके द्वारा की गई सिफारिशों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि इस आयुक्त को कोई नई बात सुझाने का भी अधिकार नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह आयुक्त इन परिस्थितियों में कोई सुधार कार्य नहीं कर सकते। भाषायी अल्प संख्यकों के क्षत्रों में जब वे दौरे पर जाते हैं तो उनके कार्यक्रम के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती है फिर लोगों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे अपनी शिकायतें ले कर आयेंगे। बिहार सरकार ने तो यहां तक कहा है कि ये अल्पसंख्यक राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी ओर को अपनी शिकायतें नहीं भेज सकती। मेरा सुझाव है कि अब वह समय आ गया है जबकि हम इस आयुक्त को यह अधिकार दें कि जहां कहीं वे कोई गल्ती देख वहां उसे ठीक करायें तथा यह भी देखें आदेशों का उचित पालन किया जा रहा है। लेकिन एसा मालूम होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि इस पद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय और राज्यों में पदाधिकारी भेजें

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

जायें जो वहां आ कर इन अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों के बारे में मालूमात करें और उनके बारे में यहां सम्मेलनों में जानकारी दें। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है यह बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। इन परिषदों में ये प्रश्न नहीं उठाये जाते।

भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के बाद सरकार के सामने चीन की समस्या के बाद यदि कोई समस्या है तो वह राष्ट्र की एकता की है। इसलिये हमें यह देखना है कि कठिनाई कहां है। वास्तविक कठिनाई सीमावर्ती क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में सीमा सम्बन्धी विवादों का निपटाना एक कठिनाई है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में उन कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इस कारण हमारे सामने मुख्य समस्या सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निपटाना है। तथा यह देखना है कि किस प्रकार इन अल्पसंख्यकों को राज्यों में मिलाया जाय। इन क्षेत्रों को ठीक ठाक से सम्बन्धित राज्यों में मिलाना जरूरी है क्योंकि तभी समस्या का सही ढंग से हल होगा।

हम चाहते हैं कि सभी जन जातियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाय। यदि यह संभव नहीं है तो उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। आयुक्त का यह सुझाव कि सभी के लिय एक समान लिपि अपनाई जाये व्यावहारिक सुझाव नहीं है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर उचित ध्यान दिया जाय। राज्य सरकारें सहानुभूतिपूर्ण ढंग से इस मसले पर विचार करे और यथासंभव सहायता भी दें। यह सवाल राष्ट्रीय एकता का है। अतः इसे जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयत्न करना चाहिय।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा**(कचार) : हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की व्याख्या की गई है एवं उन्हें अपनी संस्कृति का विकास करने का भी अवसर प्रदान करने के लिये व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। राज्य सरकारें इस बारे में सहानुभूति पूर्ण रवैय्या अपनाय हुए नहीं हैं।

आसाम में कई भाषायें जारी हैं। वहां १९६० में भाषा के प्रश्न को ले कर जो कुछ हुआ वह सर्वविदित है। कचार में ६० प्रतिशत बंगाली हैं लेकिन वहां सब काम आसामी में होता है। जब वहां इस प्रश्न को उठाया गया तो झगड़े हुए। वहां इस बात के लिये कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता कि अल्पसंख्यकों के लिये कितन स्कूल हैं। इसी प्रकार यह मंत्रालय के और भी बहुत से आदेशों का पलान नहीं किया जाता। यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो अल्प संख्यकों के अधिकार किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकारों का बर्ताव सहानुभूतिपूर्ण नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय और भी सावधान रहे। यदि गृह मंत्रालय सावधानी से काम लेता होता तो १९६० में जो कुछ हुआ वह नहीं होता। मेरा यह भी निवेदन है कि अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने जो सिफारिशें की है वे भी क्रियान्वित की जायें।

†**श्री देशपांडे** (नासिक) : अच्छा तो यह होता कि चर्चा से पहले ही ये प्रतिवेदन सदस्यों को भिजवा दिये जाते ताकि वे उन्हें देख सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विषय बहुत ही महत्व का है। देश की एकता को बनाये रखने के लिये देश की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह एकता इस बात पर निर्भर करती है देश के अल्प संख्यकों के साथ न्याय हो। हम देखते हैं कि इन अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है और उनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

मैसूर और मध्य प्रदेश में मराठी बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है लेकिन वहां उनके बच्चों के लिये एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया है। बल्कि कुछ स्कूल बंद कर दिये गये हैं मैसूर राज्य में मराठी भाषी लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है लेकिन सरकार ने कोई नया स्कूल नहीं खोला है। मराठी भाषी लोगों ने ही स्कूल खोले हैं। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार करे। प्राथमिक चिकित्सा देने का उपबन्ध संविधान में भी किया गया है। बेलगांव के लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई हैं। मुझे बताया गया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के पास उन्होंने अभ्यावेदन भी भेजा था। किन्तु बहुत दिनों बाद उन्होंने यह स्वीकृति भेजी कि उन्हें वह अभ्यावेदन मिल गया है। मुझे बताया गया है कि उन्हें बेलगाम और उस क्षेत्र का दौरा करने के लिये प्रार्थना की गई थी। उन्होंने बचन दिया था, किन्तु उन्हें समय नहीं मिल सका। ऐसा क्यों है कि उन्हों ने उन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई ?

अन्य मामले भी हैं। उदाहरणतया ग्राम पंचायतों में ऐसे लोग हैं, जो प्रादेशिक भाषा नहीं जानते। उन में से ७० या ८० प्रतिशत लोग केवल मराठी जानते हैं। किन्तु सचिव ऐसा बनाया जाता है जो मराठी ही नहीं जानता। यह उन लोगों का दोष नहीं है कि उन्हें केवल मराठी आती है। क्या उन के प्रति हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिये।

सेवाओं की भर्ती के सम्बन्ध में एक मराठी भाषी व्यक्ति को भी मैसूर राज्य में गज़ेटिड पद पर नियुक्त नहीं किया गया। क्या यह उन के प्रति अन्याय नहीं है ?

कुछ कार्यालयों में फ़ार्म ऐसी भाषाओं में दिये जाते हैं, जो हम नहीं जानते। यह स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। समझ नहीं आता कि लोगों की इस सरल प्रार्थना को स्वीकार क्यों न किया जाये।

इसी तरह स्थानीय निकायों में भी स्थानीय लोगों को भाग दिलाने के लिये उन्हीं की भाषा में कार्यवाही होनी चाहिये।

जहां तक मैसूर के प्रश्न का सवाल है, मैं सीमान्त के प्रश्न और अल्पसंख्यकों के प्रश्न को मिलाना नहीं चाहता। तथापि सीमान्त प्रश्न के दल के बाद भी आप को भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुभाषी ही रहेंगे।

संविधान में गारंटी किये गये परित्राणों को कार्यान्वित करते हुए राज्य सरकारों को अधिक उदार रवैया अपनाना चाहिये तथा आयुक्त के कार्यालय को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये।

†**श्री प्र० क० देव** (कालाहांडी) : भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सरकार का पवित्र कर्तव्य है और यह देखना उनका फ़र्ज है कि उन्हें किसी तरह हीनता का अनुभव न हो। उन्हें भी राज्यों में भाषाई बहुसंख्यकों के बराबर विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० क० देव]

यह बात समझ नहीं आती कि आयोग का कार्यालय इलाहाबाद में क्यों हो। यह कार्यालय ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिये जहां भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी मामले बहुत जटिल हैं, जैसा कि महाराष्ट्र-मैसूर सीमान्त पर, उड़ीसा-बिहार सीमान्त पर, काचार में और विभिन्न अन्य स्थानों पर ।

आयुक्त की सिफारिशों को राज्य सरकारों ने झुटला दिया है। समय आ गया है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर अधिक गम्भीरता से विचार करे तथा आयुक्त को अधिक शक्ति दे, चाहे इस के लिये संविधान का संशोधन ही क्यों न करना पड़े।

बिहार के साथ एकीकरण के बाद से लेकर सिरायकेला तथा खर्सवान के लोग निरन्तर यह प्रतिनिधान करते रहे हैं, परन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन क्षेत्रों में उड़ीया भाषी लोगों की संस्कृति तथा भाषा को कुचल देने का जान बूझकर निरन्तर प्रयत्न किया गया है। शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से ऐसे उड़िया प्रारंभिक स्कूल हैं जिन में शिक्षा के माध्यम को बदल कर हिन्दी कर दिया गया है जिससे वहां के लोगों को बहुत हानि पहुंची है।

यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों के एकीकरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के लिये एक सीमा आयोग की स्थापना की जाये।

राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन का यह सुझाव प्रशंसनीय है कि समस्त प्रादेशिक साम्प्रदायिक तथा भाषाई झगड़ों को परस्पर समझौते तथा मध्यस्थता से तय किया जाये। इस प्रकार के समझौतों के लिये आवश्यक साधन ढूंढे जायें।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : जहां तक सीमान्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा के बारे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऐसे सब लोग प्रादेशिक भाषाओं को अच्छी तरह जानते हैं। यह बात कि वे एक भाषा और भी जानते हैं उन के पक्ष में जानी चाहिये न कि विपक्ष में ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक बहुत लाभकारी सुझाव दिया था कि अखिल-भारतीय सेवाओं की पदाली में ५० प्रतिशत अधिकारी दूसरे राज्यों से लिये जायें। दो तीन अखिल भारतीय सेवाएं अब भी हैं। यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया होता, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कोई शिकायत न होती और वे अपने आप को सुरक्षित समझेंगे।

आयुक्त तब तक दौरा नहीं करते, जब तक उन के सामने शिकायत न की जाये। यह एक गलत बात है। यह देखना स्वयं उनका कर्त्तव्य है कि सीमान्त क्षेत्रों में क्या हालत है। उन्हें प्रत्यावेदनों या शिकायतों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

जहां तक औद्योगिक विकास का सबन्ध है, आयुक्त को भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति मालूम करनी चाहिये और देखना चाहिये कि उन्हें कितने लाइसेंस आदि दिये गये हैं और कितने और क्यों अस्वीकृत किये गये हैं।

आयुक्त को स्वयं दौरे कर के और सर्वेक्षण कर के यह पता लगाना चाहिये कि क्या भाषाई अल्पसंख्यकों को वास्तव में कोई कठिनाई पेश आ रही है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर अधिक ध्यान देना चाहिये राज्यों की सहमति प्राप्त करनी चाहिये कि प्रत्येक राज्य में ५० प्रतिशत अधिकारी दूसरे राज्यों के हों ।

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे है क्योंकि प्रत्येक राज्य में लगभग ४० प्रतिशत लोग भाषाई अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं । इन को संरक्षण देने का मामला बहुत महत्वपूर्ण है ।

मेरे विचार में संविधान का अनुच्छेद ३५०-क ऐसे संरक्षणों के हेतु पर्याप्त नहीं है । जहां तक प्रारंभिक शिक्षा का सम्बन्ध है, सभी राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना कि उन्हें देना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी परित्राणों के बारे में अधिक आशावादी नहीं दिखाई देती । भाषावार प्रांत बनाने से एक तौर पर पृथक्वाद की भावना भी उत्पन्न हुई है । इस भावना को रोकना पड़ेगा ।

जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, इस की दशा शोचनीय है । यद्यपि इसे बहुत से लोग बोलते है, फिर भी यह किसी राज्य की प्रादेशिक भाषा नहीं है । यदि प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिवर्ष अधिकाधिक महत्व दिया जाना है और उन्हें माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम बनाया जाना है, तो उर्दू की क्या स्थिति होगी ?

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के निदेश अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये इतने हितकर सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि प्रत्येक राज्य में ऐसी हालत तो हो नहीं सकती कि एक तिहाई विद्यार्थी अल्पसंख्यकों की भाषा बोलते हों । ऐसी स्थिति में संरक्षण कैसे दिया जायेगा ? किन्तु इस सम्बन्ध में दक्षिण खंडीय परिषद् का दृष्टिकोण यथार्थवाद का है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्रादेशिक भाषाओं को अधिकाधिक महत्व दिया गया, यदि उन्हें दूसरे क्रम में ही रखा गया, और यदि उसे विश्वविद्यालय के स्तर पर भी लाया गया, तो उर्दू भाषा का भविष्य खतरे में है । उर्दू भाषा को बोलने वालों की संख्या बहुत काफी है, परन्तु यदि इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई तो वह बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगी । उर्दू जिनकी मातृभाषा है उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करे और उर्दू को मरने से बचाये ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने कमिश्नर फौर लिंगिविस्टक माइनारिटीज की सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट को देखा है । उन रिपोर्ट्स को देखने से मालूम होता है कि कमिश्नर महोदय ने केवल फैक्ट्स दिये हैं और सुझाव दिये हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिये लेकिन दरअसल उनको कोई शक्ति नहीं थी । मध्य प्रदेश में माइनारिटी की जो लैंग्वेज है उस के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि सरकार को उसका शिक्षण देने की समुचित व्यवस्था करनी चाहए लेकिन उस के बारे में उनको कोई शक्ति नहीं दी गई । अपनी सेकेंड रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है कि माइनारिटी लैंगवेज पढ़ाने के लिए टैक्स बुक्स सुलभ नहीं हैं और ठीक टैक्स्ट बुक्स न होने की बात कमिश्नर महोदय ने अपनी तीसरी रिपोर्ट के पेज ७४ पर पैराग्राफ ३१० में कही है और कहा है कि टैक्स्ट बुक्स की शिकायत अभी भी है । उन्होंने यह भी कहा है कि माइनारिटी लैंग्वेजेज के लिए शिक्षक नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

इस तरह से ७४ पेज पर उन्होंने वही पुरानी बात दुहराई है। जो रिपोर्ट उन्होंने पहले की थी वही रिपोर्ट फिर की है। उस से आगे वह बढ़े नहीं हैं। मराठी भाषा में जैसे कहा जाता है :—

गडम च सास्वड़ चैव सासवडंश्च गंडचैव
ब्राह्मणः लुड़बुड़ायते।

ठीक उसी समय से इसी प्रकार से कमिश्नर साहब महोदय इधर से उधर जाते भर हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी भाषा है ?

श्री बड़े : यह मराठी भाषा है। दातार साहब समझेंगे इस वास्ते मैं ने इसे कहा। कमिश्नर साहब अपनी सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट में इसे आगे नहीं बढ़े हैं। मैं श्री दाजी के इस कथन से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि अंग्रेजी भी देश की मुख्य भाषा बनी रहे। मेरा तो निश्चित मत है कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए।

हम महाराष्ट्रिय भाई जहां अपनी मराठी भाषा की उन्नति चाहते हैं और उस के शिक्षण की उचित व्यवस्था चाहते हैं वहां एक चीज यह साफ कर देना चाहते हैं कि इस देश की अगर कोई राष्ट्र-भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही है और ठीक ही उसे वह दर्जा दिया गया है लेकिन यह चीज जोर जबरदस्ती से नहीं वरन् प्रेम के साथ होनी चाहिए।

अंग्रेजी तो वह जगह ले ही नहीं सकती है। दूसरे भारतीय बच्चों को अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी पढ़ाना कहीं आसान है। अब बच्चे को हिन्दी में तो आसानी से कुत्ता शब्द सिखलाया जा सकता है लेकिन अंग्रेज़ी में कुत्ते के लिये आप को बच्चे को "डौग" सिखाना होगा जिसमें कि डी, ओ और जी अक्षर आते हैं। लेकिन इसी डौग को अगर उलट दिया जाय और बजाय डी, ओ, जी, के जी, ओ, डी, हो जाय तो उसका मतलब भगवान हो जाता है। जरा अक्षरों के उलटने से कितना महान् अंतर पड़ जाता है अर्थात् कुत्ता न हो कर उसका अर्थ भगवान हो जाता है। जब जाहिर है कि बच्चों को ऐसी भाषा पढ़ाने में अपेक्षाकृत कुछ अधिक दिक्कत होगी बनिस्वत हिन्दी सरीखी सरल भाषा के। मैं खुद बच्चों को पढ़ाया करता हूं और मैं जानता हूं कि बच्चों को इस से सीखने में कितनी कठिनाई अनुभव होती है और गड़बड़ हो जाती है।

मैं तो कहूंगा कि हिन्दी को सही मायनों में राष्ट्रभाषा करने का कभी तो श्रीगणेश करना ही चाहिए। हम ने जब यह कहा कि हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तो हमारे ऐसा कहने से दक्षिण भारतीयों में एक क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है कि उन पर हिन्दी भाषा क्यों लादी जाती है और वह अंग्रेजी को बनाये रखने की मांग करते हैं। श्री दाजी ने अभी कहा कि हिन्दी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी रहनी चाहिये। मैं उस के विरुद्ध हूं और मेरा मत है कि राष्ट्र-भाषा केवल हिन्दी ही होनी चाहिये। हिन्दी को देश में सर्वत्र व्यापकता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं भी जाइये रेलवेज में जाइये या बाजार में जाइये, सारे महाराष्ट्र में लोग अपने व्यवहार के लिये हिन्दी इस्तेमाल करते हैं, हिन्दी समझते हैं और जय हिन्द बोलते हैं लेकिन केवल एक भावना या सैंटीमेंट वश या अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये कुछ लोग हिन्दी का विरोध करते हैं। और अंग्रेजी की वकालत करते हैं . . .

†**श्री दाजी :** मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रभाषा हिन्दी का समर्थक हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : आप ने जो अभी कहा है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह आपका सेकैंड थौट आया है . . .

†**श्री वाजी** : इसका कोई प्रश्न ही नहीं ।

श्री बड़े : जहां तक हमारी मातृभाषा का सम्बन्ध है उसको हम कैसे भूल सकते हैं ? उस की गोद में तो हम पले हैं और हमने जन्म लिया है । उसकी उन्नति होनी चाहिए और उसके समुचित शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अभी उपलब्ध नहीं है । मध्यप्रदेश में जहां कि लोग मराठी भाषा बोलते हैं वहां मराठी के शिक्षण की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है और उसके अभाव में हो यह रहा है कि बच्चे ठीक और शुद्ध मराठी नहीं सीख पा रहे हैं। "आई जम्प" का अर्थ हिन्दी में "मैं कूदता हूं" होता है । मराठी भाषा में उसको "मिउड़ी माली" कहते हैं । लेकिन अब मराठी हिन्दी मिक्स हो कर "मीं कुदलो" हो गया है । हमारी मराठी भाषा इस तरह से अशुद्ध हो गयी है । इस तरह से मिक्सड शब्द हो गये हैं जिनका कि कोई अर्थ होता नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिए । जरूरत इस बात की है कि मराठी भाषा के उचित शिक्षण की व्यवस्था हो । माइनारिटी लैंग्वेज की उन्नति करनी चाहिए । मैं आपके सामने थर्ड रिपोर्ट के पेज ६ पर पैराग्राफ ६ को पढ़ देना चाहिता हूं । उस में यह लिखा है :—

"राज्य की ७७ प्रतिशत जन संख्या हिन्दी बोलती है और बाकी थोड़े थोड़े लोग अन्य कई भाषायें बोलते हैं ।"

जहां तक प्राइमरी एडूकेशन का सम्बन्ध है, इस रिपोर्ट के पेज ६, पैराग्राफ २५ पर लिखा हुआ है कि अब प्रारम्भिक शिक्षा मात भाषा में ही दी जाती है । पैराग्राफ़ २६ में मराठी, उर्दू, सिंधी, गुजराती और बंगाली आदि भाषाओं में शिक्षा देने और प्राप्त करने वाले टीचर्ज़ और विद्यार्थियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उस पैराग्राफ़ में राजस्थानी का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है और उसके टीचर्ज़ की नियुक्ति के बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं कहा गया है ।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, वह शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, आदिवासियों का एरिया है । वहां पर तीन लाख आदिवासी रहते हैं, जिनकी भाषा बिलकुल अलग है । मध्य प्रदेश में "घूस देना मना है" और "पंच-वर्षीय योजना से देश की प्रगति है" आदि जितने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, उन को कोई समझता नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग है । जैसा कि मैं ने अभी कहा है, वे आदिवासी तीन लाख की माइनारिटी हैं । लेकिन वहां पर जो टीचर्ज़ रखे जाते हैं, वे संस्कृता-इज्ड हिन्दी और खड़ी हिन्दी के टीचर होते हैं । इसका कारण उस क्षेत्र में कोई पढ़ने नहीं जाता है । वहां पर झूठे रजिस्टर रखे जाते हैं कि इस स्कूल में चालीस लड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब कि वास्तव में वहां पर केवल तीन या चार लड़के ही आते हैं, क्योंकि वे उस भाषा को नहीं समझते हैं । सोमवार, मंगलवार, आदि दिनों के नामों के लिये वे अन्य नाम प्रयुक्त करते हैं । उदाहरण के लिए वे शनिवार को "थावर" कहते हैं — वे "शनिवार" को नहीं समझेंगे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी पूरी की पूरी भाषा अलग है ।

मैं ने इस बारे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत दफा लिखा है कि उस क्षेत्र में उन भीलों आदि आदि वासियों की भाषा में, जो कि गुजराती, मराठी, और हिन्दी से मिक्स्ड है, टैक्स्टबुकस, पोस्टर्ज़ और नोर्टासज़ आदि प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाये और उनकी भाषा के शिक्षक वहां

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

पर भेजे जायें। उन लोगों की ग्रैमर बिल्कुल डिफ़रेंट है। उदाहरण के लिए उनकी भाषा में स्त्रीलिंग का रूप देने के लिए किसी शब्द के अन्तिम से पहले अक्षर में "ई" प्रत्यय लगता है। लेकिन शासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हां, मिशनरी लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है। वे लोग उन आदिवासियों की भाषा में ही प्रचार करते हैं और उनकी भाषा ही बोलते हैं। वे उसी भाषा में शिक्षा दिलाकर और परीक्षा पास करवा कर शिक्षकों को वहां भेजते हैं और उनको बराबर वह भाषा आती है।

इस ट्राइबल एरिया में पहले, जब कि मध्य भारत राज्य था, तेरह लाख लोग थे, लेकिन आज मेरे क्षेत्र में तीन लाख लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की असेम्बली की सीटों में से पांच आदिवासियों की हैं और तीन सवर्णों की है। मैं ने इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा है, लेकिन मुझे इस में उस ट्राइबल एरिया में शिक्षण की व्यवस्था करने, टैक्स्टबुक्स तैयार करने और उन लोगों की भाषा के टीचर्ज़ नियुक्त करने आदि कार्यों में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के योगदान का कोई उल्लेख नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस का कारण यह है कि यह कमिश्नर केवल शहरों में जाते हैं और पार्टियां लेकर चले आते हैं। अगर वह हमारे गांवों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट, खारगोन, में जायें, धूप खाते खाते, बीमार पड़ते हुए जंगल में जायें, तो हम लोग उनको बराबर बता देंगे कि हमारी यह भाषा है और हमारे यहां इतने लोग है और हमारी ये समस्यायें हैं।

श्री दाजी : माननीय सदस्य जब पहले ही उन को यह कह कर डरा रहे हैं कि वहां पर वह धूप खायेंगे और बीमार पड़ेंगे, तो वह काहे को वहां जायेंगे ?

श्री बड़े : हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी उस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने कहा था कि वहां पर जो व्यक्ति जायेगा, वह धूप खाकर बीमार पड़ेगा।

जैसा कि मैं ने अभी कहा है, कमिश्नर वहां पर शहरों में पार्टियां खा कर और मिनिस्टर से पूछ कर वापस चले आते है। मैं यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कोई अधिकारी माइनारिटीज़ की भाषा और उनकी अन्य समस्याओं की एन्क्वायरी करने नहीं आया है। मिनिस्टरों ने जो बता दिय, वही भाषा रहेगी।

हमारे यहां एग्ज़ामिनेशन्ज़ हिन्दी और अंग्रेज़ी में लिए जाते हैं। जहां तक शिक्षण का प्रश्न है, पहले हमारे चन्दे से वहां पर एक मराठी —स्कूल चलता था, लेकिन उस को हटा कर हिन्दी रख दी गई है और अब केवल एक टीचर मराठी पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। जब वहां के भीलों ने कहा कि हमारी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनको कहा गया कि अगर सीखना चाहो, तो सीखो, इसी भाषा में शिक्षा दी जायगी। वहां के अथारिटीज़ इस तरफ़ ध्यान नहीं देते है।

पेज ७५ पर पैराग्राफ ३१८ में जो कुछ लिखा हुआ है, मैं उस की बिल्कुल ताईद करता हूं। उसमें लिखा हुआ है :—

> "भाषा नीति के अन्तर्गत संरक्षण आते हैं क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यकों के दिलों में अभी भी असन्तोष पाया जाता है।"

लेकिन प्रश्न यह है कि वह कैसे इस कनक्लूज़न पर पहुंचे कि लिंग्विस्टिक माइनारिटी ग्रुप्स में सैन्स आफ़ डिस्सैटिस्फ़ैक्शन पाई जाती है। वहां असंतोष की भावना कहां पर है, इसका पूरा विवरण इस

प्रतिवेदन में नहीं दिया गया है । अगर वह इस विषय में पूरा विवरण देते, तो मैं समझता कि वाकई कमिश्नर ने वहां पर जा कर पूरी तरह जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है । ऐसा करने के बजाये केवल यह कह देना कि लिंग्विस्टिक माइनारिटी ग्रुप्स में सैन्स आफ़ डिस्सेटिस्फ़ैक्शन है, एक तरह से आंसू पोंछना है और यह केवल एक व्हाइट-वाश है ।

इस के आगे यह कहा गया है :—

> कई मामलों में इन भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को इस बात का पता नहीं कि उनको क्या क्या भाषाई सुविधायें दे दी गयी हैं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट में इस प्रकार लिख देने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है । इस रिपोर्ट में यह बताया आना चाहिए था कि इस बारे में कमिश्नर ने क्या लिखा है और उस ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्या डायरेक्टिव दिया ।

मेरा क्षेत्र एक बार्डर एरिया है । वह खानदेश से बिल्कुल लगा हुआ है । वहां पर एक साइड पर मराठी बोली जाती है और दूसरी साइड पर गुजराती । मेरे क्षेत्र के आदिवासियों में एक भिन्न-प्रकार की भाषा, संस्कृति और आचार-विचार बहुत सालों से पैदा हो गए हैं । उनकी गाथायें और उनकी माइथालोजी अलग है । वह अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं । वे लोग अपने ढंग से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन शासन उनकी तरफ़ और उन की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है । जब व नौकरियां मांगते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि हिन्दी आती है या नहीं । अगर वे इनकरेक्ट हिन्दी लिखते हैं, तो उनको कहा जाता है कि इससे काम नहीं चलेगा । जहां तक कोर्ट्स की कार्यवाही का सम्बन्ध है, हम लोग उनको समझाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उनके पास कोई नोटिस आते हैं तो, भाषा न जानने के कारण वे नहीं समझ पाते कि वह क्या है । वे कहते हैं कि ये मुर्ग़ी के पांव लगे हुए हैं । हम उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह हिन्दी भाषा है, जो कि संस्कृताइज्ड़ की हुई है और हम उस का अर्थ उनकी भाषा में समझा देते हैं ।

इस रिपोर्ट में तामिल, तेलुगु , मराठी, उर्दू आदि भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन ट्राइवल्ज़ की एक अलग भाषा है, उसकी कान्शासनैस कमीशन और शासन को नहीं है । मुझे इस सम्बन्ध में पुराना अनुभव है और ईसाई मिशनरियों से लड़ते लड़ते मुझे पंद्रह साल हो गए । इसी लिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से ईसाई मिशनरियों ने टैक्स्ट बुक्स और किताबें निकालीं है, उसी तरह सरकार को भी निकालनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि अगर तीस परसेंट माइनारिटीज़ हों, तो उन के भाषा के टीचर्ज़ की व्यवस्था की जायेगी । प्रश्न यह है कि तीस परसेंट न हो कर अगर माइनारिटीज़ २९ परसेंट, २८ परसट या पच्चीस परसेंट हों, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जायगी और उनको कोई सुविधा नहीं दी जायगी । माननीय सदस्य, श्री होमी दाजी, ने मध्यप्रदेश सरकार की आलोचना की है । मैं भी बताना चाहता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में २२ परसेंट उड़िया जाति के लोग है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । स्टैटिस्टिकस तो रांग हो सकते हैं और दिये जाते हैं । उनके बारे में कहा गया है कि "Statistics is just like a lady'se dress it hides much and discloses very little" स्टैटिस्टिक्स में तो हर प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है —२२ परसेंट भी हो सकता है और पच्चीस परसेंट भी हो सकता है । इसलिए मेरा कहना है कि यह परसेंटेज का सिद्धान्त नहीं रखना चाहिए ।

जब मैं केसरी और अन्य समाचार पत्र पढ़ता हूं, तो देखता हूं कि मैसूर और महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव के लिए झगड़ा चल रहा है । यह झगड़ा क्यों हो रहा है ? किसी ने कहा है, "बीज बोए

[श्री बड़े]

पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए।" जब पहले से ही लिंग्विस्टिक आधार पर प्रान्त बना कर बबूल का झाड़ बो दिया गया, तो अब उससे कांटे उग रहे है और हर जगह डिस-इन्टेग्रेशन हो रहा है। बेलगांव के बारे में कहा जाता है कि वहां पर साठ परसेंट से ज्यादा मराठी-भाषी लोग रहते है। वहां पर इस बारे में आन्दोलन करने के लिए एक संस्था बनाई गई है और लेजिस्लेटिव असेम्बली के चुनाव में उसके मेम्बर्ज़ कांग्रेस के विरुद्ध जीत गए। उन्होंने उसी प्वाइंट पर चुनाव लड़ा था। वह प्राबलम अभी तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है।

इस सम्बन्ध में नियुक्त एक कमेटी में चार मेम्बर रखे गए, जिनमें से दो तो श्री पाटस्कर और श्री भट्ट है, और दूसरे दो मैसूर के मेम्बर है। वे चार कभी इक्कट्ठे नहीं होते थे। उन में से दो ते एक अलग रिपोर्ट दे दी और बाकी दो की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज़ के शिक्षण की क्या व्यवस्था है, इसका ही मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने "केसरी" में यह पढ़ा था कि वहां पर जो मराठी भाषा भाषी है, उनकी गर्दन दवाई जाती है। मैं तो वहां से बहुत दूर, सात आठ सौ मील दूर, रहता हूं और मैं यह सब कुछ नहीं जानता हूं लेकिन ऐसा मैं ने "केसरी" में पढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के झगड़े बिल्कुल न हों। भारत एक है, अखण्ड है और यहां पर पूरे भारत में हिन्दी भाषा होनी चाहिये और सब काम इसी भाषा में होना चाहिये। जो मेरी पार्टी है वह भी इसका प्रतिपादन करती है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा होनी चाहिये और जहां तक इंग्लिश का संबंध है, उसको जाना चाहिये। लेकिन जो महाराष्ट्र और मैसूर का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। दो तो रिपोर्ट दे देते है और बाकी दो नहीं देते है। मराठी का वहां गला दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे।

अन्त में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो ट्राइबल्ज़ हैं, जो भील भीलाले है, इन लोगों की भाषा के वास्ते मध्य प्रदेश को लिखा जाए और पूछा जाए कि क्या उनकी भाषा अलग है, उनकी टैक्स्ट बुक्स अलग है, ग्रामर अलग है? मैं चाहता हूं कि कमिश्नर महोदय इनकी भाषा के बारे में अवश्य विचार करें। और भील भीलाले जो है, जो आदिवासी है, उनका भी किसी भी तरह से अहित न होने दें।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): भाषायी अल्प संख्यकों की दृष्टि से ही नहीं प्रत्युत राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भी यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर देश की एकता और भविष्य का आधार है। एक बात तो राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट हो गई थी कि भाषायी अल्प संख्यकों का वास्तविक हित बहुसंख्यकों की सद्भावना पर निर्भर है चाहे हमारे परिनियमों में कोई भी परिमाण रखे गये हों अथवा केन्द्र द्वारा राज्यों को कोई भी निदेश जारी किये जायें। एक बात तो बिलकुल स्पष्ट सी ही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तो केवल स्वस्थ लोकमत के निर्माण से ही सुनिश्चित हो सकती है और उसी से राष्ट्रीय एकता उत्पन्न की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि छोटी छोटी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिये। बहुत से राज्यों ने प्रादेशिक भाषायें होने के बावजूद हिन्दी को स्वीकार कर लिया है। हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है और राजस्थान और बिहार ने हिन्दी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरा तो स्पष्ट मत यह है कि वर्गीय भाषाओं अथवा थोड़े लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को मान्यता देने अथवा उनकी रक्षा करने का प्रयत्न राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बहुत ही प्रतिगामी कदम होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ग्रियसन ने भारत की भाषाओं का सवक्षण किया था। उस में तो २००, २००० और १००० लोगों द्वारा बोलने वाली भाषाओं को भी लिया हुआ है। यद्यपि ग्रियसन ने आसाम से नेफा तक के क्षेत्र का भाषायी सर्न्वेक्षण नहीं किया। केवल इतने क्षेत्र में २५० भाषायें प्रचलित हैं। उत्तर भारत में अनेक भाषायें बोली जाती है परन्तु उन को प्रोत्साहन देने के पूर्व उन की क्षमता का विचार किया जाना चाहिये। एक बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि यदि अल्पसंख्यकों--चाहे उन की संख्या कितनी भी कम हो--द्वारा बोली जाने वाली समस्त भाषाओं की रक्षा की जायेगी अथवा उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा तो परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो जायेगी। जिन भाषाओं में यह क्षमता नहीं कि उन का समुचित विकास हो सके, उन को पुनः बढ़ावा देने और उन के उत्थान के लिय प्रयत्न करना देश के हित की बात नहीं कही जा सकती। सरकार को प्रत्येक क्षेत्र की एक सामान्य भाषा का विकास करना होगा।

उर्दू के सम्बन्ध में मेरा निवदन है कि यह कहना कि सभी इस्लाम के अनुयायी उर्दू बोलते हैं गलत बात है। बंगाली मुस्लमान चाहे व पूर्व बंगाल में रहते है अथवा पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा ही बोलते है : यह ठीक है कि व उर्दू भी जानते है। इस प्रकार भारत के विभिन्न क्षत्रों में रहने वाले मुसलमान क्षत्रीय भाषा ही बोलते है, यद्यपि उन्हें उर्दू का भी ज्ञान होता है। अतः यह निर्विवाद है कि उर्दू भाषी लोग अधिकांश में द्विभाषी हैं और उर्दू किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। अतः उसे अन्य भाषाओं के साथ सामान्य स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ीसा के साथ सराय केल्ला और खसवान के सम्बन्ध में गलती की गई है, उस के सुधार के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। आयरलैण्ड के उदाहरण से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि थोड़े से व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वालीं भाषाओं की उन की सीमा के अन्दर ही रक्षा की जा सकती है, उस से बाहर नहीं। यदि ऐसा किया जाये तो राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जायेगी।

†**श्री आ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर): जिन दो प्रतिवेदनों पर हम चर्चा कर रहे है वे एक तीन वर्ष और एक दो वर्ष पुरानी है। और उस पर चर्चा हम अब कर रहे है। मेरा सुझाव यह है कि इन प्रतिवेदनों को सभा में चर्चा के हेतु बहुत पहिले प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये था। गृह-कार्य मंत्रालय को इन्हें कुछ महत्व देना चाहिये था। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर इन के पेश किय जाने के फौरन बाद चर्चा की जाय।

बहुत सी चर्चा पुनर्गठन आयोग के उपबन्धों को कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में रही है जिस का सम्बन्ध कि भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषाओं के संरक्षण से है। इस सम्बन्ध में प्रश्न नीति का है। भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है परन्तु कुछ आलोचना इस कारण हुई है कि इस नीति को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करने का भार राज्यों पर छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रतिवेदन के अंश अपने विधान मंडलों के समक्ष पेश करने चाहियें। ताकि केन्द्र में उठाई गई आपत्तियों को दूर किया जा सके। साथ ही भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को कुछ कार्यपालिक अधिकार भी दिये जाने चाहियें ताकि वह उन अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखने वाली नीति को पूरी तरह कार्यान्वित कर सके। गृह-कार्य मंत्री को हमें यह बताना चाहिये कि उपरोक्त आयुक्त की सिफारिशों के सम्बन्ध में उन का इरादा क्या कार्यवाही करने का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आ० ना० विद्यालंकार]

अंग्रेज़ों के जमानों में तो यह था कि उन की अंग्रेज़ी ही चलेगी। परन्तु लोकतंत्रीय व्यवस्था में तो शासकों को लोगों की भाषा का ही प्रयोग करना होगा। राज्यों को अल्प संख्यकों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिये ; लोगों को अन्य भाषाओं के प्रति प्रत्येक सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये। जब तक अंग्रेज़ीं की प्रधानता को दूर नहीं किया जायेंगा, हमारी अपनी भाषाओं को भी उन का उचित स्थान और सम्मान नहीं मिल जायेगा। मैं तो यह कहूंगा कि समस्त नगारिकों को बहुभाषी बनने का प्रयत्न करना चाहिये। इस से राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी।

हमारा देश बहुभाषी देश है। और इस उद्देश्य के लिये हमें शिक्षक बहुत कम मिल रहे है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राज्यों को यह कहा जाना चाहिये कि वे अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाये ताकि वे एक से अधिक भाषाओं को पढ़ा सके। अन्य राज्यों की पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हो सकता है कि यह ठीक हो कि पंजाब से रिपोर्ट न आई हो, परन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि वहां तत्सम्बन्धी उपबन्धों को कार्यान्वित करने की कोई कठिनाई नहीं है। उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। सिंधी स्कूलों के बारे में भी मेरा यही निवेदन है कि ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिये कि सिंधी को तब ही मान्यता दी जायेगी जबकि वह देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी देवनागरी लिपि में लिखे तो अच्छी बात है, परन्तु उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री दातार** : हम ने तो कोई शर्त नहीं लगाई। हम ने तो यही कहा है कि सिंधी के हित की बात है कि उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाये, जबरदस्ती नहीं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : भाषा की समस्या को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे याद है कि जब संविधान बन रहा था तब राज्यों ने एक मत से यह स्वीकार कर लिया था कि हमारे देश की भाषा हिन्दी होगी। परन्तु बाद में कुछ कट्टरपंथियों को कार्यवाहियों से ही इस बारे में कुछ विरोधी प्रतिक्रियायें दिखाई देने लगीं। मेरा विचार तो यह है कि इस दिशा में जो भी स्थिति है उस के लिय सरकार ही जिम्मेदार है। यदि सरकार प्रत्यक मांग का विरोध करने की पर्याप्त दृढ़ता नहीं रखती है तो देश में एकता का निर्माण करना असम्भव होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस मामले में दृढ़ता दिखानी चाहिय और कोई कमजोरी व्यक्त नहीं करनी चाहिय। सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की मांग को स्वीकार कर के ही इस कठिनाई को पैदा किया।

हमें एक सरल सी बात समझ लेनी चाहिये। अंग्रजी इस लिये नहीं लोकप्रिय हुई कि यह बहुत बढ़िया भाषा है परन्तु इसलिये कि वह सरकारी भाषा थी। आज हिन्दी का विरोध केवल राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है। यदि उसे सरकार की भाषा बना दिया जायेगा तो सब लोग उसे सीख लेंगे। सरकार को हिन्दी विरोधी नारों का दृढ़ता से विरोध करना चाहिये।

यह तो ठीक ही है कि बच्चों को प्राथमिकता स्तर पर उन की मातृ भाषा में पढ़ाया जाना चाहिये परन्तु बाद में निश्चित रूप में निराश शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिये। राष्ट्रीय भाषा को उस का उचित स्थान मिलना चाहिये। मेरा यह भी मत है कि भाषा के सम्बन्ध में बहुत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अधिक आयोगों और जांचें राष्ट्र के हित में नहीं हैं क्योंकि उन से विवाद उत्पन्न होते है । सरकार को संविधान की यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ के कमिश्नर की रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट पर जो डिस्कशन हो रही है, उस में हिस्सा लेते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषावार प्रान्तों के निर्माण की नुक्ता-चीनी की है । मैं इस का सख़्त विरोध करता हूं । माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि हिन्दुस्तान का बुनियादी कल्ट्यर इस देश की तमाम भाषाओं का सम्मिलित कल्ट्यर है । इसी दृष्टि से कांस्टीट्यूशन बनाते वक्त हिन्दुस्तान को यूनियन आफ़ स्टेट्स और एक फ़ेडरेल स्टेट कहा गया । इसलिये इस का मकसद यह नहीं है कि किसी विदेशी भाषा या इंगलिश को ज़रूर रखना है । उस का तो मैं सख़्त विरोध करता हूं । हम हिन्दी की, जोकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, आव-भगत और स्वागत करते है और उस को सीखना बहुत ज़रूरी है । जब तक इंगशिल को ख़त्म नहीं किया जाता और भारतवर्ष की चौदह भाषाओं के विकास के लिये जब तक पूरी आपरटूनिटी नहीं दी जायगी, उस वक्त तक हिन्दुस्तान की एकता और यूनिटी कायम करना बहुत मुश्किल होगा ।

जहां तक लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ के प्राबल का सवाल है, वह हर प्रान्त में मौजूद है । इसलिये अगर मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ बातें कहूं, तो यह न समझा जाये कि मैं रिजनल इन्ट्रेस्ट की वजह से कह रहा हूं । वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ़ अपनी जनता की चन्द मुश्किलात और प्राब्लम्ज़ का ज़िक्र करना चाहता हूं । कर्नाटक एक सादा, इकानोमिकली मिडल-क्लास पीपलका लैंड है, इसलिये वहां पर बड़े बड़े व्यापारियों और एक्सपोर्ट्ज़ में ९९ परसेंट गुजराती और दूसरे लोग है । यह बात कहने के लिये मैं गुजराती भाइयों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन वहां पर स्थिति वही है, जो कि मैंने बयान की है । जहां तक लेबर क्लास का ताल्लुक है, ज्यादातर तेलुगु और तामिल वर्कर्ज़ है वहां वर है । इस वजह से वहां के लोगों की यूनिटी में भेद पैदा हो रहा है । वहां की स्थिति ऐसी है किस पर कमिश्नर फ़ार लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ नहीं, बल्कि कमिश्नर फ़ार लिंग्विस्टिक मज़ारिटी मुकर्रर करने की प्राबलम है ।

आप वहां के सेक्रेटेरियट के आफ़िसर्ज़ या गज़ेटिड आफ़िसर्ज़ की लिस्ट देखिये । उसमें साठ परसेंट से ज्यादा दूसरे ही प्रान्तों के लोग है । लेकिन फिर भी हम उनकी आवभगत करते है, उनका स्वागत करते है और वहां पर उनकी मौजूदगी को ग्रज नहीं करते है । सवाल यह है कि वहां पर बंगलौर में या मैसूर में जो नेशनल इंडस्ट्रीज़ कायम हो रही है, उनमें से हार्डली दस फी सदी लोग कन्नड़ बोलने वाले होंगे । मैंने इस बारे में एक शार्ट-नोटिस क्वैस्टियन का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है ।

इस स्थिति की एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है । तीन चार सौ साल से कर्नाटक प्रान्त के रूप में निजाम हैदराबाद की हुकूमत में रहने की वजह से और वहां पर फ्यूडल एलिमेंट्स का प्रभाव होने के कारण यह अवस्था हो गई थी कि अगर कोई कन्नड़ बोलने वाला तहसीलदार हो जाता, तो यह समझा जाता कि उसने कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली है । आज किराने के थोक व्यापार करने वाले काठियावाड़ी है । जहां तक खानों की सम्पत्ति के उपभोग का प्रश्न है, गवर्नमेंट आफ इंडिया की १९४८ या १९५५ या १९५८ की माइनिंग पालिसी के अनुसार लाइसेंस का पहला क्वोटा उन लोगों को दिया जाता है, जो कि पहले से विज़िनेस में है और वे लोग दूसरे प्रान्तों के है । इस प्रकार खानों का काम करने के लिए किसी कन्नड़ बोलने वाले को लाइसेंस नहीं दिया जाता है । अस्सी परसेंट आउटसाइडर वहां पर है ।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

इसी तरह वहां पर इंडस्ट्रीज़ स्थापित करने के लिए दूसरे लोग जाते है । अगर को-आपरेटिव बेसिस पर शूगर फैक्ट्री कायम करने की कोशिश की जाये, तो उसमें भी सफलता नहीं मिलती है । इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक को आप ऐसा प्रान्त समझिए, जहां भारतवर्ष के सब लोगों का हम स्वागत करते है । मैं चाहता हूं कि दूसरे प्रान्तों वाले भी उसी विशाल हृदय और बड़े दिल से काम करें ।

इस रिपोर्ट के पेज़ ७०, पैराग्राफ २९४ में लिखा है :—

"व्यापारी क्षेत्र में भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं है ।"

कमिश्नर की तरफ़ से लिखा गया कि कामर्स और इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्रिमिनेशन की कोई शिकायत किसी प्रान्त से हमको नहीं मिली, लेकिन उसके आगे पैराग्राफ २९५ में कहा गया है :—

"जो कोई साधारण शिकायतें आई है उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।"

इसी तरह से आप वहां के किन्हीं आंकड़ों को या लिस्ट्स को देख लीजिए । आप पायेंगे कि कन्नड़-भाषी लोग न कंट्रक्टर है, न एक्सपोर्टर है, न बिज़िनेस करने वाले है और न माइन-ओनर है । प्रश्न यह है कि इस हालत में कन्नड़-भाषी जाति की प्राबलम कैसे हल की जा सकती है । इस स्थिति का विरोध करने के लिए मैसूर और बैंगलौर में एक मूवमेंट पैदा हो चुकी है, लेकिन ग़लत तरीके से एक्सप्लायटेशन करने के लिए उसको भाषा का झगड़ा बताया जाता है । मैं केन्द्रीय सरकार पर यह अपवाद और आरोप लगाता हूं कि उसकी वजह से यह माइनारिटी प्राबलम ज्यादा हो रही है ।

जब लिंग्विस्टिक आधार पर प्रान्त बने, तो उन प्रान्तों के बार्डर्ज़ की प्राबलम को जल्द से जल्दहल करना चाहिए था । मैं कह देना चाहता हूं कि मैसूर गवर्नमेंट की इस राय के मैं पक्ष में नहीं हूं कि हम कोई गांव देंगे भी नहीं और दूसरों का गांव आने भी नहीं देंगे । इस तरह की रेट्रिक्शन को मैं मानने वाला नहीं हूं । मैं इस बात के पक्ष में हूं कि एक तत्व को आधार बनाया जाये और उसी के अनुसार पर सीमा का निर्धारण किया जाये । उससे दस मील इधर या एक मील उधर हो सकता है । जिस तरह वेल्लारी शहर का तसफ़िया किया गया, उसी तरह अगर कोई जज मुकर्रर करके या कोई हाई-पावर बार्डर कमीशन कायम करके दूसरे बड़े बड़े शहरों का भी तसफ़िया कर दिया जाये, तो राज्यों में परस्पर कटुता पैदा नहीं होगी ।

अभी भी बारह लाख कन्नड़ बोलने वाले शोलापुर वग़ैरह बार्डर एरियाज़ में बैठे हुए है । हम लोग उनकी आव-भगत और स्वागत के लिए एंक्शस है । इसी तरह आन्ध्र प्रदेश में मड़गसिरा, आलूर, आदोने और रायदुर्ग आदि में कन्नड़-भाषी ६४ परसेंट है । वहां पर इसी तरह के प्राबलम्ज़ है । इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कोई सूत्र आधारित करना चाहिए । इस आधार पर अगर थोड़ा बहुत इलाका हमारे प्रान्त से लिया जाता है, तो उसके लिए भी हम तैयार है, लेकिन स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट को फ़ाइनल नहीं समझना चाहिए । अगर इस आधार पर महाराष्ट्र वालों को कुछ भी तकलीफ है, तो हम ज़रूर उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए तैयार हैं । पार्लियामेंट के माननीय सदस्य इसमें हमारी सहायता करें ।

जहां तक शोलापुर का ताल्लुक है, वहां के लोगों को आप देखिए, वहां का कल्टयर देखिए, उस शहर को देखिए । उस शहर की तीन लाख आबादी में से कम से कम दो लाख आबादी कन्नड़

की वजह से वह शहर अब महाराष्ट्र में है। बड़े बड़े शहरों के बारे में फ़ैसला पाटस्कर फ़ार्मूला के मुताबिक नहीं किया जा सकता है,जिसका उसूल यह है कि गांवों की जन-संख्या देख कर सीमा निर्धारित की जाएगी। शहर की हिस्टारिकल और कलट्यरल बैकग्राउंड को देखना चाहिए। माइनारिटी को कम किया जा सकता है। सिर्फ़ कमिश्नर के पास यह तमाम दुख दूर करने की कोई ताकत नहीं है। अगर ऐसे मामलों को स्टेट मिनिस्टर्ज़ को रेफर किया जाये, तो वे कुछ भी नहीं कर पायेंगे। एक बिल्कुल दूसरी भावना पैदा हो रही है और इस सदन को जल्द से जल्द उसको रोकना चाहिए।

इस रिपोर्ट के पेज ७५ पर एक बात कही गई है, जिसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है :—

> "कि नौकरियों में अपने ही राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी। यह बात राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी भारी रुकावट है और हमारे संविधान के उपबन्धों के भी विरुद्ध है कि सबको देश में एक जैसे अवसर प्रदान किये जायेंगे। अतः इस प्रकार की पाबन्दियां सभी राज्यों से हटा दी गई है।"

सन आफ दी सायल हर भारतीय है, भारत की हर भाषा बोलने वाला है और हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो कन्नड़ बोलने वाला है, वह तो सन आफ दी सायल है या मराठी बोलने वाला तो सन आफ दी सायल है और जो दूसरी भाषा बोलता है वह सन आफ दी सायल नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर इंडिविजुअल को, हर हिन्दुस्तानी को इज्जत की निगाह से देखें और उसको गौरव का स्थान प्रदान करें, तमाम जितनी हमारे यहां कल्चर्ज है उनका आदर करें यह समझें कि वे हमारे लिये गौरव की चीजें है। अगर हमने ऐसा किया तो भारतवर्ष एक रह सकता है, उसकी यूनिटी कायम रह सकती है।

इसी दृष्टि से मैं उत्तर भारत वालों को कहता हूं कि वे भी अपने झगड़े मिटा दें। उत्तर भारत में भी रिजनल लैंगुएज़ का प्राबलैम है। मैं पंजाब में जा चुका हूं और वहां के बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं। वहां का जो प्राबलम है, उसका भी कोई हल निकलना चाहिए। मैं समझता हूं कि लोगों की भावनाओं का हमें आदर करना चाहिये, उनकी भावनाओं से हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिये। अगर हम उनकी भावनाओं को न समझ कर उनसे दूर चले गये और उनके विचारों को हमने आदर की दृष्टि से नहीं देखा और उनकी समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी नहीं निकाला,तो हमारी समस्यायें बढ़ती ही जायेंगी। जनमत के सामने हमें झुकना ही होगा। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ने एजीटेंशंज़ के सामने यील्ड करने की एक भावना सी बना दी है। मैं समझता हूं कि चूंकि यह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इस वास्ते इसको लोगों की विशिज़ के आगे झुकना ही चाहिये। लोकतंत्रीय सरकार को तो लोगों की बात माननी ही होती है। विशिज़ आफ दी पीपल के आगे यील्ड करने का एक तरीका होता है, एक दृष्टिकोण होता है और हमें चाहिये कि हम भारतीय दृष्टिकोण से उसको देखें और उसके मुताबिक करें। लेकिन कोई भी भाषा हो, चाहे वह कन्नड़ हो, मराठी हो, हिन्दी हो, पंजाबी हो, हमें चाहिये कि हम लोगों की दर्द को महसूस करें, जो उनकी तकलीफें है उनको महसूस करें उनकी मुश्किलात को देखें और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा बहुत अहित होगा। मैं उत्तर भारत वालों की समस्या को समझता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भारत में यूनिटी आफ आल कल्चर्ज़ तथा आफ आल लैंगुएजिज़ हो। सभी कल्चर्ज़ और सभी लैंगुएजिज़ को हमें फलने फूलने देना चाहिये, उसमें उनका सहायक बनना चाहिये और ऐसा ही नहीं होना चाहिये कि केवल इंग्लिश को ही हम फलने फूलने का मौका दें। संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा है। दुनिया का कौन सा शब्द है जिसका उसमें इंटर प्रेटेशन नहीं हुआ है। उसमें हर एक चीज को इंटरप्रेट

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि एवरी वर्ड इज़ ए ट्रेज़र आफ दी वर्ल्डज़ लैंगुएजिज़। इस दृष्टि से हमें चाहिये कि हम सभी भाषाओं को बढ़ावा दें। लेकिन जहां तक इंग्लिश का सम्बन्ध है, उसके साथ जो हम चिपके रहना चाहते है, वह हमारे दिमागों की गुलामी है। बड़े जोरों से कहा जाता है कि वह इंटरनैशनल लैंगुएज है। यह ठीक है। लेकिन हमें अपने यहां हिन्दी को पूरे तरीके से नैशनल लैंगुएज बनाना होगा और उसको फलने फूलने का मौका देना होगा। उसके साथ ही साथ रिजनल लैंगुएजिज़ को भी हमें फलने फूलने देना है, उनको भी प्रोत्साहन देना है।

जहां तक ग्रीवेंसिस का सम्बन्ध है, न सिर्फ उनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स को रेफर करें बल्कि देखें कि वे रिड्रेस होते है या नहीं होते है। चुप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चुप बैठना उन लोगों के साथ जिनको ग्रीवेंसिज़ है, अन्याय होगा। कन्नड़ वालों के जो प्राबलैम हैं उसके बारे में जो मूवमेंट हो रहा है, उसको आईवाश करके बन्द नहीं किया जाना चाहिये। उनकी प्राबलैम को सेंटर को हल करना चाहिये। ८० प्रतिशत जो कन्नड़ बोलने वाले है, उनको क्या आप इंडस्ट्री में तथा दूसरे फील्ड्ज़ में भी ५० प्रतिशत हिस्सा देंगे या नहीं देंगे। अगर उनको अपने राज्य में कोई हक हासिल नहीं है तो और कहां हो सकता है। मैं इस ओर गृह मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वाधीनता में प्रकाशित एक कार्टून के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। माननीय गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया था। तथापि मुझे श्री ही० ना० मुकर्जी का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उस कार्टून के सम्बन्ध में जनता में एक भ्रांति पैदा हो गई है और उन्होंने उसका सही अर्थ नहीं समझा है।

अत: मैं श्री ही० ना० मुकर्जी को अवसर देना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सभा के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मुझे बहुत दुख है कि इस कार्टून के सम्बन्ध में भ्रांति पैदा हुई है और दूसरे कि गृह मंत्री ने उसके सम्बन्ध में इस प्रकार का वक्तव्य दिया है जैसा कि उन्हें नहीं देना चाहिये था।

इस कार्टून को देख कर बंगाली पाठकों को एक क्षण के लिये भी भ्रांति नहीं हो सकती है क्योंकि उस कार्टून में किसानों को 'टोका' पहिने हुए और एक हाथ में अनाज का गुच्छा ले जाते हुए दिखाया गया है। उनके दूसरे हाथ में हंसिया है जो किसानों का प्रतीक है और दूसरी ओर कुछ अन्य व्यक्ति हैं, जिनके हाथों में हथोड़ा है वे मजदूर है। उन दोनों के पास एक ही प्रकार के झंडे है और वे दोनों एक ही वर्ग के तथा एक ही प्रकार के है। इस प्रकार इस चित्र का कहीं दूर से भी सीमान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यही कारण है कि बंगाल में जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत चैतन्य है वहां की जनता में इस कार्टून को देख कर जरा भी संदेह की भावना जाग्रत नहीं हुई। न जनता ने, न वहां के किसी राजनैतिक दल ने, किसी प्रकार का प्रदर्शन किया। आज एक सप्ताह बीतने के बाद इस प्रकार का प्रश्न सभा में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उठाया जा रहा है। अतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्टून का सीमान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है न वहां कोई पहाड़ी क्षेत्र है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ता--जारी

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, जिस बुनियाद पर और जिस उसूल पर यह माइनारिटी लैंग्वेज कमिशन बना है, वह बहुत अच्छी है, लेकिन कठिनाई जो आती है वह इस उसूल के इम्प्लिमेंटेशन के सम्बन्ध में आती है। दुःख तो इस बात का है कि जब अपने अपने स्टेट में उसके इम्प्लिमेंटेशन का सवाल आता है तो बड़े से बड़े लोग, जो पब्लिक पोजीशन में हैं, वे इंटरस्टेड व्यू रखते हैं। अभी अभी यहाँ के माननीय और बुजुर्ग सदस्य श्री गुहा ने अपने भाषण में इस बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि वायबल नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाये, उन को हटा दिया जाये। वह एक तरह से इस को ट्विस्ट कर रहे हैं। वे बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन मैं उन को चैलेन्ज दे कर कहता हूं कि उन्होंने जो छोटा नागपुर के बारे में कहा कि वहाँ जो आदिवासी लैंग्वेज है वह सिर्फ मुंडा, ओराँव आदि लोगों की है। उन को मालूम होना चाहिये कि संथाली लैंग्वेज २४ लाख से अधिक लोग बोलते हैं। हम लोगों की भाषा भी हिन्दी नहीं है। मैं जिस भाषा को बोलता हूं, उस को बोलने वाले भी करीब १५ लाख आदमी हैं। मैं नहीं जानता कि वे क्यों ट्विस्ट दे कर कहते हैं कि वायबल यूनिट जो न हों, उन को छोड़ देना चाहिये। खुद उन माननीय सदस्य की स्टेट बंगाल में बहुत काफी संख्या में संथाल लोग हैं। इसी तरह से उड़ीसा में भी हैं। सभी जगह पर संथाल लोगों की सख्या काफी अधिक है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि माइनारिटीज लैंग्वेज कमिशन ने और दूसरे संविधान ने जो रास्ता बतलाया है वह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब इम्प्लिमेंटेशन की स्टेज आती है तो स्टेट्स में उस के खिलाफ काम किया जाता है।

यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने आदिवासी भाषा को तरक्की देने यानी उस को अपना उचित स्थान देने के बारे में कहा। मैं उन को अफसोस के साथ बतलाना चाहता हूं कि उन सब स्टेट्स में, जहाँ पर आदिवासी लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि, प्राइमरी स्टेज में उन की भाषा पढ़ाने पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मैं बिहार का उदाहरण दूं जहाँ पर कि सब से अधिक अर्थात् ३८ लाख आदिवासी रहते हैं। आजादी के पहले तो हमारी भाषाओं को पढ़ाने का कुछ इन्तजाम भी किया गया था, लेकिन आजादी के बाद वहां पर उस को कम करने की कोशिश की जा रही है। संथाल परगने में जो आदिवासी लैंग्वेज के इन्स्पैक्टर थे वे काफी कम कर दिये गये। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हम लोग हिन्दी भाषा को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वह राष्ट्र भाषा है, मगर इस के माने यह नहीं होने चाहियें कि हमें हमारी भाषा को पढ़ने का अधिकार न हो जब कि संविधान में यह दिया गया है।

मैं लिंग्विस्टिक माइनरिटीज कमिशन की रिपोर्ट देखता हूं तो मुझ को बड़ी हैरानी होती है कि रिपोर्ट नं० २ में पेज २७० से ले कर २९७ तक ऐसे हिन्दी स्कूलों के नाम दिये गये हैं जिन में ८० या ९० परसेन्ट बच्चे आदिवासियों के पढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने इस बात को क्लेम किया कि इस में जो बच्चे बढ़ाये जा रहे हैं, उन सब की मातृ भाषा हिन्दी है। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी रिपोर्ट गलत है। इस में जो लिस्ट दी गई है उस में के अधिकतर लोगों की मातृ भाषा अदिवासी भाषा है। जिस का इन्तजार ही नहीं किया गया। क्यों सरकार उन लोगों को अपनी मातृभाषा आदिवासी पढ़ने का इन्तजाम नहीं करती है? उन को प्राइमरी स्टेज में भी मजबूर कर के हिन्दी भाषा पढ़ाई जाती है। मैं दोहराना चाहता हूं कि हम लोग अपनी भाषा को पढ़ेंगे, किसी दूसरी भाषा को पढ़ने के लिये हम पर जोर नहीं डालना चाहिये।

[श्री हं० च० सौय]

दूसरी बात उड़ीसा के माननीय सदस्य ने कही । उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भाषा की जो भी तरक्की की जाये, लेकिन उन की एक यूनिफार्म स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिये । मैं हैरान हूं कि इतने सीनिअर मेम्बर होते हुए भी वे यूनिफार्मिटी क्यों नहीं चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि जितनी आदिवासी भाषायें हैं उन की तरक्की हो और उन की एक ही स्क्रिप्ट देव नागरी हो । इस पर क्यों किसी को अतराज होता है ? उन माननीय सदस्य ने कहा कि सन् १९५२ का एलेक्शन, सन् १९५७ का एलेक्शन जो लड़ा गया वह उड़िया भाषा के आधार पर जीता गया है । यह दलील सरासर गलत है । मैं खुद सन् १९५७ में सराय केला और खरसवाँ इलाके से बिहार असेम्बली का मेम्बर चुना गया था । मैं बतलाना चाहता हूं कि खरसवाँ से मैं चुना गया था बिहार विधान सभा में, लेकिन मैं इस इश्यू पर मेम्बर नहीं चुना गया । हमारा इश्यू झारखंड स्टेट बनाने का था । उड़िया भाषा के नाम पर चुनाव लड़ा भी नहीं गया और जीता भी नहीं गया । कोई भी चुनाव ऐसा नहीं था । जो लोक सभा की सीट धालभूम की जीती गई या सदर सब डिवीजन और खरसवाँ का जो प्रतिनिधि यहाँ आया है वह उड़िया भाषा के इश्यू को ले कर और चुनाव लड़कर यहाँ नहीं आया है । इस इश्यू को ले कर यह चुनाव लड़ा ही नहीं गया । हमारे सीनिअर मेम्बर गलत इम्प्रेशन यहाँ देना चाहते हैं इस लिये मैं इस का सख्त विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में खरसवाँ और सराय केला को उड़ीसा में नहीं मिलाया जाना चाहिये । जहाँ की भाषा की बात वे कह रहे हैं वहाँ पर उड़िया लोग माइनारिटी में हैं । वहाँ पर जितने लोग हैं उन में से कम से कम ७०, ८० परसेन्ट लोग आदिवासी भाषा बोलते हैं । यह सही है कि चूंकि वह बार्डर का इलाका है इस लिये वहाँ के लोग हिन्दी भी जानते हैं और उड़िया भी जानते हैं । यह जरूर है कि एक जगह, जो बंगाल के सीनिअर मेम्बर हैं उन्होंने दूर तक जा कर यह कहा कि वायबल यूनिट न होने की वजह से उसे खत्म कर देना चाहिये क्योंकि वह कॉंस्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है । यह सारा झगड़ा ईस्टर्न इंडिया के बिहार, बंगाल और उड़ीसा की ओर हो रहा है, सिर्फ आदिवासी लोगों के इलाके को ले कर । आदिवासीयों को आप वैकुअम समझ बैठे हैं, हालाँकि हमारी अपनी भाषा है और संविधान कहता है, हमारा लिंग्विस्टिक कमिशन कहता है कि हमें लोगों को अपनी भाषा का अधिकार देना चाहिये । जब हम लोगों को अपनी भाषा का अधिकार दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस में बार्डर स्टेट के लोग भी आ जाते हैं । अगर इस तरह से हो जायेगा तो आदिवासी लोग अपनी भाषा को पढ़ेंगे और उन की दूसरी भाषा हिन्दी हो जायगी । इस लिये मैं यह चाहता हूं कि जो सारी स्टेट्स के आदिवासी हैं, उन को लेकर जितने झगड़े चल रहे हैं उनका निराकरण हो जायेगा यदि उन लोगों को अपनी भाषा पढ़ने का अधिकार दे दिया जाय ।

एक और चीज मैं इस सम्बध में कहना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हैं उन्हें हम को प्राइवेट एजेन्सी को नहीं देना चाहिये । गवर्नमेंट को सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये । हम देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की थर्ड फाइव इअर प्लैन में संस्कृत की ओर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है । जहाँ संस्कृत के विकास के उपर बिहार सरकार १ करोड़ रु० का इन्तजाम कर रही है । वहाँ आदिवासियों की भाषाओं की तरक्की के लिये सिर्फ १ लाख रु० खर्च करेगी । मैं समझता हूं कि यह सरासर गलती है । यह तो मैं आप को एक उदाहरण बतला रहा हूं । होना तो यह चाहिये कि जिस भाषा को ३० लाख लोग बोलत रहे हैं, उस पर अधिक खर्च होना चाहिये लेकिन हमारी बिहार गवर्नमेंट इस से उल्टा कर रही है । हमारी पुरानी संस्कृति के नाम पर वह १ करोड़ रु० का इन्तजाम कर रही है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के लिय सिर्फ देने का बहाना कर

रही है ।

और एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं । हमको संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि कोर्ट लेंग्वेज उसी सबडिवीजन की भाषा होनी चाहिए, लेकिन बिहार में और अन्य इलाकों में यह नियम लागू नहीं हो रहा है । यह बहुत जल्द होना चाहिए । हम देखत हैं कि जब से आफिसर लोग मुफस्सिल में जाते हैं तो वहाँ की भाषा न जानने के कारण उनको गलतफहमी हो जाती है और इससे कठिनाई भी होती है । होना तो यह चाहिए कि कोर्ट में उस इलाके की भाषा में काम होना चाहिए । मैं गृह मंत्री जी से सविनय अनुरोध करूंगा कि हमारी भाषा के बारे में जाँच होनी चाहिए और इस विषय में राज्य सरकारें जो गलती कर रही हैं उनसे कहा जाए कि नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर हमारी भाषा को बढ़ने का अधिकार होना चाहिए । ऐसा न हो कि संविधान में कुछ कहा गया हो मगर भाषा के मामले में हमको सैकिंड रेट सिटोजन माना जाए । यह सरासर अन्याय होगा । इसलिए मैं ने यह निवेदन किया है ।

†**श्री अब्दुल वहीद** (वैल्लोर) : मेरी मातृ भाषा उर्दू है । मेरी राज्य भाषा तमिल है और इस कारण मुझे काफी असुविधा होती है । यद्यपि मैं तमिल जानता हूं तथापि मैं उसे इस धडल्ले और स्वभाविकता से नहीं बोल सकता हूं जैसा कि मैं उर्दू बोल सकता हूं ।

मैं दो कालजों का प्रबन्ध कर रहा हूं । उन दोनों में उर्दू द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत है । तथापि मैं देखता हूं कि तमिल के अनिवार्य भाषा होने के कारण हमारे विद्यार्थियों को काफी असुविधा हो जाती है । तथापि मुझे विश्वास है कि व्यवहारिकता को देखते हुए यही करना ठीक है जिससे कि ये विद्यार्थी भविष्य में किसी प्रकार की असुविधाऐं न उठायें ।

मुसलमानों को यह समझना चाहिये कि यदि सेवाओं में कोई भेदभाव किया जाता है तो वह उनके मुसलमान होने अथवा उर्दू भाषी होने के नाते नहीं किया जाता वरन् इसलिये कि राज्य की भाषा तमिल अथवा कन्नड़, अथवा तैलगू है ।

राज्यों के भाषायी अल्पसंख्यकों को राज्य की भाषा सीखनी चाहिये जिस प्रकार कि वे अभी तक अंग्रेजी सीखते रहे हैं । हां, वे अपनी मातृभाषा का दूसरी भाषा के रूप में अध्ययन कर सकते हैं ।

अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता अवस्था में अपनी मातृ भाषा के माध्यम से पढ़ने दिया जाना चाहिये, परन्तु उसके बाद शिक्षा का माध्यम राज्य की भाषा होनी चाहिये । उनका इसे स्वीकार कर लेने में ही सर्वाधिक हित है । उन्हें हिन्दी भी सीखनी चाहिये ।

†**श्री म० ला० जाधव** (मालेगाँव) : मेरे विचार से देश की एकता को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि हिन्दी का राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास किया जाये । प्राथमिक अवस्था में शिक्षा का माध्यम मराठी होना चाहिये ।

मध्य प्रदेश और मैसूर सीमाँत में जो डाँग लोग रहते हैं उनकी भाषा मराठी है किंतु मराठी स्कूलों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है । मेरे विचार से भाषायी आयुक्त का यह कर्त्तव्य है कि वह इस ओर विचार करे । उन स्कूलों में जहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है उनको उचित संरक्षण दिया जाना चाहिये ।

मैं वहाँ के उच्च न्यायालय से यह निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में ऐसे न्यायिक अधिकारी भेजे जायें जो स्थानीय भाषा जानते हों जिससे कि वे साक्ष्य इत्यादि को भली भांति समझ सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषा के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने इस के बारे में कहा है और बहुतों को अभी भी कहना होगा लेकिन एक चीज मैं बिलकुल साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में अब ज्यादा देर तक अंग्रेजी का बने रहना हितकर न होगा और इससे देश का अहित ही होगा। मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे देश में अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक हमारा देश विशेष तरक्की नहीं कर सकेगा।

अब भाषा का प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में काफी झगड़ा चलता है। हमें देखना होगा कि आखिर इस भाषा के झगड़े को कैसे निबटाया जा सकता है? इस सम्बन्ध में मैं तो अपना यह सुझाव रखना चाहता हूं कि अगर देश की मातृभाषाएं देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ाई जांय तो यह झगड़ा बहुत हद तक मिट सकता है। अगर तमाम भाषाओं की पढ़ाई के लिए हिन्दी और देवनागरी लिपि को माध्यम बना लिया जाय तो मैं समझता हूं कि देश में एकता की भावना आयेगी। इससे राष्ट्रीय एकता हमारी मजबूत होगी। भारतीय संविधान के अन्दर हमारी सरकार ने जो यह गारन्टी दी है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी उसको भी बल मिलेगा।

मैं समझता हूं कि इस हाउस के अन्दर हमारे कितने लोग ऐसे हैं जोकि पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं। हिन्दी वहां पूरी बोली नहीं जाती है लेकिन हिन्दी को वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब चूंकि यहां पार्लियामेंट में अंग्रेजी का बोलबाला है इसलिए पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग बड़ी डिस्एडवांटेज में रहते हैं और यहां जो कुछ कार्यवाही होती है उसको समझने में असमर्थ रहते हैं। चूंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए न तो वह समझ पाते हैं और न ही अपने विचार और सुझाव यहां ठीक से रख पाते हैं। सन् १९५२ से लेकर अब तक मैं तीन बार यहां पर चुन कर आया हूं। यह मेरा दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि हमारी जो क्षेत्रीय कठिनाइयां हैं उनको मैं यहां न तो मंत्री महोदय तथा अन्य लोगों को समझा पाता हूं और न ही उनकी बातों और विचारों को समझ पाता हूं। सही तौर पर मैं अपने क्षेत्र की कठिनाइयां तभी रख सकता हूं और उनको कनविंस कर सकता हूं जबकि यहां पर तमाम कार्यवाही हिन्दी में चले लेकिन यहां तो अंग्रेजी का बोलबाला है। यह ठीक ही कहा जाता है कि अंग्रेज तो भारत से चले गये लेकिन अंग्रेजी की बू और अंग्रेजी के प्रति मोह अब भी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अफसरान के दिमाग में है।

इस देश के अन्दर करीब दस करोड़ आदिवासी और हरिजन भाई बसते हैं। वह अभी भी पिछड़े हुए हैं लेकिन मेरा कहना है कि आप ने उनको दस वर्ष के लिए रिजरवेशन दिया है वह आज के हालात में नाकाफी सिद्ध होगा क्योंकि अब अंग्रजी को भी और आगे बढ़ाया जायगा और जब तक इस देश में अंग्रजी चलती रहेगी तब तक यह हरिजन और पिछड़ी जातियां पीछे पड़ी रहेंगी और अंग्रेजी को लम्बी जिन्दगी देने का नतीजा यह होने वाला है कि इस दस वर्ष की हरिजनों को रिजरवेशन देने की जो अवधि आपने रखी है वह पर्याप्त सिद्ध होगी और रिजरवेशन की अवधि को आप को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए रिजरवेशन नहीं रखेंगे तो आज के हालात में हमारी तरक्की नहीं हो पायेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह हरिजनों के लिए रिजरवेशन खत्म हो तो आपको अंग्रेजी को खत्म करना है। आप अंग्रेजी को खत्म कीजिये और मैं आपको शेड्यल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम को तब रिजरवेशन नहीं चाहिए। हमारी उन्नति की राह में रुकावट का जो मूल कारण है वह यह अंग्रेजी है। अगर आप हमारी उन्नति करना चाहते हैं तो इस देश से अंग्रेजी को जल्द से जल्द निकालिये।

मैं यहां लोक सभा में राजस्थान से चुन कर आया हूं। अब राजस्थानी हमारी मातृभाषा है। हम इस भाषा के प्रश्न को लेकर लड़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन सदन् को और मंत्री महोदय को

यह मालूम होना चाहिए कि डेढ़ करोड़ आदमियों की मातृभाषा राजस्थानी है । अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान वह भी देश की एक भाषा है लेकिन भारतीय संविधान में उसका कहीं नाम पता नहीं मिलता है न ही इस रिपोर्ट में कहीं राजस्थानी भाषा का जिक्र आया है । लेकिन जहां मुझे राजस्थानी से मोह है वहां एक भारतीय होने के नाते हिन्दी से कम मोह नहीं है बल्कि उससे अधिक मोह है । जहां मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति की जाय उनके शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय वहां मैं अन्त में फिर यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि इस देश से अंग्रेजी को जल्द से जल्द हटाया जाय और हिन्दी को पूर्ण रूप से उस पद पर बैठाया जाय जोकि आज अंग्रेजी को प्राप्त है । बस मैं इससे ज्यादा इस अवसर पर और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य इस बारे में अपने विचार प्रकट करने को इच्छुक हैं ।

श्री शिव नारायण (बांसी): अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे ऐसे सुन्दर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । यह खेद का विषय है कि आज भी इस देश में हिन्दी के विरुद्ध कहीं-कहीं आवाजें उठ रही हैं । मैं एक हिन्दी भाषी प्रान्त अर्थात् उत्तर प्रदेश से यहां आता हूं । मैं समस्त भारतीय भाषाओं का आदर करता हूं और चाहता हूं कि वह फलें फूलें । मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी संस्कृत भाषा सब भारतीय भाषाओं की एक प्रकार से जननी है । संस्कृत सब भारतीय भाषाओं की रूट है । संस्कृत भाषा तेलुगू में है, मलायालम में है और बंगला आदि में है । हर एक की जड़ संस्कृत है । आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइये आपको वहां संस्कृत की रूट मिलेगी । आज हमारे कुछ दक्षिण भारतीय हिन्दी का विरोध करते हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि दक्षिणी भारत के आचार्यों ने इस देश को ऊंचा उठाया था । श्री शंकराचार्य के चारों मठों से भी हम को वह प्रेरणा मिलती है । सन् १९४७ के बाद से भारत ऊंचा उठा है । यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा हमारी संस्कृत भाषा से है । उससे सारी भाषायें निकली हैं ।

उर्दू का बड़ा प्रश्न चलता है । जहां तक इसका सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उर्दू को हम प्रश्रय देंगे, उसको पढ़ने की लोगों को सुविधा देंगे । उर्दू पंजाब में भी पढ़ाई जाती है और हमारे यहां भी । साथ ही साथ लोग हिन्दी भी पढ़ते हैं । सरदारों और कायस्थ फैमिलीज़ में उर्दू बहुत चलती है । अच्छी से अच्छी उर्दू वहां लोग जानते हैं । मैं इस एवान को कहना चाहता हूं कि उर्दू, फारसी मैं स्वतः जानता हूं और उर्दू में बड़ी रुचि रखता हूं । मैं आपको उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

न पेमां शिकन हैं न गद्दार हैं हम
वतन परवरी के खतावार हैं हम ।

उर्दू की हम मान मर्यादा को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं । हमें इस बात का गुमान होना चाहिये कि इस देश का नागरिक प्रत्येक भाषा बोल सकता है, हिन्दी बोल सकता है, संस्कृत बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, उर्दू बोल सकता है, हिन्दुस्तानी बोल सकता है । देश में एकता लाने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हम को सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिये । एक रोज़ मैं बोलना चाहता था लेकिन चूंकि समय नहीं मिला इस वास्ते मैं बोल नहीं सका । मैं आज कहना चाहता हूं कि बाबू प्रेमचंद जी ने जो हिन्दी लिखी, उसमें, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया । उन्होंने जो भी साहित्य लिखा सिम्पल भाषा में लिखा जिस को हर आदमी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पंजाबी हो या मद्रासी, कोई भी हो, अगर वह थोड़ी सी भी हिन्दी जानता है तो पढ़ सकता है और समझ सकता है । मैं भी उसी सरल भाषा में बोल रहा

[श्री शिव नारायण]

हूं जिसको आप समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल सिम्पल हिन्दी, हिन्दुस्तानी में आप से बोल रहा हूं। हमारे दाहिनी ओर माननीय कामत साहब बैठे हुए हैं, वह भी हिन्दी बोलते हैं। बाल्मीकी जी से वह एक रोज़ कह रहे थे कि मैं भी हिन्दी बोल सकता हूं। उन्होंने बाल्मीकी जी से यह भी कहा कि तुम भी इंग्लिश जानते हो, समझ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हो। साहित्य और भाषा को समझना, मैं मानता हूं, कठिन काम है। मैं अपर हाउस से आ रहा हूं। वहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं। उन्होंने एक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है। अब फ्रेज़ को समझना, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा को समझना हर आदमी के लिए आसान नहीं है। इने गिने आदमी ही समझ सकते हैं। विद्वान और पंडित ही साहित्य के मूल सूत्र को समझ सकते हैं, आम आदमी तो आम फहम भाषा ही समझ सकता है। इस देश में हम को सिम्पल हिन्दी का, जिसको हिन्दुस्तानी कहते हैं, प्रयोग करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास को कोट करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के ज़माने में पाली भाषा थी। संस्कृत हटी तब उसके बाद पाली भाषा आई और पाली भाषा से टूट कर हिन्दी आई। पृथ्वी राज चौहान के बाद, मुहम्मद गौरी वगैरह आये और उसके बाद हिन्दी आई। उसके पहले राजस्थानी थी। इस तरह से संस्कृत से पाली और पाली से हिन्दी आई और अब हिन्दी ज़रा मंज रही है। हिन्दी भाषा भाषियों से भी मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको भी कसना चाहता हूं कि वह इस भाषा को संस्कृत-निष्ठ न बनायें और ऐसी भाषा न बनायें जिसको आम आदमी समझ न सके। यह साहित्य का प्रश्न है। हमको इसको इतना तूल नहीं देना चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये जिससे वैमनस्य पैदा हो, या देश में डिसयूनिटी पैदा हो।

हम देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, हम को करना चाहिये। अंग्रेजी की बात यहां की जाती है। इसको हमें इतना प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, जितना दिया जा रहा है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक साहित्य, एक जबान और एक भाषा हो। अगर देश को ऊंचा उठाना हो तो उसकी एक जुबान, एक भाषा और एक साहित्य होना चाहिये और अगर उसको मिटाना हो तो उसके साहित्य को मिटा दो। देश को मिटाने के लिए अंग्रेज़ ने, मैकाले ने यही किया था। उसने बाबू पैदा किये, क्लर्क पैदा किये। आज हम को हिन्दुस्तान में अच्छा डाक्टर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा जज, अच्छा वकील चाहिये। आज जरूरत इस बात की है कि हम छोटी छोटी बातों में न पड़ें। यह हमें शोभा नहीं देता है। हम को अपने देश के साहित्य की, अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आचरण को दुरुस्त करना होगा और अपने बुजुर्गों के बताये हुए, अपने आचार्यों के बताये हुए रास्ते पर चलना होगा। राम चरित मानस जिसको महात्मा तुलसी दास जी ने लिखा है, कितनी सुन्दर और सरल भाषा में लिखा है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है :

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी॥

कितनी सिम्पल भाषा में उन्होंने इसको लिख दिया है। पालिटीशियन उसको कितने ऊंचे पैमाने पर नाप सकते हैं। किसान जो गांव में रहता है वह इसको रामधुन में याद करता है। पंडित अपनी ही भाषा में इसको तौलता है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपने को किस श्रेणी में गिनते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के एक मामूली किसान का बच्चा हूं और साधारण हिन्दी जानता हूं और इसलिए उसी पैमाने पर तौलता हूं। समझने की मैं जरूर इन सब चीज़ों को कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जो प्रेम है वह बना रहे और देश ऊंचा उठे। इसलिए मैं बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों को कोट करता हूं। हमारे शर्मा जी यहां कह रहे हैं कि एक और शेर मैं सुना दूं

अध्यक्ष महोदय : शेर सुनाने का अब वक्त नहीं है।

श्री शिव नारायण : मैं भी शेरों के चक्कर में नहीं हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि जितनी भी भाषायें हैं, हिन्दी है, संस्कृत है और भी जितनी भाषायें हैं, उन सबको प्रोटैक्शन मिलना चाहिये।

आज इंग्लिश की बात की जाती है। आपके आशीर्वाद से मैंने भी इंग्लिश पढ़ी है। वह आज देश की भाषा नहीं है। मैं उसका बड़ा घोर विरोध भी नहीं करता। मैं तो इसमें विश्वास करता हूं कि अपने को मजबूत करो। किसी दूसरी भाषा को सीख लेने में कोई हानि नहीं, लाभ ही है। हमको फारेन एफेयर्ज़ के साथ डील करना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, अपने मुल्क में मद्रास आदि में जाना पड़ता है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आयेगी तो वहां हम एक दूसरे को नहीं समझ नहीं सकेंगे, राजगोपालाचार्य जी से बात नहीं कर सकेंगे, वह हमको नहीं समझ पायेंगे, हम उनको नहीं समझ पायेंगे। इंग्लिश जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन फर्स्ट प्रेफ्रेंस आपको हिन्दी को, जो कि राष्ट्र भाषा है, देना होगा। इस माननीय सदन ने और इस देश के नेताओं ने और यहां तक कि राजगोपालाचार्य जी ने भी हिन्दी को प्रोटेक्शन देने की बात को स्वीकार किया है और कहा था कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा होगी। इस वास्ते जो राष्ट्रभाषा है, वह सर्वोपरि रहेगी और बाकी जितनी भाषायें हैं, सब उसके नीचे रहेंगी। अगर कोई भाषा यह चाहे कि मैं राष्ट्र भाषा के ऊपर चढ़जाऊं तो यह ना-मुमकिन है इसको कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो अन्य भारतीय भाषायें हैं, उनको हमें दबा देना चाहिय। वे भी फलें फूलें। हम तो यही चाहते हैं कि राष्ट्र भाषा को प्राटैक्शन मिले और देश का कल्याण हो।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज): जनाब स्पीकर साहब, मैंने अभी हमारे दोस्त दातार साहब की स्पीच को सुना है। उन्होंने निहायत खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाले अलफाज़ मैं लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ की हिफाज़त के लिये जो कुछ फरमाया है, वह यकीनन बहुत ही उम्मीद-अफज़ा है। मगर सवाल यह है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ की हिफाज़त की जो बात आपने कही वह क्या सिर्फ इस हाउस में कहने की है या उस पर अमल करने की भी जरूरत है। सवाल यही है। मैं उनसे कहूंगा कि इस हाउस में बात कहने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उस पर अमल न करें। आपने होम मिनिस्ट्री के प्रस नोट का हवाला दिया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने एक प्रेस नोट उर्दू के बारे में इशू किया था तमाम स्टेट्स को और सब स्टेट्स ने उसको एक्ज़ेट किया था। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस बात को कई बरस हो गये हैं, क्या किसी स्टेट ने उस पर अमल किया है और अगर अमल किया है तो वह बतायें कि इस इस तरीके से उन्होंने अमल किया है। अगर आप इसको बता सकें तो मैं समझता हूं कि कुछ इसमें कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि किसी बात पर भी उन्होंने सही अमल नहीं किया हैं। इससे मालूम होता है कि सैंटर और स्टेट्स में बिल्कुल तफावुत है, वे एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते हैं।

हमारे एक दोस्त ने जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, कहा कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कहीं भी उर्दू बोली नहीं जाती है और उर्दू वहां किसी सक्शन की जुबान नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी यह बात बिल्कुल गलत है। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की

[श्री मुहम्मद ताहिर]

रिपोर्ट को आप देखें, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि बिहार के उस हिस्से को जो कि बंगाल में दिया गया है और जो किशनगंज का एरिया है, उसमें उर्दू जबान चलती है और वस्ट बंगाल को चाहिये कि उस एरिया के लिए आफिशल लैंगुएज वह उर्दू करे, कोर्ट लैंगुएज उर्दू करे। लेकिन आज वस्ट बंगाल में उर्दू नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको तो आप छोड़ दें, लेकिन हिन्दी जो कि नेशनल लैंगुएज है उसमें भी अगर आज आप कोई दरख्वास्त वगेरह लेकर किसी कोर्ट में जायें, तो ना-मुम्किन है, कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। यह हश्र वहां हिन्दी तक का है। उर्दू जिसके बारे में कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उर्दू वहां की जुबान होनी चाहिये, नहीं हो रही है। यह ठीक है कि सैंटर का जो प्रेस नोट होता है, उसकी जो हिदायात होती हैं, उनको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

हमारे त्यागी साहब ने अजीब फलसफा बयान किया है। उन्होंने कहा है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ के बारे में जो कहा जाता है और जो स्लोगन रेज़ किया जाता है, यह बिल्कुल ख़राब है, इससे नसली इंटेग्रशन नहीं हो सकता है। मुझे कहना पड़ता है कि यही एक मुल्क नहीं है जहां लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ का सवाल है। आप एशिया में चले जायें, फिनलैंड में चले जायें, स्विटज़रलैंड में चले जायें, वहां पर कितनी ही लैंगुएजिज़ हैं लेकिन एसा होने पर भी वहां नैशनल इंटेग्रेशन है, खौमी एकदा जरूर है। वहां पर तमाम जो माइनोरिटीज़ हैं, उनकी जो लैंगुएजिज़ हैं, उनको आफिशल लैंगुएज में शुमार किया गया है।

यहां पर स्कलों मैं टेक्स्ट बुक्स का ज़िक्र भी किया गया है। इन टेक्स्ट बुक्स के बारे म मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुलाहिजा फरमायें उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कलों की टैक्स्ट बुक्स का, तो आपको अफसोस होगा। वाकई यह टैक्स्ट बुक्स वहां ऐसी तैयार की जाती हैं जिन में खास तौर पर सबक दिया जाता है कि किस तरीके से हिन्दू और मुसलमानों में नफरत हो जाए या नफरत होनी चाहिये। टैक्स्ट बुक्स में यह खास तौर से बतलाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : आजकल ऐसा नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर : ऐसी बात है। मैं इसे बतला सकता हूं, मेरे पास सुबत हैं।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा): आप सुबूत दीजिये। कुछ यहां पर कोट तो कीजिये जिससे यह पता चल सके।

श्री शिव नारायण : अभी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश में पब्लिकली अनाउंस किया है कि उर्दू को प्रोटेक्शन दिया जायेगा।

श्री मुहम्मद ताहिर : प्रोटेक्शन की बात वह कहते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स्ट बुक्स देखें तो हैरान होंगे कि इस किस्म के सबक बच्चों के जहन में दिये जाते हैं जिनसे कि मुसलमानों और हिन्दुओं में नफरत हो। क्या टैक्स्ट बुक्स ऐसी होनी चाहियें ..... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेम्बर साहबान को सुन लेना चाहिये। जो जवाब देना चाहें मैं बाद में उनको बुला लूंगा।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अखबार वाले और दुनिया वाले यह कहेंगे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो मैं मौका दे चुका । आप कहें तो मैं अब दूसरे लोगों को बुला लूं ।

एक माननीय सदस्य : मैं खुद टीचर हूं । मैं जानता हूं कि इस तरह से नहीं हो रहा है ।

श्री मुहम्मद ताहिर : आप टीचर होंगे, लेकिन अगर स्पीकर साहब इजाजत दें तो मैं उन किताबों को भी यहां पेश कर दूंगा जिसनमें इस किस्म की बातें लिखी गई हैं ।

श्री बड़े : मेरा कहना यह है कि आप कोई इस तरह का इन्स्टेंस कोट कीजिये जिसमें कि टैक्स्ट बुक्स में हिन्दू और मुसलमानों के बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश की गई हो ।

श्री मुहम्मद ताहिर : मैं बताऊंगा । अगर मुझे वक्त दिया जाय तो मैं स्पीकर साहब के सामने उन किताबों को हाजिर कर दूंगा जिन में इस किस्म की नफरत का इजहार किया जाता है । यह गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मेम्बर साहब से कहूंगा कि यह बात ऐसी है जिसका यहां सुनने वालों पर भी और जो बाहर सुनेंगे उन पर भी गहरा असर होगा । इसलिये जब तक मेम्बर साहब के पास इस बात का पूरा सबूत न हो, या वह नाम न दे सकें कि यह किताब है, तब तक इससे गलतफहमी होने का अन्देशा है । किसी भी मेम्बर साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिसके लिये वह खुद जिम्मेदारी से सबूत न दे सकें । आप बात को इतनी दूर तक ले जाना ठीक नहीं है क्योंकि इसका आम तौर पर जो असर बाहर पड़ेगा वह भी अच्छा नहीं होगा और अन्दर वाले मेम्बर साहब भी इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं ।

श्री मुहम्मद ताहिर : मैं इसका सबूत दे सकता हूं । अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं किताबें भी पेश कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शायद किसी किताब में प्रिंटर्स ने "न" का लफ्ज न लिखा हो। मुमकिन है कि प्रिंटर्स से गलती हो गई हो ।

श्री मुहम्मद ताहिर : यह हो सकता है । दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह अप्वाइंटमेंट्स के बारे में है । हमारे दातार साहब ने कहा है कि उन्होंने लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ की हिफाजत के लिये दो बातें बतलाई हैं यानी एक तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को रिस्पांसिबल बतलाया है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेबल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है । मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ की हिफाजत हो तो आप स्टेट्स के सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स पर ऊपर इस चीज को न छोड़ें । इसलिये कि उनके पास फुर्सत कहां है कि वह इन बातों को देखें । कम से कम उन के साथ आप एक कमेटी बना दीजिये जिसमें लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के दो चार मेम्बर हों, और वे उनको बतलायें कि इस तरह से अप्वाइंटमेंट्स हुए हैं, या इंडस्ट्रीज में या विजनेस में किस तरह से माइनारिटीज के साथ बेइंसाफियां की जा रही हैं । तभी चीफ मिनिस्टर उस में ठीक से हिस्सा ले सकते हैं और बेइंसाफियों को दूर कर सकते हैं ।

इसी तरह से आप डिस्ट्रिक्ट लेबल पर ले लीजिये । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के साथ एक एसी कमेटी बना दीजिये जिसमें लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ के लोग हों, कुछ नान आफिशल मेम्बर दे दीजिये, उसमें पार्लियामेंट के मेम्बर हों, लेजिस्लेचर्स मेम्बर्स हों । उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ लगा दीजिये ताकि वह देखें कि जिम्मेवार अप्वाइंटमेंट्स में हर तरीके से लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के हकूक की हिफाजत हो रही है या नहीं । अगर आप एसा करेंगे तभी कुछ कामयाबी हो

[श्री मुहम्मद ताहिर]

सकती है । लेकिन अगर आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर छोड़ दें तो मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स पन्द्रह वर्ष से काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पन्द्रह वर्ष से काम कर रहे हैं । क्या उन्होंने माइनारिटीज की हिफाजत की ? अगर वह ऐसा करते तो यह आवाज आज हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा न होती । मैं नहीं कहता कि वह खुद इस चीज को नहीं चाहते हैं, मगर उनके पास वक्त नहीं है । स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास इतना ओवरव्हेलमंगली काम आता है कि वह इसे देख नहीं सकते हैं । अगर आप कुछ लोगों को उनके साथ मिला दीजिये, उनके साथ जोड़ दीजिये, तो वे हमेशा इसे देखेंगे और बतलायेंगे कि कहां कहां माइनारिटीज के साथ बेइंसाफी की जाती है । आप इस पर गौर कीजिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका खयाल भी उन लोगो की तरफ जायगा और वह इस पर ध्यान देंगे ।

मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं और इन अल्फाज के साथ खत्म करता हूं ।

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान रिपोर्ट के उस पैरा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिन में बहुत सी लग्वेजेज के बारे में लिखा गया है कि कार्यवाइयां हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले जिस बारे में इंटरप्ट कर रहे थे उस का जवाब क्यों नहीं देते ? जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तब आप बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। अगर आप के पास जवाब है तो पहले उसी पर बोल लीजिये ताकि उन का जवाब हो जाये ।

श्री क० ना० तिवारी : वह मैं दे रहा हूं ।

अभी तक जितनी बातें कही गई हैं उन में उर्दू के सम्बन्ध में बोलने वालों ने, खास तौर से अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ उर्दू के बारे में कहा है और हिन्दी की पुस्तकों के बारे में कहा है कि ऐसी टैक्स्ट बुक्स हैं, ऐसी किताबें हैं, जिन से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलती है, उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसी किताब हिन्दी की टैक्स्ट बुक्स में नहीं देखी । जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, आप ने भी कहा कि अगर कोई माननीय सदस्य इस हाउस में ऐसी बातें करते हैं तो उस का बहुत खराब असर बाहर भी पड़ता है और जो नेशनल इंटेग्रेशन की बात है उस को भी बहुत जबर्दस्त धक्का लगता है । यही नहीं, जो सैक्शन मुसलमान लोगों का है, जिन्हें हम माइनारिटी के लोग कहते हैं, उन के साथ जो सुन्दर व्यवहार होता है, इस तरह की बातों से उस पर भी बहुत खराब असर पड़ता है, और जो आपस में हिन्दू मुसलमानों और दूसरी जातियों के सम्बन्ध हैं उन में भी बहुत तफर्का आता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर कोई इस तरह की बात है तो बिना उस को दिखाये हुए, बिना उस का रिफरेंस दिये हुए, इस तरह की बातें माननीय सदस्य को नहीं कहनी चाहियें । जहां तक हम लोगों का अपना ख्याल है, कोई ऐसी किताब नहीं है । खास तौर से टैक्स्ट बुक्स की प्रादेशिक सरकारें जांच करती हैं, केन्द्रीय सरकार जांच करती है, इस हर सतह पर उन की जांच होती है, तब जा कर वह टैक्स्ट बुक्स पास की जाती हैं । इस के लिये कमेटी होती है । अगर कोई ऐसी बातें किसी टैक्स्ट बुक में होती हैं तो वह किताब पास नहीं की जाती । इसलिये यह कहना कि इस तरह की किताबें हैं, मैं समझता हूं कि गलत है ।

दूसरे मैं आप का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि उड़ीसा के एक विरोधी माननीय सदस्य ने कहा है कि जब से बिहार में उड़ीसा का कुछ हिस्सा चला गया है, उड़ीसा के ऊपर वहां

की सरकार का ध्यान नहीं है और वह सप्रेस की जाती है। उस की बढ़ोतरी नहीं होती। इस के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट का सेकेन्ड एडिशन है उस के पेज १६ पर जो पैराग्राफ ४३ है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं :

"यह प्रतिवेदन ३१ जुलाई, १९५६ तक की अवधि के लिये है। इस दफ्तर में उड़िया भाषा बोलने वाले अल्प संख्यकों से कई शिकायतें भी आई हैं।"

स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है ३१८। उस में हिन्दी के टीचर्स हैं १०, बंगाली का १ और उड़िया के ५। इसी तरह से खरसवा में विद्यार्थियों की संख्या है ३१७। उस में हिन्दी के टीचर्स हैं १०, बंगाली के २ और उड़िया के ५। यह फिगर्स इस में दिये हुए हैं।

"दिये हुए आंकड़ों से पता चलता है कि विलय से पहले इस क्षेत्र में एक उच्च स्कूल, पांच मध्य स्कूल और ५२ प्रारम्भिक स्कूल हैं। इस समय २ ऐसे उच्च स्कूल हैं, ९ मध्य स्कूल और ४९ प्रारम्भिक स्कूल हैं।"

दूसरी बात अभी हमारे एक भाई ने यह कही कि उरदू को प्रिफ्रेंस नहीं मिलता और उरदू को दबाया जाता है। हमारा ख्याल यह है कि यह प्रोपैगेंडा ज्यादा है और ये लोग फैक्टस में जाने की कोशिश नहीं करते। इस रिपोर्ट में बिहार के बारे में लिखा है :

विभिन्न अभ्यावेदनों में उठाई गई बातें बिहार सरकार को संक्षेप में बता दी गई थीं। बिहार सरकार का उत्तर परिशिष्ट एक में है।

मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि अपेंडिक्स एफ में देखें। उस में लिखा है :

"उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि साहिबगन्ज कालिज को छोड़ कर सब कालिजों में उर्दू पढ़ाया जाता है।!"

और आगे कहा है :

"स्नातकोत्तर अवस्था में पटना विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है। अतः सरकार बिहार विश्वविद्यालय में उर्दू का स्नातकोत्तर अवस्था में आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझती"।

अभी हमारे तदोस्त ने जो छोटा नागपुर की तरफ से आये हैं कहा कि उन की भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस के बारे में इस रिपोर्ट के पेज ९ पर लिखा है उस को वह पढ़ लें। इस में लिखा है :

"इस संकल्प के लिये मातृभाषायें हिन्दी, बंगाली, उड़िया, उर्दू, मैथली, सन्थाली, ओटाओ हैं, मुन्दारी और आंग्ल भारतीय शिष्यों के लिये अंग्रेजी होगी।"

तो इस तरह से केवल प्रोपैगन्डे के लिये इस प्रकार की बातें कह दी जाती हैं और लोग रिपोर्ट में नहीं जाते और उस को नहीं देखते और इस प्रकार की बातें चाहे वे उड़ीसा के अपोजीशन के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों कह देते हैं। इस प्रकार की बातें कह कर देश में जहरीला वातावरण फैलाना उचित नहीं है। मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट में काफी मैटीरियल दिया गया है। इस की तरफ माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं संस्कृत के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कर दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े संक्षेप में एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री ताहिर को गवर्नमेंट से यह शिकायत है कि गृह मंत्रालय की ओर से जो इस प्रकार के प्रैस नोट राज्यों को जाते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया जाता ।

अभी माननीय त्यागी जी ने कहा कि इस प्रकार के आन्दोलनों से, अर्थात् छोटी छोटी भाषाओं का नारा लगाने से यह परिणाम हुआ है कि हमारे देश की अखंडता खंडित होती चली जा रही है। लेकिन ताहिर साहब का कहना है कि अगर छोटी छोटी भाषाओं को संरक्षण दिया जायेगा तो इस से देश की अखंडता खंडित नहीं होगी ।

तीसरी बात जिस पर उन्हों ने विशेष जोर दिया है वह मेरा विचार है केवल इस सदन को सुनाने के लिये नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्रैस को सुनाने के लिये है। उन्हों ने कहा कि इस प्रकार की पुस्तकें हिन्दुस्तान में पढ़ायी जाती हैं कि जिन को पढ़ने से . . . ..

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अपना निवेदन है कि यों . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब यहां बोलें तो यह कहना उचित नहीं कि उन्हों ने पाकिस्तान प्रैस को कहने के लिये यह बात कही । यह आप को नहीं कहना चाहिये। यह ठीक नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कल परसों वहां के पत्रों में देख लेंगे कि इस प्रकार की बहुत सी बातें छपती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप के पास कोई सबूत न हो तब तकऐसा कहना मुनासिब नहीं है। मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: दूसरी बात जो मैं विशेष रुप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक उन प्रैस नोटों का सम्बन्ध है जो गृह मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकारों को भेजे जाते हैं, उन के बारे में कहा जाता है कि उन को व्यावहारिक रुप नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं इस रिपोर्ट में से ही कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। सब से बड़े दुख की बात तो यह है कि जब भी उरदू का प्रश्न आता है तो उसे एक सम्प्रदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ मिला दिया जाता है और उसी आधार पर उर्दू की उन्नति या अवनति के सम्बन्ध में चर्चायें की जाती हैं। सम्प्रदाय विशेष के साथ उस को लगा कर उस आधर पर चर्चा की जाती है ।

मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े विशेष रुप से इस दृष्टि से देना चाहता हूं कि संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहां उर्दू से चिपटे सम्प्रदाय विशेष की संख्या अधिक नहीं है, जिस के लिये इतनी बड़ी सुविधायें दी जा रही हैं। यह गृह मंत्रालय की नीति का ही परिणाम है कि वहां इस प्रकार की सुविधायें दी जा रहीं हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १९५५-५६ में मध्य प्रदेश में उरदू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १६,६८६ थी और उन के लिये ५९१ अध्यापकों का प्रबन्ध किाया गया। १९५६–५७ में उरदू पहुने वाले विद्यार्थियों की संख्या १८,३३९ थी और उन के लिये ६२७ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार सन् १९५७–५८ में उरदू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १९,७०५ थी जिन के लिये ६४७ अध्यापकों की व्यवस्था की गई ।

इसी प्रकार आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अध्यापकों की संख्या हजारों में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में सन् १९५५–५६ में उरदू पढ़ने वाले विद्यार्थी ७३,७०४ थे जिन के लिये २,६१० अध्यापकों की व्यवस्था की गई। सन् १९५६–५७ में २,७४४ अधापकों की व्यवस्था की गयी।

तो यह कह कर कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो प्रैस नोट राज्य सरकारों को जाते हैं उन को व्यावहारिक रुप नहीं दिया जाता केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है उस दल के एक सदस्य द्वारा जिस की आज सरकार है। मेरा ऐसा अनुमान है कि यह संगत नहीं बल्कि इस के पीछे कुछ दूसरा भाव छिपा प्रतीत होता है।

दूसरी बात। एक पुस्तक के सम्बन्ध में इन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तरप्रदेश में एक ऐसी पुस्तक पढ़ायी जाती है जिस से हिन्दू और मुसलमानों के बीच में आपस में वैमन्स्य की खाई चौड़ी होती जाती है। होना तो यह चाहिये था, जैसा कि श्रीमान्, आप ने संकेत किया, कि यह दोषारोपण करने से पूर्व माननीय सस्दय उस पुस्तक का नाम या उस पाठ का ब्नाम लिख कर लाते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं इसलिये अपनी जानकारी के आधार पर पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पुस्तक की चर्चा वह कर रहे थे उस पुस्तक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश. में एक सम्प्रदाय विशेष की ओर से यह कहा गया था कि इस प्रकार की पुस्तक पढ़ायी जाती है जिससे दूसरे धर्म का अपमान होता है और इसलिये इस पुस्तक को अमुक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उस सम्बन्ध में अपनी सफाई भी दी थी। आज मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मामले में व्यावहारिकता और निष्पक्षता से ही काम नहीं लिया बल्कि सीमा से भी आगे बढ़ कर तुष्टिकरण का कार्य किया। उस पुस्तक का नाम "सरस्वती प्रकाश" या "सरस्वती चन्द्रिका" है। उस मैं एक दो स्थानों पर इस प्रकार के प्रकरण आये हैं कि सरस्वती की पूजा कैसे की जाये? उस सम्प्रदाय विशेष की ओर से शिकायत की गयी कि हमारे बच्चे इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उन को आश्वासन दिया कि जग इस पुस्तक का अगला संस्करण छपेगा तो उस मैं इस प्रकार का नोट चढ़ा दिया जायगा कि उस सम्प्रदाय विशेष को बच्चों के उसे पढ़ने के लिये विवश न किया जाये।

मैं समझता हूं कि आज जब हम इस देश में एकता के वातावरण को दृढ़ करना चाहते हों तो यह गात उचित नहीं थी कि इस प्रकार का नोट चढ़ाया जाता। बल्कि होना तो यह चाहिये कि अगर दूसरे सम्प्रदाय के त्यौहारों के बारे में हिन्दू बच्चे जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उन को उस की भी छूट दी जानी चाहिये और इसी प्रकार अगर दूसरे सम्प्रदाय के बच्चे हिन्दू त्यौहारों के बारे में सीखें तो इस से एकता बढ़ेंगी न कि एकता टूटेगी। लेकिन इस के पीछे जो भावना है वह कुछ और है। उसी के आधार पर यह सारी बातें कही जा रही हैं।

इस शिकायत के सम्बन्ध मैं जो कि प्रैस नोट केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं उस को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता, मुझे एक और भी निवेदन करना है। कुछ समय पूर्व मुझे इस सदन में पंजाब के एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह स्थान गुड़गांव है जो कि दिल्ली से ६ मील चल कर है। उस डिस्ट्रिक्ट में उस समय मुसलमान बहुत थोड़ी संख्या में थे। उन्हों ने पंजाब सरकार को आवदन पत्र दिया कि उन को उरदू पढ़ने की सुविधा दी जाये। तो पंजाब सरकार ने बिना इस बात की अपेक्षा किये कि उस जिले में दूसरे सम्प्रदायों के बच्चों की संख्या कितनी है, उन के लिये उरदू के पठन पाठन की व्यवस्था तुरन्त कर दी। मेरा ऐसा निवेदन यह है कि जो इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं वे किसी जानकारी पर आधारित नहीं हैं।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इसी प्रकार आप देखें कि काश्मीर में, आन्ध्र प्रदेश में जहां कहीं भी उरदू के पठन पाठन की सुविधाओं की मांग की गयी है वे सुविधायें उपलब्ध की गयीं । इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चर्चायें इस सदन में न की जायें कारण इस प्रकार की चर्चायें केवल इस सदन की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि प्रैस वाले उन को दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं । और दूसरे देशों में उन को बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित किया जाता है । विशेष कर जब रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य कोई बात अपने मुंह से निकालें तो उन को इस देश के स्वाभिमान और परम्परा का ध्यान रखना चाहिये और उन को यह बात भी अपने सामने रखनी चाहिये कि एक छोटे से सम्प्रदाय को सीमा से आगे बढ़कर किस प्रकार सुविधायें दी जा रही हैं । और इस का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न न होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब चर्चा समाप्त हो गई है । माननीय मंत्री अगले दिन उत्तर देंगे ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार २४ अगस्त, १९६२/भाद्र २, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, २२ अगस्त, १९६२

३१ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— १६३५—६३

तारांकित
प्रश्न संख्या

५१८ नागा लैंड की स्थिति . . . १६३५—३७

५१९ चीनी के लिये वस्तु विनिमय सौदा . १६३७—३८

५२० निर्यात संवर्द्धन . १६३८—४०

५२१ अभ्रक खान कल्याण निधि . . १६४०—४१

५२२ अपड़ामजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना . १६४१—४२

५२३ वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग . . . . . १६४२—४४

५२४ भारत-जापानी आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा १६४४—४५

५२५ गोले की खरीद पर अधिमूल्य . १६४६

५२६ स्वैच्छिक अनुशासन संहिता . १६४७—४९

५२७ नेपाल की सीमान्त गश्ती पुलिस का छापा १६४९—५२

५२८ प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा . १६५२—५३

५२९ औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना . १६५३—५७

५३० श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उपदान . . १६५७—५८

५३१ भारत में विदेशी प्रविधिज्ञ . . १६५८—६०

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

५ अखबारी कागज . . . . . १६६०—६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— १६६३—१७२०

तारांकित
प्रश्न संख्या

५१७ कच्चे पटसन का निर्यात . . . १६६३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३२	पाकिस्तानी सेनाओं का करीमगंज क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश	१६६३–६४
५३३	कृषि श्रमिकों की आय	१६६४—६५
५३४	टैरामाइसिन का उत्पादन	१६६५—६६
५३५	सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की निवृत्ति-वेतन	१६६६
५३६	राजघाट समाधि	१६६६
५३७	फ्रांस को निर्यात	१६६७
५३८	पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय	१६६७–६८
५३९	समुद्री उत्पादन निर्यात संवर्द्धन परिषद्	१६६८
५४०	आसनसोल कोयला क्षेत्र में पानी का सम्भरण	१६६८—६९
५४१	भू-राजस्व	१६६९
५४२	रबड़ की खेती	१६६९—७०
५४३	उद्योगों के लिये लाइसेंस धारी	१६७०
५४४	संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	१६७०—७१
५४५	दिग्वाडीह कोयला खान, धनबाद में दुर्घटना	१६७१—७२
५४६	क्वार्टरों का बिना बारी के दिया जाना	१६७२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४२७	तांबा, जस्ता आदि का कुल उत्पादन	१६७२—७३
१४२८	बाह्य प्रचार	१६७३
१४३०	लंका जाने के लिये भारतीय सार्थों के प्रतिनिधियों को वीसा	१६७४
१४३१	औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण	१६७४
१४३२	भारत में माल परिवहन का भविष्य	१६७४—७५
१४३३	गोआ में होटल	१६७५
१४३४	लौह-अयस्क का निर्यात	१३७५—७६
१४३५	कानपुर में गन्दी बस्तियों को हटाना	१६७६
१४३६	पंजाब के कांगड़ा जिले में यूरेनियम के निक्षेप	१६७६
१४३७	त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड	१६७७
१४३८	आलू का निर्यात	१६७७
१४३९	चाय का निर्यात	१६७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४४०	औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन और अनुज्ञापन नियम	१६७८–७९
१४४१	अभ्रक खान श्रम कल्याण संघ	१६७९
१४४२	खान निरीक्षणालय	१६७९
१४४३	विदेश कार्यालय भवन का निर्माण	१६८०
१४४४	ग्राम्य क्षेत्रों में मीट्रिक तौल और माप का प्रयोग	१६८०
१४४५	लम्बाई नापने के मीट्रिक माप	१६८०–८१
१४४६	चाय बोर्ड का विपणन कार्यालय	१६८१
१४४७	भारत-नेपाल सीमा पर छापा	१६८१–८२
१४४८	रबड़ के बाग	१६८२–८३
१४४९	शीशा कारखाना, तालेगांव में विस्फोट	१६८३
१४५०	अभ्रक खान क्षेत्र में बेरोजगारी	१६८३–८४
१४५१	अभ्रक निर्यात परिषद्	१६८४
१४५२	वस्तु विनिमय व्यापार	१६८४–८५
१४५३	राजस्थान में केन्द्रीय परियोजनाओं का व्यय	१६८५
१४५४	तिब्बत में भारतीय कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियां	१६८५–८६
१४५५	केरल में हथकरघा के कपड़े पर छूट	१६८६
१४५६	भारत कृषक समाज	१६८६
१४५७	भारत सेवक समाज	१६८६–८७
१४५८	सरकारी बस्तियों के लिये स्थायी मंत्रणा समिति	१६८७
१४५९	गन्धक का निर्माण	१६८७–८८
१४६०	राज्य कर्मचारी बीमा योजना के प्रभाव की जांच पड़ताल	१६८८
१४६१	बर्मा को सूखे झींगों का निर्यात	१६८८
१४६२	त्रिपुरा में चमड़ा उद्योग	१६८८–८९
१४६३	त्रिपुरा में कैलेन्डरिंग मशीन	१६८९
१४६४	पुनर्वास उद्योग निगम	१६८९
१४६५	त्रिपुरा में ग्राम उद्योग	१६९०
१४६६	कोयला क्षेत्रों में सहायता केन्द्र	१६९०–९१
१४६७	व्यापार बोर्ड	१६९१–९२
१४६८	गोआ का विकास	१६९२–९३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६६	मनीपुर लोक निर्माण विभाग में प्रभाग	१६६३
१४७०	भारतीय व्यापारियों द्वारा तिब्बत में छोड़ी गयी आस्तियां	१६६३
१४७१	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन योजना	१६६३–६४
१४७२	निष्क्रान्त भूमि का पंजाब को बेचा जाना	१६६४
१४७३	गोआ में सामुदायिक विकास खण्ड	१६६४–६५
१४७४	भारतीय पेंटट अधिनियम	१६६५
१४७५	बिहार में बेरोजगार लोग	१६६५
१४७६	मिस्त्रियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल	१६६५
१४७७	सरकारी उपक्रम	१६६५–६६
१४७८	दण्डकारण्य परियोजना	१६६६
१४७६	शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल पर बकाया ऋण	१६६६–६७
१४८०	चमड़ा रंगने का उद्योग	१६६७
१४८१	कांगड़ा में चाय का सहकारी कारखाना	१६६७–६८
१४८२	स्वागत समारोहों में भारतीय शराब "जिन" का प्रयोग	१६६८–६६
१४८३	आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड	१६६६
१४८४	ठेकेदारों द्वारा करार का उल्लंघन	१७००
१४८५	संसद् सदस्यों के लिये निवृत्ति वेतन	१७००
१४८६	दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में वर्णभेद	१७००–०१
१४८७	बिहार में छोटा नागपुर का पिछड़ापन दूर करना	१७०१
१४८८	मध्य प्रदेश में आण्विक खनिज पदार्थ	१७०१
१४८६	शराब के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	१७०१–०२
१४६०	कृत्रिम हीरा उद्योग	१७०२–०३
१४६१	विलास वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	१७०३
१४६२	नागालैंड में पुलिस के डी० आई० जी० की मृत्यु के बारे में जांच	१७०३–०४
१४६३	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	१७०४–०५
१४६४	राज्यों का ताम्बे के कोटे का आवण्टन	१७०५
१४६५	मोजाम्बिक	१७०५–०६
१४६६	बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात	१७०६
१४६७	दमन में जमींदारी उन्मूलन	१७०६–०७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९८	त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड .	१७०७
१४९९	त्रिपुरा में विद्युत् करघा उद्योग	१७०७
१५०१	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड . .	१७०८
१५०२	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग .	१७०८
१५०३	काजू का निर्यात	१७०८–०९
१५०५	कुछ उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना .	१७०९
१५०७	पूवत्तर सींमान्त अभिकरण के ठेकेदारों के ऐसे बिल जिनका भुगतान न हुआ हो	१७०९
१५०८	त्रिपुरा में कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी	१७०९–१०
१५०९	श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) का स्थाई बनाना .	१७१०
१५१०	श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) के वेतन का निर्धारण	१७१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . १७११—१२

(१) श्री हेम बरुआ ने कलकत्ता के एक दैनिक पत्र "स्वाधीनता" के दिनांक १५ अगस्त, १९६२ के अंक में एक चित्र के प्रकाशित किये जाने की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री स० मो० बनर्जी ने दिल्ली में डिपथीरिया के महामारी के रुप में फैलने के समाचार की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री द० स० राजू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७१२–१३

(१) नारियल जटा उद्योग अधिनियम १९५३ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये नारियल जटा-बोर्ड, एरणाकुलम के प्रमाणित लेखे की एक प्रति ।

(२) ७ से ९ अगस्त, १९६२ तक नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के २०वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) चीनी के मूल्य को चीनी के कारखानों और चीनी के उत्पादकों में बांटने के मूल्य को सम्बद्ध करने वाले सूत्र के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

विषय पृष्ठ

(दो) दिनांक २२ अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ८–६३ / ६१—एस ई एक्स पी ।

(तीन) इस के कारण बताने वाला एक विवरण कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति उपन्धारा में निर्धारित अवधि के अदर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(४) 'तीसरी योजना : १९६१–६२ में प्रगति की समीक्षा' के बारे में वक्तव्य ।

राज्य सभा से सन्देश १७१३–१४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना दी कि राज्य सभा लोक सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी ।

(२) कि राज्य सभा लोक सभा की उस सिफारिश से सहमत हो गयी है कि राज्य सभा विशिष्ट सहायता विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो ।

मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा . . . १७१४

अध्यक्ष महोदय ने २० अगस्त, १९६२ को अणु शक्ति विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने संबंधी संशोधन पर हुए मत विभाजन के आंकड़ों को शुद्ध करने के लिये एक घोषणा की ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १७१४

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हाथी) : ने प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के ६ जून १९६२ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य १७१४, १७१८–१९

श्री प्र० के० देव ने प्रधान मंत्री द्वारा १४ अगस्त, १९६२ को भारत चीन सीमा स्थिति के बारे में दिये गये भाषणों में एक अशुद्धि के बारे में एक वक्तव्य दिया । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इसके उत्तर में एक वक्तव्य दिया ।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारेमें प्रस्ताव १७१४—१८, १७१९—५०

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर, जो क्रमश:

विषय

१ अगस्त, १९६० और २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार २४ अगस्त, १९६२/२ भाद्र १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्तों के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा । अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSDIII—1732 (Ai)LSD—24-12-62—140.